राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तेईसवां दिवस [संख्या : 9

बुधवार,

18 अप्रेल, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना प्राप्ति प्रश्न

बजट लीक प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराने संबंधी घोषणा

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सरकार ने बजट लीक प्रकरण में इस चीज को स्वीकार किया था कि आफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुकदमा दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक घंटे का प्रश्नकाल है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : सरकार ने कहां स्वीकारा है ? (व्यवधान) आपने वित्त मंत्री जी का भाषण तो सुना ही नहीं... (व्यवधान) वित्त मंत्री जी का भाषण तो आपने सुना ही नहीं...(व्यवधान) क्या कहा उन्होंने...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : आप सदन में होते तो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल के बाद में भी मुद्दे उठाये जा सकते हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं एफ. आई. आर. दर्ज हुई या नहीं ? (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : जीरो आवर नहीं है, जीरो आवर...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल में इस तरह के मुद्दे नहीं उठाये जाते...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं हुई, इसके बारे में भी जानकारी दें। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय सदस्यों को बैठाएं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : एफ. आई. आर. दर्ज कराकर ही बात करें। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसके बारे में बात करें...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एफ. आई. आर. दर्ज कराकर ही बात करें...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एफ. आई. आर. दर्ज कराओ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : बहुत ही गंभीर प्रकरण है, सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया कि आफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जनता को क्या विश्वास रहेगा...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौल और शकधर को ले लें, आप चाहे अध्यक्षीय निर्णय को लें, बार–बार जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी की बात हुई है, इसलिए सरकार की स्पष्ट घोषणा के बाद हम मात्र यह जानना चाहते हैं कि एफ. आई. आर. दर्ज हुई या नहीं हुई ? (व्यवधान) हम और कुछ जानना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, बी. जे. पी. वालों को न राजस्थान की चिन्ता है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार एफ. आई. आर. दर्ज कराने की मंशा रखती है कि नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : राजस्थान की चिन्ता मत करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंह राठौड़। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. दर्ज क्यों नहीं करायी जा रही है ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राठौड़, मिनिस्टर साहब को बोलने दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अभी आप बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आज राजस्थान की जनता इस विधान सभा की कार्यवाही पर नजर लगाये बैठी है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह क्या मजाक है...(व्यवधान) सरकार यहां एफ. आई. आर. दर्ज कराने की बात कह दे और एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कराए...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, विश्वास कैसे रहेगा प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकारों के ऊपर ? केवल बहुमत के आधार पर... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अनुसार सारे अपने जो भी काम कर रहे हैं नियमों के अनुसार कर रहे हैं। प्रक्रिया और नियम हैं उनके अनुसार कर रहे हैं। आपके चैम्बर में बैठक हुई उसमें ये सभी लोग थे, यह भी थे जो अभी जोर–जोर से बोल रहे थे। माननीय विरोधी दल के नेता थे और दूसरे दलों के नेता महोदय भी वहां पर थे। सबने यह तय किया था कि अब हम हाउस ठीक तरीके से चलाएंगे, आप वित्त मंत्री जी का स्टेटमैंट करवा दीजिये। वित्त मंत्री के स्टेटमैंट पर इन्होंने कहा हम क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि उसमें क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं है। फिर भी आपने अलाउ किया। इनकी मांग पर क़रीब चार घंटे तक वह डिबेट चलती रही। उसके बाद में इन्होंने यह कहा था कि दूसरे दिन क्वेश्चन आवर होगा... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह भी बताएं कि जोशी साहब ने क्या कहा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार ने यह कोट कर लिया...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एफ. आई. आर. दर्ज कराओ...(व्यवधान) जोशी साहब ने क्या कहा ?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : जोशी साहब ने क्या कहा ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : चर्चा करने के लिए आते हैं, प्रश्न पूछने के लिए आते हैं... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपको मरवा रहे हैं...(व्यवधान) जोशी जी, आपको मरवा रहे हैं। (व्यवधान) यह मरवा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जब सरकार ने यह मान लिया कि यहां पर चर्चा हुई है तो उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने में आपत्ति क्या है ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप मेरी बात तो सुनिये...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप तो यह बताएं कि एफ. आई. आर. दर्ज करायी कि नहीं करायी...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपने दी है न। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सांवर लाल जी, बात तो सुनिये आप, माननीय मंत्री जी क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप पूरी बात तो सुन लीजिये...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी क्या ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह बता दीजिये आप...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सरकार जवाब दे, एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी क्या ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आज इतने दिनों से राजस्थान की जनता नजर लगाये हुए है कि आखिर बजट लीकेज में हुआ क्या। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : राजस्थान की चिन्ता है क्या आप लोगों को ? राजस्थान की

(श्री श्रवण कुमार)

चिन्ता होती तो बिजली के बारे में बोलते, अकाल के बारे में बोलते। क्या बजट–बजट लगा रखी है आप लोगों ने ? (व्यवधान) यह राजस्थान की चिन्ता करने वालों को देखिये आप। (व्यवधान) बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आपके समझ में नहीं आएगा...(व्यवधान) आप बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : क्या बोलेंगे आप ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अगर आपको चिन्ता होती तो यह भ्रष्टाचार नहीं होता, बजट लीक नहीं होता। चारे, पानी की व्यवस्था करनी नहीं आप लोगों को। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता, किसी जमाने में मुख्य मंत्री रहे हैं राजस्थान के, मैं उनसे निवेदन करूंगा...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप बोल रहे हैं इसको सरकार मानेगी क्या ? (व्यवधान) सरकार बोल रही है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : आप कैसे बोल रहे हो ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ नहीं चल सकता है, अगर आप इस तरह से बोलते रहेंगे तो यह हाउस चलेगा नहीं। (व्यवधान) अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप इंडिविजुअल बोल रहे हैं या गवर्नमैंट बोल रही है ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो इच्छुक हैं ...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : नहीं, आप बोल रहे हैं या सरकार बोल रही है ? (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : पार्लियामैन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं...(व्यवधान) गवर्नमैंट की बात रखेंगे...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : खतम हो चुकी है...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : पार्लियामैन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं....(व्यवधान) वगर्नमैंट की बात रखेंगे...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : और रिजल्ट आया कि ऑफिशियल सीक्रेट उक्ट में एफ. आई. आर. दर्ज होगी। चार घंटे की मशक्कत का जो निर्णय निकला, आपकी सरकार की तरफ से मंत्री महोदय ने कहा है कि इसमें एफ. आई. आर. दर्ज होगी। हम इस पर एग्री हैं। अगर उसका निर्णय नहीं होगा तो इस चर्चा का क्या मकसद है ? मंत्री महोदय, अगर जो चर्चा यहां करवायी गयी है, उस पर जो निर्णय निकला है, सरकार ने जो घोषणा की है इस सदन में वही लागू नहीं होगी तो इस सरकार को कौन मानने के लिए तैयार है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप विराजें। (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री अमराराम (धोद) : इसकी क्रेडिबिलिटी खतम हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप बोल रहे हैं या सरकार बोल रही है ? (व्यवधान) यह आप बोल रहे हैं या सरकार बोल रही है ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार मुकदमा दर्ज कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती है, यह बोलें। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप किस अधिकार से बोल रहे हैं, यह तो बताएं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप घोषणा करें कि वह एफ. आई. आर. दर्ज हुई है। या अभी नहीं हुई है तो कब तक वह दर्ज करवा दी जाएगी, यह घोषणा आप करें। इसके अलावा हम भाषण सुनने के लिये नहीं हैं...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह आप बोल रहे हैं या सरकार बोल रही है, यह तो बता दें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : एफ. आई. आर. दर्ज कराने...(व्यवधान) जनता की भलाई के लिये काम कर रही है हमारी सरकार, आपका काम एफ. आई. आर. दर्ज कराना है...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आप कल की प्रोसिडिंग्स मंगा लीजिये, अगर कल की प्रोसिडिंग्स में यह हो कि...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब उन्होंने कमिट किया है...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसका अगर खंडन नहीं हुआ हो तो आपके कहने में कोई सत्य है ? जब सी. पी. जोशी खड़े हुए और उन्होंने यह बात कही, आपने कहा कि फिर आप आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा देंगे ? इन्होंने कहा कि हम देखेंगे। उतने में मैंने कह दिया कि नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्री जी ने तो नहीं कहा था...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप चाहे कितना भी कहें, आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हम किसी भी हालत में मुकदमा दर्ज कराने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हाउस चलने वाला नहीं है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन)

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : देश की सुरक्षा के साथ खतरा हो रहा है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ...(व्यवधान) + + + खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं, वैल में मत आइये आप, वापस जाइये। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : + + + खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना चाहिये... (व्यवधान) मुकदमा दर्ज कराना चाहिये... (व्यवधान) + + +

श्री खेतसिंह राठौड़ : और यह आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस बन ही नहीं सकता है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : माननीय सदस्य को पूछा कि आपका सदस्य इसमें फंस जाएगा तो सदस्य ने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं। तो आपके मंत्री महोदय ने कहा था कि निश्चित रूप से इसमें केस दर्ज होगा। जब यह निर्णय हो गया...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमको इनका भाषण नहीं सुनना। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतना सारा करने के बाद जब निर्णय हो गया कि केस दर्ज होगा तो इस पर अमल होना चाहिए। आप निश्चित रूप से मुकदमा कब दर्ज करेंगे ? मैं आसन से भी निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वाजपेयी जी कब इस्तीफा देंगे ? (व्यवधान) अटल बिहारी वाजपेयी इस्तीफा दें पहले।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह प्रश्न माननीय मंत्री से पूछा था...(व्यवधान) तो उपाध्यक्ष महोदय ने आसन से पूछा था प्रश्न कि आप यह बताइए कि आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएंगे। (व्यवधान) आपने उसकी स्वीकृति दी। उसके बाद माननीय विपक्ष के नेता ने इस बात के लिए धन्यवाद दिया। आपको दिया, आपकी सरकार को दिया, मुख्य मंत्री को दिया, रामू को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि जो चीज हम चाहते थे, जो अनियमितता हुई, उस अनियमितता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो जाएगा। (व्यवधान) माननीय मंत्री ने कहा कि आफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुकदमा दर्ज कराएंगे, इतनी–सी बात कह दीजिए। इसके बाद (व्यवधान) हम स्वयं चाहते हैं कि राजस्थान की जनता...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो तैयार थे लेकिन इन्होंने इस बात में चार घण्टे लगाए और डिबेट में भाग लिया। जब हमारे मंत्री जी खड़े हुए जवाब देने के लिए तब ये + + + करके यहां से भाग गए। (व्यवधान) अगर ये जवाब सुनते तो यह क्लैरीफाई हो जाता कि किसका क्या है, किस तरह से क्या हुआ है। (व्यवधान) आफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होगा, यह और कह देते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप किस हैसियत से बोल रहे हैं, यह तो बता दें।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। एक सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 दिन से दुर्भाग्य से हाउस में अभी डिस्कशन शुरू नहीं हुआ, यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। एक तरफ अकाल और सूखे की स्थिति है, बिजली की समस्या है, पेयजल की समस्या है और भी कई समस्याएं हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता हम से यह आशा कर रही है कि हम उनकी भावनाओं को यहां हाउस में प्रकट करें। दुर्भाग्य से जो हालात बने हैं, उसमें जो प्रकरण सामने आया है उसको लेकर हम डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं ? जैसा अभी खेतसिंह राठौड़ साहब ने कहा, बी. ए. सी. के अंदर जो बातें तय हुई उसके अंदर हम समझते थे कि आज हाउस में डिस्कस होगा और कोई रुकावट नहीं आएगी। मुझे बहुत दुःख है कि आप लोगों ने उसके बावजूद भी यह माहौल बनाने की कोशिश की। उसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा जैसा कि माननीय कटारियाजी ने अभी कहा, कि माननीय अध्यक्षजी, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ सैक्रेटरी और फाइनेंस सैक्रेटरी के माध्यंम से जो इन्क्वायरी कर रहे थे, वह रिपोर्ट आ चुकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट हम आपको प्रस्तुत कर देंगे, उसको देखकर आप तय कर लेंगे। आफिशियल सीक्रेट एक्ट से बनता है अगर केस तो आप उसके अनुसार आदेश देंगे तो उसी के अनुरूप मुकदमा दर्ज करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, पहले तो इस सम्बन्ध में मैं कोई भी निर्देश दे नहीं सकता, निर्णय तो इस सम्बन्ध में गवर्नमैंट को लेना पड़ेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप देखकर इन्स्ट्रक्शन तो दे ही सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले भी ऐसा हुआ है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : गवर्नमैंट ने कल बयान कर दिया कि आफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : कोई बयान नहीं दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अगर आप सैटिस्फाइड हैं इस बात से...(व्यवधान) तो हमको आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपके निर्देश के बाद केस दर्ज कराने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हम आपसे इस बात का वायदा करते हैं, आश्वासन देना चाहते हैं...(व्यवधान) आप एग्जामिन कर लें, आप कानून को जानने वाले हैं, आपका लम्बा राजनीतिक जीवन है...(व्यवधान) हम यह आपको सौंपना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा गवर्नमैंट और कुछ नहीं कर सकती। यदि ये कोआपरेट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आवर शुरू करवाइए और

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कोआपरेट नहीं करना चाहते हैं तो.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कमिटमैंट है आपका।

श्री खेतसिंह राठौड़ : काहे का कमिटमैंट है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार का कोई कमिटमैंट नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ? (व्यवधान) एक मंत्री के कहे हुए का विश्वास करते हैं। हम कोई केस दर्ज नहीं करवाना चाहते। एक मंत्री का वर्जन ले रहे हैं, दूसरे का नहीं ले रहे हैं। आप दोनों को अलग–अलग करके नहीं देख सकते। अगर एक की जिम्मेदारी है तो दूसरे मंत्री की भी उतनी ही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को विश्वास ही नहीं है क्या ?

डा. चन्द्रभान : क्या कोई मंत्री अपने निजी विचार व्यक्त नहीं कर सकता हाउस के अन्दर ? (व्यवधान) वे शिक्षा मंत्री जी के अपने विचार थे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभी मंत्रियों की ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी होती है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं वक्तव्य की बात नहीं कर रहा हूं, निजी विचार की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये मंत्रियों के निजी–निजी विचार हैं तो सरकार का क्या विचार है ? (व्यवधान) मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य हाउस में कोई बात कहते हैं तो उसे राज्य सरकार की तरफ से माना जाना चाहिए। क्या कोई मंत्री के निजी विचार होते हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर–आर्डर। श्री माहिर आजाद, आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : एफ. आई. आर. दर्ज होगी तो तहलका काण्ड में होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।(व्यवधान) श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आसन पर छोड़ दिया है, क्या विपक्षी सदस्यों को आसन पर भरोसा नहीं है ? आसन पर विश्वास नहीं क्या उनका ? जब हमने आसन पर छोड़ दिया कि आसन का जैसा आदेश होगा उसकी पालना करने के लिए हमारी सरकार तैयार है तो मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि आसन पर आपका विश्वास नहीं है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। मोहम्मद माहिर आजाद, आप बैठिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री के निजी विचार हो सकते हैं लेकिन कांटैक्स्ट देखना पड़ेगा। आपने

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यहां पर रैगुलर डिबेट चल रही थी उस वक्त कहा था। हमेशा गवर्नमैंट का कंवेंशन है, आपको इतना दीर्घकालीन अनुभव है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी मिनिस्टर पर जो उसका विभाग देखता है, उसको चीफ मिनिस्टर फ्री कर देते हैं इन्टरवेंशन के लिए और जो कुछ भी वह स्टेटमैंट हाउस में देता है वह गवर्नमैंट का कमिटमैंट, गवर्नमैंट का स्टेटमैंट माना जाता है।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री जी ने उनको अधिकृत नहीं किया। मुख्य मंत्री जी ने अधिकृत नहीं किया। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : कौनसी व्यक्तिगत राय थी ? पार्लियामैंट्री मिनिस्टर साहब ने कह दिया था कि गवर्नमैंट की राय नहीं है यह। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : फिर कैसी बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय को अलग से लें। अभी तो क्वेश्चन आवर चालू करें, इस विषय को अलग से लें। अभी तो क्वेश्चन आवर चालू करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एकादश विधान सभा में माननीय सदस्यों ने इस बात का अनुभव किया कि जब कभी भी गंभीर डिबेट चलती है...

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल का समय है और प्रश्नकाल होना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Hon'ble Finance Minister heavily depends upon the Hon'ble C. P. Joshi.

श्री गोवर्द्धन कल्ला : इसको अलग से लें, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : हमारा सवाल लगा हुआ है, इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं हमारे क्षेत्र के। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज।

श्री रामस्वरूप : हमारा तो महत्वपूर्ण सवाल है अकाल के बारे में, उस पर चर्चा करायी जाए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : बाकी क्या रह गया है अब ? (व्यवधान) नहीं, बाकी क्या रह गया है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको आपत्ति क्या है ?

श्री हरिसिंह महुवा : नहीं, आपत्ति है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं चेयर की परमिशन से बोल रहा हूं।

श्री हरिसिंह महुवा : आप जो भी कह रहे हैं...(व्यवधान) बाकी क्या रह गया है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको क्या लेना–देना है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय को गुमराह किया जा रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : प्रश्नकाल शुरू करो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय पर छोड़ दिया गया है, अब दिक्कत क्या आ रही है आपको ?

एक माननीय सदस्य : हमारा अकाल से संबंधित प्रश्न लगा हुआ है, प्रश्नकाल चालू करवाया जाए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं चेयर की परमिशन से बोल रहा हूं।

श्री हरिसिंह महुवा : जब आसन के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं चेयर की परमिशन से बोल रहा हूं, आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री हरिसिंह महुवा : आपको चेयर पर विश्वास नहीं है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कैसे बोल रहे हैं ? आप गैरजिम्मेदार आदमी हैं। एक तो पार्लियामैंट्री मिनिस्टर...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुवा : आप सदन का समय जाया कर रहे हैं। (व्यवधान) आप चेयर पर विश्वास करिए, गवर्नमैंट पर विश्वास करें या न करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप निहायत गैरजिम्मेदार आदमी हैं। मैं चेयर की परमिशन से बोल रहा हूं। माननीय मंत्री जी, बैठिए आप। Hon'ble Minister, kindly resume your seat.

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक मिनिस्टर बोले तो दूसरे मिनिस्टर ने उनके लिए क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। (व्यवधान) बार–बार इस बात को खींचने से आप क्या लेंगे, जबकि हमने सारा मसला अध्यक्ष महोदय के सुपुर्द करने का तय कर दिया और सारी इंक्वायरी हम अध्यक्ष महोदय को पेश कर रहे हैं। उसके बाद में आप कोआपरेट कीजिए और हाउस को चलने दीजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री कह रहा है कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और दूसरा मंत्री कह रहा है अध्यक्ष महोदय पर छोड़ दीजिए।

श्री सांवर लाल : सारा मामला यों ही बहस करते रहोगे या फिर कोई फैसला करेंगे ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों का गतिरोध समाप्त करने के लिए मैं समझता हूं माननीय सी. पी. जोशी बधाई के पात्र हैं। उनकी कांसीयस क्लीयर है, उन्होंने कहा कि अगर फैक्ट्स हैं, इन्वैस्टिगेशन में सब मामला निकल जाएगा। पाइंटेडली अगर डिप्टी स्पीकर ने पूछा...

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सब कुछ आसन पर छोड़ दिया है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार राज चलाने में सक्षम नहीं है, आप राज चला रहे हैं राजस्थान का।

एक माननीय सदस्य : यह प्रश्नकाल का समय है और प्रश्नकाल करवाइए, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपके ऊपर सारी बात छोड़ी है तो फिर इस भाषण का क्या महत्व है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : गंभीरता कम न करें।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय ने परमिशन दे रखी है, बैठ जाओ आप।

श्री संयम लोढ़ा : कोई परमिशन नहीं है, वक्त बर्बाद कर रहे हैं राजस्थान की जनता का।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय ने पाइंटेडली पूछा है...

श्री रामस्वरूप : अकाल का प्रश्न लगा हुआ है इस पर चर्चा कराओ।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : यह सरकार राज चलाने में भी सक्षम नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आप राज चलाओ। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में कई बार ऐसे मसले आये हैं जब पक्ष और विपक्ष में विवाद होता है, इस तरह सारा मसला अध्यक्ष महोदय पर छोड़ देते हैं तो स्पीकर साहब का निर्णय सारे लोग शिरोधार्य करते हैं। अभी हमारे पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने यह कहा कि सारी रिपोर्ट आपके समक्ष...

श्री केसाराम चौधरी : आप तो राज चलाने में सक्षम नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसके बाद जो फैसला स्पीकर साहब देंगे उसको पूरा सदन मानेगा, मैं समझता हूं सारा विवाद समाप्त हो जाता है। जो निर्णय आप करेंगे वह सारे सदन को मान लेना चाहिए। मैं समझता हूं हमेशा सदन में होता रहा है, जब भी सदन में स्पीकर के ऊपर सारा मामला छोड़ा है स्पीकर का निर्णय शिरोधार्य समझा गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हमको कोई तकलीफ नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज आप लोगों का अगर स्पीकर के ऊपर विश्वास नहीं है क्या ? आप हमेशा सदन में ज़िम्मेदार सदस्य रहे हैं तो स्पीकर के कहने पर विश्वास करके चलिए।

श्री मदन दिलावर : यह आपकी व्यक्तिगत राय है या सरकार की राय है, आप यह बताओ। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आप राज चलाने में सक्षम नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : बहस कराने की क्या आवश्यकता है, सारा मसला स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं चेयर की परमिशन से बोल रहा हूं, कल्ला जी, पार्लियामैंट्री एटीकेट्स सीखिए, मिनिस्टर हैं आप। मैं चेयर की परमिशन से बोल रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप बताएंगे क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं चेयर की परमिशन से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप खुद एटिकेट्स सीखें। क्या एटीकेट्स सिखाएंगे आप ?

श्री कय्यूम खान (मसूदा) : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि कल यह तय हुआ था कि एक व्यक्ति बोले, आज आप सारे लोग बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आज पी. डब्ल्यू. डी. का महत्वपूर्ण प्रश्न था।

श्री महेश जोशी : आप भी भाषण संयमित करें।

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me complete.

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता।

श्री संयम लोढ़ा : अकाल का प्रश्न लगा हुआ है, अकाल पर चर्चा कराओ।

डा. के. सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमसे जनता हमारे प्रश्नों का जवाब मांग रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : खींची, बैठिए। बैठ जाएं आप। (व्यवधान) बैठिए आप।

डा. के. सी. चौधरी : हमारे क्षेत्र की जनता हमारे प्रश्नों का जवाब मांग रही है हमसे, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछिए।

श्री अध्यक्ष : बैठिए।

एक माननीय सदस्य : आपका ही राज है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सदन का ध्यान मैं एक मुख्य बात की ओर दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्या मुख्य बात है ?

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय ने आपको बैठने के लिए कह दिया है।

श्री अमराराम (धोद) : एक सूत्रीय कार्यक्रम हो रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल शुरू करवाया जाए।

श्री रामस्वरूप : प्रश्नकाल शुरू करो।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नेता प्रतिपक्ष को काल कर लिया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये लगातार हाउस का समय जाया कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसको मान लिया है। राजेन्द्र राठौड़ ने... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : प्रश्नकाल चालू करो।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

अनेक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल चालू करो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है–"मुख्य मंत्री जी, आप मान रहे हैं न, खड़े होकर कहें। मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं।" "उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : मुख्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा कल। कल-मुख्य मंत्री जी ने इंटरवीन ही नहीं किया। आप यह सही नहीं कह रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको यह पहले ही पता है कि इसमें वर्बेटम लिखा हुआ है। यह वर्बेटम प्रोसीडिंग है। (व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप क्या बात साबित करना चाहते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय के पास तो इसकी वर्बेटिम प्रोसीडिंग रहती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं दुबारा कह रहा हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप जानबूझकर समय व्यर्थ कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज होने के बाद... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनको कोई राजस्थान का भला नहीं चाहिए। (व्यवधान) इससे राजस्थान की जनता का भला होने वाला नहीं है। हम राजस्थान की जनता के विकास की बात करना चाहते हैं, मुद्दे की बात करना चाहते हैं, उसमें चैक लग रहा है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने बयान दिया है कि प्रश्नकाल होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : We are not disowning it.

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने बयान दिया है उसको तरजीह देकर प्रश्नकाल चालू करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें लिखा है "चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, अगर कोई...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : मालपुरा से आने वाले सदस्य कल भी समय जाया कर रहे थे और आज भी समय जाया कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये रिपीटीशन कर रहे हैं। (व्यवधान) बार–बार एक ही बात कह रहे हैं, कोई नयी बात नहीं बता रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको पता हो तो आप बता दो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : समय बर्बाद कर रहे हैं, बार–बार एक ही बात कह रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्य : आसन सर्वोपरि है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान् खेतसिंह जी ने बहुत ही सारगर्भित भाषण दिया। ये दिया नहीं करते हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है अध्ययन करके आये हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (राज्य मंत्री, कृषि विपणन) : आपसे पहले बात तो नहीं हो गई थी इनकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रोज होती है, आपसे भी होती है, इनसे भी होती है। मुद्दे पर आ रहा हूं। आपने सबसे पहले कहा कि हमने इस प्रश्न के ऊपर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सब कुछ निर्णय कर लिया था। यह बिलकुल सही है, हम उससे बैक आउट नहीं करते। निर्णय यह हुआ था कि वित्त मंत्री जी का वक्तव्य होगा, उस पर चर्चा होगी और वक्तव्य होने के बाद जो कुछ वित्त मंत्री जी जवाब में कहेंगे, उसको सुनने के बाद यह मामला उस समय एक प्रकार से बंद कर दिया जाएगा। इनका भाषण क्यों नहीं सुना ? उसके पीछे विपक्ष दोषी नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हुजूर, मैंने सुना नहीं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विपक्ष दोषी नहीं है। आपके एक मंत्री ने इतना हस्तक्षेप करके यह कहा कि इस मामले को आफिशियल सीक्रेट एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। वह अकेले नहीं बोले हैं। उन्होंने जो अपना भाषण दिया उसमें यह कहा है कि हम बोल रहे हैं। हम के अन्दर मैं समझता हूं कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं थी, खेतसिंह जी भी शामिल हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, मैं इनसे सीनियर हूं। (व्यवधान) I am very senior to this man.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूं।

श्री हफीज मोहम्मद : यह पार्लियामैंटरी मिनिस्टर महोदय ने कह दिया था कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। (व्यवधान) खेतसिंह जी ने कह दिया था कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है, हमारी राय नहीं है, सरकार की राय नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : You are senior than the Chief Minister also. That does not mean ki aap....यह क्या बात हुई ? आपके रिप्लाई का क्या है ? या तो होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको अनुमति नहीं मिलेगी, आप बीच–बीच में बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब यह कहा उन्होंने कि हम बोल रहे हैं और हमको इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी, इस 'हम' शब्द का अर्थ यह है कि यह सारी कैबिनेट बोल रही है। अब यह सही है कि आपने उस समय कहा कि मैं इनके पक्ष में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं हूं। आपकी और उनकी हैसियत में कोई अन्तर नहीं है, दोनों कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और दोनों 'हम' में शामिल हैं। अगर इस बात को...

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरी पहले सीट है, इनकी आठवीं सीट है।

श्री अध्यक्ष : यह विधि मंत्री भी हैं।

एक माननीय सदस्य : विधि मंत्री हैं और पार्लियामैंटरी मिनिस्टर की हैसियत से कहा है इन्होंने।

श्री अध्यक्ष : और कानून की बारीकियों को समझते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : विधि मंत्री जी का कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से, होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : गुलाब सिंह जी कहते हैं इन्होंने तो कहा नहीं। (व्यवधान) अब बचाव कर लेंगे हम सब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो अभी विधि मंत्री क्या हैं और किसी विषय पर यह बोले हैं, तब तो समझते हैं कि यह विधि मंत्री हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई ऐसी डिबेट होने दीजिये, करेंगे मुकाबला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब डिबेट आ गयी न। अब, अध्यक्ष महोदय, खेतसिंह जी ने कहा, यह बात सही है और उसी समय राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने खड़े होकर एक बात कही कि इसमें मुख्य मंत्री जी की राय क्या है, मुख्य मंत्री जी यहीं बैठे हैं। मुख्य मंत्री जी सी. पी. जोशी की राय से सहमत नहीं थे तो खेतसिंह जी ने जो बात कही कि इनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, क्या यह बात मुख्य मंत्री जी नहीं कह सकते थे ?

श्री सी. पी. जोशी : नहीं, मुख्य मंत्री जी नहीं थे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट।

श्री सी. पी. जोशी : सारी, मुख्य मंत्री जी नहीं थे। (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी थे ही नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्री जी यहीं थे। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : He was not here. आप क्या बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जोशी जी असत्य नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उस वक्त नहीं थे मुख्य मंत्री जी। (व्यवधान) आप क्या बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बैठिये। (व्यवधान) सुनिये, विधि मंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि यह इनकी व्यक्तिशः राय कोई हो सकती है। ऐसी रेस्पोंसिबिलिटी नहीं थी कि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसको चेयर ने नोटिस कर लिया था। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : चेयर ने नोटिस नहीं लिया था, साहब उसका। (व्यवधान) विधि मंत्री जी के क्लैरिफिकेशन का चेयर ने नोटिस नहीं लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधि मंत्री जी ने कहा, हमने सुना है और सुनने के बाद में...

श्री सुरेन्द्र व्यास : चेयर क्या कहती है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं क्या बात कह रहा था कि उस समय राजेन्द्र राठौड़... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमसे काग्नीजैंस लेते क्या ? (व्यवधान) आप बैठिये, बीच बीच में अनुमति के बगैर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित करते हुए कह रहे हैं, मुख्य मंत्री जी, आप मान रहे हैं, खड़े होकर कहें। (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी उस समय मौन रहे। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (नगरीय विकास मंत्री) : इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा जब राजेन्द्र राठौड़ यह कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी...(व्यवधान) आपने मुख्य मंत्री जी से बुलवाना चाहा और वे नहीं बोले, इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा, यह बता दें आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री प्रद्युम्न सिंह : He should be expelled from the House.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन्हें सदन से बाहर निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन में जो + + + शब्द का प्रयोग किया गया है उसको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ईमानदार मंत्री के ऊपर इस तरह सदन में एलीगेशन लगाना कानूनी अपराध है। ऐसे सदस्य को बाहर करना चाहिए। (व्यवधान) मदन दिलावर के टाइम

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

में बलात्कार हुआ, दुनिया भर का समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार हुआ और शांति धारीवाल जैसे ईमानदार मंत्री पर एलीगेशन लगाने वाले पर क्या कार्यवाही कर रहे हो ? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इन्होंने पूरे जयपुर का कायाकल्प कर दिया इसलिए आपको जलन है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + आनी चाहिए मदन दिलावर को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पांच लाइनें प्रोसीडिंग की सुनाना चाहूंगा। सी. पी. जोशी बोलते हैं, "अब हम यह मान लेते हैं, हमें क्या तकलीफ है। हमको कोई तकलीफ नहीं है। मतलब रेफरेंस वही है कि आप आफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुकदमा बनाइये।

"राजेन्द्र राठौड : मुख्य मंत्री जी आप मान रहे हैं न ? खड़े होकर कह दें।

फिर सी. पी. जोशी बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। सी. पी. जोशी फिर बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कोई तकलीफ नहीं है, फिर दुबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई आफिशियल सीक्रेट एक्ट के अन्तर्गत केस रजिस्टर होने के बाद अब आगे वही मामला चला है। हम माननीय सदस्य पहले यह बात मान लें कि बजट लीक नहीं हुआ।"

यह सारी बजट के ऊपर हुई चर्चा थी। अब मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खेतसिंह जी का भी पढ़ो, साहब। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि आप उस समय क्यों नहीं बोले ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : खेतसिंह जी बोल गये थे इसलिए नहीं बोले। (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी नहीं थे सदन में। (व्यवधान) यह कोई बोलना ही बोलना है, यह कोई मेरे हाथ में है क्या ? (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : उस समय यहां मौजूद नहीं थे मुख्य मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं जानकारी करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, एक मंत्री ने जो कुछ बात कही वह कांस्टीट्यूशनल मानते हैं या नहीं मानते हैं ? यह जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी है, आप इसमें चाहें तो पार्लियामैंटरी प्रेक्टिस या अब तक जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं इस संबंध में, आपको पेश कर सकता हूं। इस जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी के दायित्व से आप नहीं बच सकते।

श्री अध्यक्ष : जोइंट भी है और सेवरल भी है। इंडिविजुअल भी रेस्पोंसिबिलिटी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Severally in respect of his own Department.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इंडिविजुअल रेस्पोंसिबिलिटी खुद के डिपार्टमैंट में होती है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बार–बार बीच में आकर खड़े हो जाते हो, क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, बहुत बोल लिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलिये, आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : विपक्ष के नेता, आपने जो बातें कहीं उसके कंटेक्स्ट में इंटरवीन किया, not in the statement of the Minister. So don't get it side track.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलिये।

श्री सी. पी. जोशी : अगर आउट आफ कंटेक्स्ट करते हैं, मुझे भी बोलने की परमिशन दी जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोल लेना। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके बोलते ही मामला गड़बड़ हो रहा है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैटर कैबिनेट की जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी का है। कैबिनेट के हैड यहां बैठे हैं। कैबिनेट में एक मंत्री बोलते हैं और दूसरे विधि मंत्री ने कहा कि यह गवर्नमैंट का व्यू नहीं है। नहीं यह हमारा व्यू नहीं है, इनका हो सकता है। उन्होंने कहा हमारा व्यू है, आपने कहा कि हमारा व्यू नहीं है। तो आप दोनों में से एक का व्यू नहीं है और एक का व्यू है। हमारा व्यू नहीं है इसका मतलब तो कैबिनेट की मंजूरी नहीं है और कैबिनेट की मंजूरी के बारे में कोई अधिकृत रूप से कह सकता है तो मुख्य मंत्री कह सकते हैं। मुख्य मंत्री जी वहां बैठे थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : संसदीय कार्य मंत्री जी कह सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : संसदीय कार्य मंत्री जी कह सकते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, इनको अधिकृत किया हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री जी को अधिकृत किया हुआ है कि वह भी अपना बयान दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात का स्पष्टीकरण कर दें कि क्या मुख्य मंत्री जी सी. पी. जोशी जी ने जो हाउस में कल कहा, उससे सहमत नहीं हैं ? (व्यवधान) क्या जो कुछ उन्होंने कहा, जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी नहीं मानते हैं यह ? दो क्वेश्चन के बाद अगर मुख्य मंत्री जी भी यह कहते यहां कि अकाल...

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें लीगल ओपिनियन ले लेंगे, ऐसी क्या बात है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधि मंत्री जी कह रहे हैं कि लीगल ओपिनियन ले लेंगे तो यह सरकार का भाग्य खराब हो गया और जनता भी डूब गयी। आप एक विधि मंत्री हैं, लीगल ओपिनियन लेकर बोलेंगे...

एक माननीय सदस्य : भाग्य तो देश का खराब हो गया। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे ज्यादा बदकिस्मती नहीं हो सकती। मामला 2–3 दिन से चल रहा है, आपने ओपिनियन ली होगी। ओपिनियन नहीं ली तो क्यों नहीं ली ? आज आप अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि इसमें लीगल ओपिनियन ले लेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सवाल आपने आज ही उठाया है। हमने तो इस सवाल का कभी सोचा ही नहीं कि यह छोटी–सी बात के लिए इतने हो जाएंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो कई दिनों से उठाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ओपिनियन के बजाय ओफियम ले ली उन्होंने। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब ऐसी स्थिति में माननीय वित्त मंत्री जी को शिकायत हो सकती है कि मेरा भाषण नहीं सुना। इनकी एक शिकायत हो सकती है, बात सही भी है। लेकिन आप यह तो जानते हैं कि सारी डिबेट का मुद्दा एक था कि इसमें किस तरह से लीक हुआ, इसकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स–अप की जाए। रेस्पांसिबिलिटी फिक्स–अप करने के लिए हमने यह दावा किया था कि इस मामले की आफिशियल सीक्रेट एक्ट में केस दर्ज करके इन्क्वायरी की जाए। उस इश्यू के ऊपर सी. पी. जोशी बोले। बोलकर इन्होंने हां भर ली कि जवाब देने की कोई बात ही नहीं थी। The matter has been cleared.

श्री जुगल काबरा : माननीय नेता, प्रतिपक्ष, आप सदन को आधी अधूरी जानकारी दे रहे थे तब सी. पी. जोशी साहब ने खड़े होकर कहा कि आप पूरी जानकारी दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अधूरी जानकारी देते हैं तो आप ये जो बीच में टोक–टोककर बोलते हैं तो चीफ मिनिस्टर को एक मिनट भी हम बोलने दें तो... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तब बोल लेना, काबरा जी, आप। (व्यवधान) बोल दें न जब मुख्य मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने चीफ मिनिस्टर बोले शांति से सुना, आप बीच में टोका–टाकी कर रहे हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि चीफ मिनिस्टर की रेस्पांसिबिलिटी है और जोइंट रेस्पांसिबिलिटी का उल्लंघन कर रहे हैं। यह जोइंट रेस्पांसिबिलिटी का क्वेश्चन है, उस समय मुख्य मंत्री जी बोले नहीं। खेतसिंह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जी बोले, उन्होंने बात मानी नहीं। दोनों रिपीट करते रहे। सी. पी. जोशी भी और ये, दोनों रिपीट करते रहे। अब ऐसी स्थिति में मैं जानकारी करना चाहूंगा कि सदन से बाहर विरोधी दल किस बात को लेकर जाए। बाहर जाएं तो कम से कम एक सब के दिमाग में था कि सी. पी. जोशी ने जो कहा है, अकेले ने नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा हम कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : भरतपुर से हैं, हम और मैं में अन्तर नहीं जानते हैं ये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री बनते ही हम हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ऐसे आदमी को फिर मंत्री क्यों बनाया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने चाहे 'हम' कहा हो लेकिन विधि मंत्री ने उसी वक्त एब्रोगेट किया था।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह अन्तर, डाक्टर साहब, आप से सीखेंगे वो। आपसे सीखेंगे, आप बहुत ज्यादा जानते हो। ज्यादा जानकारी में तो वे फंसे और अब आप और ज्यादा जानते हो।

श्री अध्यक्ष : वह उनकी व्यक्तिशः राय हो सकती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब आप तो यह बताएं कि ये आपके निजी विचार हैं या सरकार के हैं ? हमारे पास कोई बैरोमीटर है क्या कि खेतसिंह जी के विचार सरकारी थे और सी. पी. जोशी के विचार निजी ? यह, अध्यक्ष महोदय, आप कैसे अन्दाजा लगाएंगे कि किसके सरकारी और किसके निजी ? यह भी आपको बताना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अन्दाजा लगाने की जरूरत ही कहां है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप इनको तो रोकिये। आपके भाषण में...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ... अन्दाजा लगाने की जरूरत कहां है ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ... आजकल आपने अपनी आदत बना ली है कि हर रोज भाषण में कोई न कोई धमकी आप देते हैं...

श्री सांवर लाल : ... प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं और...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ... कि हम आपको बोलने नहीं देंगे, आपको हम बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान) आपके लोग बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। प्रोफेसर सांवर लाल। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मैं यह कह रहा था कि भरतपुर में हम और मैं एक है और नाथद्वारा वाले भरतपुर से गये हुए हैं सब के सब इसलिए हम और मैं में अन्तर नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ... यह बिजली का मामला नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्री खड़े हो रहे हैं, कभी तो कह रहे हैं हमारा निजी विचार है। पहले बोल दिया करो कि निजी विचार है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बिजली पर भी चर्चा करवाना। आप तो बिजली पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप जो बोल रहे हो डाक्टर साहब, डाक्टर चन्द्रभान बोल रहे हो या ऊर्जा मंत्री बोल रहे हो ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : कह दिया करो कि हम किस हैसियत से बोल रहे हैं। हम बहुत कुछ कर लेंगे, 'हम' शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो ? (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : 'हम' का मतलब एक ही थोड़े ही है ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ब्यावर जाओ आप।

डा. के. सी. चौधरी : ब्यावर तो ठीक है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ब्यावर में आग लगाकर यहां आ गये। यह आपका विषय नहीं है। (व्यवधान) इनको एक गलतफहमी है कि चंदनमल जी हटे तो प्रद्युम्न सिंह जी बने, अब ये हटे तो आपका नम्बर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जितने भी मंत्री साहिबान हैं ये जिलों के प्रभारी हैं और वहां जाकर बयान देते हैं तो सरकार की हैसियत से बयान देते हैं। अब वहां जाकर बयान दे आएं और यहां आकर विधि मंत्री से पूछें तो फिर आखिर में सरकार का औचित्य क्या है ? एक मंत्री अगर...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी बात यह है कि यह जिद्द क्यों है ? अगर माननीय प्रद्युम्न सिंह जी के डिपार्टमैंट से लीक हो गया तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, गलती बड़ी से बड़ी हो जाती है। 153 में से अगर कोई दूसरा ऐसा योग्य नहीं है वित्त मंत्री, तो बी. एस. पी. की तरफ से मैं एग्री हूं। बी. एस. पी. की तरफ से I am agreed. सुनिये, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने पिछली बार कहा था जब पर्चे आउट हुए थे, मैंने कहा था कि पर्चों को स्कूल में नहीं बल्कि पुलिस थानों में रखें और पुलिस थानों में रखना पड़ा। मैं कहता हूं, इसकी जिम्मेदारी ले लेता हूं कि अगर यह बजट लीक हो जाए तो मैं अपनी जान कुर्बान कर जाऊंगा। जब आपका बजट लीक हो गया...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि इसके आगे डिस्कस किस बात पर करेंगे ? जब बजट लीक हो गया, आउट हो गया तो बजट पर चर्चा क्या करेंगे ? आपको सोचना चाहिए, मुख्य मंत्री जी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तहलका आउट हो गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जगत सिंह जी, पहले ज्यादा लीक हुआ उसको सोचो।

श्री जगत सिंह दायमा : ... अगर ऐसी बात को, मुख्य मंत्री जी, इस बात के ऊपर भी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी, + + + को बिठाओ आप। (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी है, बैठिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : एक सैकण्ड। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर इस बात को हंसी खेल में लेते हैं तो यह दुर्भाग्य है, इस सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इसलिए अगर जिद्द है तो माननीय प्रद्युम्न सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मनुवादी, विराजो। मनुवादी जी।

श्री जगत सिंह दायमा : मनुवादी हैं, हम हैं तो पिछड़े परंतु आपसे ज्यादा अक्ल रखते हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो प्रोसीडिंग में है, प्रोसीडिंग के आधार पर जो सी. पी. जोशी ने कहा इस हाउस में, हम यह मानते हैं कि गवर्नमैंट की तरफ से कमिटमैंट था। गवर्नमैंट की तरफ से कमिटमैंट था और इसका जैसा मैंने कारण बताया, यह सारी घोषणा चीफ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में की गयी है। चीफ मिनिस्टर यदि एग्री नहीं करते तो उस समय कह सकते थे कि मैं इसको एग्री नहीं करता या वे कह सकते थे कि यह गवर्नमैंट का व्यू नहीं है। लेकिन सी. एम. साहब बैठे रहे। सी. पी. जोशी एक बात को बोलते रहे कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। हम तो यह मैं मानता नहीं कि सी. पी. जोशी अकेले हैं। हम में खेतसिंह जी भी हैं, हम में चीफ मिनिस्टर भी हैं। हम का मतलब कैबिनेट है और कैबिनेट का मतलब जोइंट रेस्पांसिबिलिटी का क्वेश्चन है। इस जोइंट रेस्पांसिबिलिटी के क्वेश्चन पर आप केवल सी. पी. जोशी की ऐसी स्थिति नहीं बनाना चाहते कि यह लोगों को

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मालूम हो जाए कि सी. पी. जोशी हाउस में कुछ भी बोल जाएं, यह सरकारी बात नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप ट्विस्ट कर रहे हो मैटर को। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप मैटर को ट्विस्ट मत करिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पहले पंचायती राज सम्मेलन में किया और अब विधान सभा में करा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब सब एक हो गये। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय, यह तो आपकी और इनकी भी लड़ाई हो सकती है। आप खेतसिंह जी की बात को हाउस में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यह भी हो सकता है, शेखावतों और राठौड़ों की लड़ाई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी बात सुन लीजिये, फिर आप नतीजे पर पहुंच जाएं। आप उनके पास बैठे हैं, थोड़ी बहुत तो सहानुभूति होनी चाहिए आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद : जोशी जोशी, हां, यह भी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों जोशी जोशी, फिर भी सहानुभूति नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इन जोशियों ने ही जोशीजी के पंचायती राज सम्मेलन में पंचायती करवा दी थी और अब विधान सभा में करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी बात कोई भी मंत्री बोले, फ्री हैं बोलने के लिए, मैं नहीं सकता कि ऐसे मसले में कोई मंत्री व्यक्तिगत राय इस हाउस में देता हो। कोई कन्वेंशन भी नहीं है। और व्यक्तिगत राय देता है तो यहां समझा जाता है कि वह आफिशियल ओपिनियन है। इसके अन्दर यदि आप देखना चाहें तो मैं आपको एक ही कोट कर देता हूं। यह कौल एण्ड शकधर है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कौल एण्ड शकधर सुरेन्द्र जी व्यास दिखाते–दिखाते... (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय से खाली एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि सी. पी. जोशी के व्यू को हमने मान लिया कि यह सरकार का व्यू है और "हम" शब्द का प्रयोग किया। फिर आप लोगों ने कल हो–हल्ला किया। उसके बाद में जब आप कंविंस हो गये और आपकी धारणा बन गई कि नहीं, सी. पी. जोशी ने कहा वही सरकार का व्यू है, फिर आपको हाउस एडजोर्न कराने की जरूरत क्यों पड़ी ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिलकुल सही है, सवाल बढ़िया पूछा है। सी. पी. जोशी का, जिस तरह से खेतसिंह जी ने कहा कि यह हमारी राय नहीं है, हमने इनका भाषण सुना और नहीं सुना। वह इसलिए नहीं सुना, जैसाकि मैंने पहले भी कहा था कि मामला यहां आकर केन्द्रित हो गया था कि यह मामला आफिशियल सीक्रेट एक्ट का बनेगा या नहीं बनेगा। आफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले में मंत्री महोदय बोले नहीं। बोले नहीं तो इनके भाषण में था क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्लीज, एक मिनट। (व्यवधान) नेता महोदय, मैं आपका बहुत आदर करता हूं।

श्री सांवर लाल : बाद में बोल लेना आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री जी आज यह कहें कि सरकार की जब यह ओपिनियन थी तो किस आधार पर आपने इनको बोलने नहीं दिया या आपने इनको टोका क्यों नहीं। तो, मुख्य मंत्री जी, रास्ता साफ है आपके लिए और मेरे लिए आप जिस चीज से सहमत हैं, आज उसकी घोषणा कर दीजिये कि यह केस आफिशियल सीक्रेट एक्ट में बनेगा। अगर आप जोशी जी की इज्जत बचाना चाहते हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो मिट्टी पलीज करना चाहते हैं, मिट्टी करना चाहते हैं, मिट्टी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके साथ में ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जोइंट रेस्पांसिबिलिटी का जो दायित्व है उसका निर्वहन करना चाहिए। ज्यादा तो अच्छा यह होता कि आप उसी समय खड़े होकर जोशी जी की बात का समर्थन कर देते। उस समय मौन रहे और मौन रहे तो आज आपको फिर मौका मिलेगा...

एक माननीय सदस्य : अब कर देंगे, साहब। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : नेता महोदय, आपको समझ जाना चाहिए था कि सरकार का व्यू क्या है। आज मैंने निवेदन किया है कि हम स्पीकर साहब को रिपोर्ट पेश कर देंगे, स्पीकर साहब जो निर्णय करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। इसके बाद में मैंने कहा कि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मौनम् स्वीकृति लक्षणम्। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मौनम् स्वीकृति है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्पीकर से क्या चाहते हैं आप ? (व्यवधान) स्पीकर साहब क्या एग्जामिन करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : व्यास जी को उठना ही जरूरी हो जाता है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्पीकर साहब ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया।

श्री अशोक गहलोत : आप रिक्वैस्ट करेंगे तो स्पीकर साहब मान जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ही रिक्वैस्ट क्यों करूं ? जब आपकी ही रिक्वैस्ट नहीं मानी तो मेरी रिक्वैस्ट का क्या असर होने वाला है ?

श्री अशोक गहलोत : आपकी उम्र का खयाल कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन के नेता की रिक्वैस्ट नहीं मानी तो मेरी रिक्वैस्ट कहां से मान लेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मना नहीं किया। मना तो नहीं किया। न, न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मना कर दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : स्पीकर साहब ने तो मना कर दिया। अध्यक्ष जी ने मना कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने पुनः निवेदन किया है कि स्पीकर साहब मेरा निवेदन सुन लें। आप मुझे एक मिनट तो दे दो। हमने पुनः निवेदन किया...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट नहीं, अब मैं बोलकर बैठ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मैं न निर्देश दूंगा, न कोई आदेश दूंगा, यह जो कुछ काम करना है वह सरकार को करना है।

श्री अशोक गहलोत : आप कहकर देखिये तो सही, फिर बात कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिये। अगर आप यही चांहते हैं कि आपकी ओपिनियन है...

श्री राजेन्द्र पारीक : इसका मतलब साफ साफ यह है कि स्पीकर साहब ने मैरिट के आधार पर इसको डिसअलाउ कर दिया है। अब बात खतम हुई है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी के मन में तो है कि यह मामला आफिशियल सीक्रेट एक्ट में बनाया जाए। मन में है लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है कि मैंने यदि यह एग्री कर लिया तो लोग मुझे खा जाएंगे और खास तौर से खेतसिंह जी...

मोहम्मद माहिर आजाद : खेतसिंह जी खा जाएंगे। खेतसिंह जी सीनियर हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपके मन में हो तो अब कह दीजिये कि यह मामला आफिशियल सीक्रेट एक्ट में है और उसके अन्दर केस रजिस्टर होगा, जो भी परिणाम निकलेंगे, हम भोगेंगे। (व्यवधान) यह अध्यक्ष महोदय के ऊपर आप क्यों छोड़ रहे हो ? इस मामले की ग्रेविटी को मुख्य मंत्री जी समझते हैं इसीलिए अध्यक्ष महोदय के लिए यह मामला छोड़ रहे हैं। अगर इस मामले की ग्रेविटी नहीं होती तो मुख्य मंत्री जी आपसे अपील नहीं करते कि आप फैसला करो। इनको तो एक सहारा चाहिए कि किस सहारे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के आधार पर मैं इस बात को एग्री कर लेऊं। वह सहारा आपसे चाहते हैं और आपने मना कर दिया सहारा देने के लिए। तब जो बात बची आपके लिए, मुख्य मंत्री जी कोई बात दूसरी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो कुछ कल सी. पी. जोशी ने यहां कहा है, जिस समय आप बैठे थे आपकी मौजूदगी में कहा, यह कमिटमैंट है, कन्सैन्ट है, सी. पी. जोशी जी पास में बैठे हैं...

श्री अध्यक्ष : कमिटमैंट होता तो यह विधि मंत्री जी ने उसी समय कोंट्राडिक्ट कर दिया। (व्यवधान) विधि मंत्री जी ने उसी समय कोंट्राडिक्ट किया था।(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री जी ने नहीं किया था। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : यह सी. पी. जोशी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, सरकार का मत नहीं हो सकता है। माननीय विधि मंत्री जी ने हाथों–हाथ कोंट्राडिक्ट कर दिया था। हाथों–हाथ किया था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सरकार की राय नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो ब्यावर जाओ, उसको सम्भालो। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : उस समय मुख्य मंत्री जी नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी आपसे करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्ष तो वहीं बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपसे करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष जी तो मेरे पड़ौस में बैठे हैं। (व्यवधान) आपकी एबसेंस में जब आप यहां नहीं थे, उपाध्यक्ष महोदय ने सवाल पूछा था पाइंटेड प्रश्न कि इन लोगों की मांग यह है कि इस मामले को सी. बी. आई. को रैफर कर दिया जाए...

श्री सी. पी. जोशी : सी. बी. आई. का नाम ही नहीं था।

श्री सांवर लाल : आफिशियल सीक्रेट एक्ट में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या आप चाहते हैं, आप मानते हैं इस बात को, आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं कि इस मामले के अन्दर यह केस रजिस्टर किया जाए। तो मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि आपने उनसे किस हैसियत से पूछा था और उन्होंने किस हैसियत में जवाब दिया था कि हम तैयार हैं ? आपने जिस हैसियत से पूछा तो क्या आप यह समझ रहे थे उस समय कि यह व्यक्तिगत राय दे रहे हैं या He is speaking on the behalf of the Govt. ? आपने यह माना। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किसी मंत्री से पूछते हैं तो मंत्री से कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं लेते। आज तक तो इस हाउस में चेयर पर बैठकर किसी ने भी पर्सनल ओपिनियन नहीं ली है। यह कायदा भी नहीं है। (व्यवधान) कोई पर्सनल ओपिनियन आपने भी ली हो कभी, आपने कोई हाउस संचालन के सम्बन्ध में या और किसी मामले में किसी आदमी को या किसी माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा हो तो हमने पूछा, यह नहीं है कि आप उसकी पर्सनल ओपिनियन ले रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि आप सीधा बताइये कि क्या सरकार इस मामले को आफिशियल सीक्रेट एक्ट में ले जाना चाहती है ? उन्होंने कहा, हां, हम करना चाहते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, यह कम्युनिकेशन पर्सनल लेवल पर हुआ है या आफिशियल लेवल पर इस प्रकार की बात हुई है ? इसलिए मैं कहता हूं कोई रास्ता नहीं है जिस रास्ते से आप सी. पी. जोशी साहब को...(व्यवधान) सब मिलकर मुझे तो बहुत सहानुभूति है उनके प्रति। मैं इसलिए समझता हूं कि ऐसी स्थिति में, मुख्य मंत्री जी, कोई रास्ता नहीं बचा है, इस मामले को आफिशियल सीक्रेट एक्ट में किया जाए, केस रजिस्टर करवा दीजिये। आधी सहमति तो आपकी इसमें हो जाती है कि आपने स्पीकर साहब को अधिकार दिया और आधी सहमति इसमें हो जाती है कि आपने उस समय सी. पी. जोशी जब बोल रहे थे, उनका कोंट्राडिक्शन नहीं किया। आधी सहमति भी इसमें इसलिए हो जाती है कि जिस समय खेतसिंह जी बोले उनका भी आपने समर्थन नहीं किया। तीनों में समर्थन नहीं किया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा है।

श्री अशोक गहलोत : मैं उस समय हाउस में नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप हाउस में थे। (व्यवधान) तब यह नहीं बोले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप हाउस में थे। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री जी असत्य* बोल रहे हैं। मुख्य मंत्री जी असत्य* बोल रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री जी हाउस में नहीं थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या आप इससे सहमत हैं ? जब ये नहीं बोले तो मैंने कहा कि अगर आप सहमत नहीं हैं तो खड़े होकर कह दें और अब आपने कह दिया कि मैं हाउस में नहीं था। आप हाउस में थे। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : आप असत्य* बोल रहे हैं। आप असत्य* बोल रहे हैं। (व्यवधान)

---

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री रामस्वरूप : उस समय हाउस में नहीं थे, बाहर चले गये थे। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने आप बैठे हुए चेयर पर फिर भी उपाध्यक्ष महोदय कह दिया। यह देखते हुए कि आप बैठे हुए हैं, गलती से और...

एक माननीय सदस्य : It is a slip of tongue.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलती हो गई मेरी।

श्री अशोक गहलोत : यह हो सकता है। जब राजेन्द्र राठौड़ ने यह बात कही, हो सकता है, हो–हल्ले में कुछ सुनाई नहीं दिया हो वरना मैं दो बार बाहर गया था। मुझे पता नहीं, खेतसिंह जी ने वापस जब बात कही। मुझे मालूम नहीं था, यह मेरे ध्यान में नहीं था। (व्यवधान)

(12.00)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : श्री राजेन्द्र जी ने पाइंटेडली पूछा है ,आपसे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बाहर चले गये थे...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजेन्द्र राठौड़ जिस भाषा में बोले, असल में अर्थ यह नहीं निकल सकता कि मुख्य मंत्री जी यहां सदन में मौजूद नहीं हैं। सदन में मौजूद थे यह।

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री रामस्वरूप : अब तो बारह बज गये, बारह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मान लो कि आप सदन में नहीं थे, सदन के बाहर नहीं गये, आप अपने आफिस में होंगे, और कहीं होंगे। आफिस में हों, बाहर कहीं हों और आपने इस मामले को सुना हो तो आप सदन में तुरंत आये क्यों नहीं और उसका खंडन क्यों नहीं किया ?

श्री हरिसिंह महुवा : यह क्या मतलब है ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं किया। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : विधि मंत्री जी ने खंडन कर दिया था मुख्य मंत्री जी के पहले ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खंडन नहीं किया है।

डा. के. सी. चौधरी : आप तो मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : ... आप लोग वित्त मंत्री को बोलने नहीं दे रहे थे। मैं जब हाउस में आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी, हालांकि मुझे भनक लग गई थी कि आप लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी है कि जैसे ही प्रतिपक्ष के नेता का भाषण होगा, हमें हल्ला करना है, त्याग–पत्र की मांग करनी है और हाउस को चलने नहीं देना है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बहुत होशियार आदमी हैं। और कहीं सी. आई. डी. का काम आपका चलता है या नहीं चलता है, हमारी ओपिनियन जानने के लिए आपकी इंटेलीजेंस बहुत सक्रिय है। लेकिन हमारी इंटेलीजेंस भी बहुत सक्रिय है...

डा. के. सी. चौधरी : आपने आज क्या प्लानिंग कर रखी है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कि आपको जब लोगों ने वहां जाकर अपने आफिस में कहा कि सी. पी. जोशी ने यह कह दिया है तो कहने लगे, मैं क्या करूं। यह भी बात हुई है। इंटेलीजेंस इतनी हमारी भी काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता...(व्यवधान) मैं दो बातों का फैसला आपसे करवाना चाहता हूं कि एक मंत्री बोलता है वह जोइंट रेस्पांसिबिलिटी का क्वेश्चन है या नहीं ? इसमें आप डिसाइड करना चाहें, हमें सुनिये, हम पूरी व्यवस्था के आधार पर आपको बताएंगे कि यह जोइंट रेस्पांसिबिलिटी का क्वेश्चन है। दूसरा इस बात का फैसला करिये, माननीय मंत्री महोदय ने कहा, चीफ मिनिस्टर साहब की उपस्थिति में कहा, चीफ मिनिस्टर बाहर थे तो आये नहीं, यह कहने के लिए नहीं आये कि यह गवर्नमैंट ओपिनियन नहीं है। और चीफ मिनिस्टर आज यह कहें कि आप प्रद्युम्न सिंह जी का भाषण नहीं सुन रहे थे, हम आपका रैस्पैक्ट करते हैं, आप बोलते हैं तो बैठ जाते हैं, किसी प्रकार का हा–हुल्लड़ नहीं होता। (व्यवधान) आपका यह कांफीडेंस क्यों खतम हो गया था कि मैं खड़ा होऊंगा तो मुझे बोलने नहीं देंगे ? अगर सदन के नेता को हम बोलने नहीं देंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। आप बिलकुल चिंता मत करिये। हम तो चाहते हैं आप बोलें, आपके बोलते ही वर्षा होती है। भगवान की कृपा से आप जितना बोलेंगे उतना ही राजस्थान का कल्याण होगा। लेकिन आप बोलते नहीं हैं। हमें तो शिकायत ही यह है कि आप मौन व्रत धारण किये हुए हैं। कल भगवान की कृपा से मौन टूटा...

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप कृपा कीजिये और विराज जाइये, वह सब समझते हैं।

श्री रामस्वरूप : वह तो सच बोलते हैं, सच। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : खेतसिंह जी को चीफ मिनिस्टर जी की तारीफ अच्छी नहीं लगी, कह रहे हैं बैठ जाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसलिए निर्णय आपको करना है और निर्णय केवल दो बात का नहीं, दो बात मैं फिर बता देता हूं, निर्णय आपको करना है। निर्णय इस बात का करना है कि कल जो सारी प्रोसीडिंग्स चली है, उस प्रोसीडिंग्स के बेसिस पर यह जोइंट रेस्पांसिबिलिटी का क्वेश्चन था या नहीं था। क्या सी. पी. जोशी जोइंट रेस्पांसिबिलिटी के नाते बोल रहे थे ? क्या सी. पी. जोशी ने एक घंटा बोलकर अपने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

व्यक्तिगत विचारों के लिए सदन का बहुत ही अहम समय लिया है ?

एक माननीय सदस्य : एक घंटा नहीं बोला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यक्तिगत विचारों के लिए कोई आदमी अलाउड नहीं है। कोई व्यक्तिगत विचारों के लिए अलाउड नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, और तीसरा मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो प्रश्न पूछा कि आप इस बात का जवाब दीजिये कि आप आफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुकदमा बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं। अब तीन बात हो गई। इन्होंने किस हैसियत में उनको पूछा ? क्या यह प्राइवेट मैम्बर थे इसलिए पूछा ? क्या प्राइवेट मैम्बर नहीं थे और इन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो इनकी मान्यता भी रही कि यह आफिशियल बात हो रही है, यह व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका फैसला जब तक नहीं होगा, उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, फिर मैं गलती कर रहा हूं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, (व्यवधान) यह ले लीजिये, मेरे पास पड़ी है...

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी प्रोसीडिंग्स को पेश करना चाहता हूं जिससे मेरी बात भी सामने आ जाए। I may also be given an opportunity.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट बैठें। एक ही मिनट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब आप काहे को बोल रहे हैं, आपकी बात की तो मान्यता है ही नहीं कोई।

श्री सी. पी. जोशी : आप बैठें, मैं बता रहा हूं। आपका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है ? आप मुझे कोट कर रहे हैं, मुझे अधिकार नहीं है ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों का अहम मसलों का फैसला नहीं हो तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए।

श्री सी. पी. जोशी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो तय था पहले से ही। पार्लियामैंट चली नहीं तो यही करना है आपको तो, इसके अलावा करना क्या है ?

श्री सांवर लाल : आपकी चलती नहीं तो क्या जवाब देंगे ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक पार्लियामैंट में डिसाइड नहीं होगा तब तक यह नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी प्रोसीडिंग्स पेश करना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले से डिसाइड है कि यह हाउस नहीं चलने देंगे...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रोसीडिंग्स...

श्री सांवर लाल : यह व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। यह व्यक्तिगत मामला है, बैठिये। यह किस हैसियत से बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : व्यक्तिगत विचार क्यों सुनें, साहब ?

श्री सी. पी. जोशी : साहब, मेरा रेफरेंस दिया जा रहा है, please, let me give an opportunity and I will explain...

डा. किरोड़ी लाल : यह किस हैसियत से बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह किस हैसियत से बोल रहे हैं ? यह डाक्टर सी. पी. जोशी बोल रहे हैं या यह सरकार बोल रही है, यह बताइये ? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं बता रहा हूं न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी जब हैसियत नहीं है, सरकार बोल रही है या सी. पी. जोशी बोल रहे हैं...

श्री सी. पी. जोशी : आप क्या चाहते हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब विपक्ष के नेता महोदय ने अपनी सारी बात कही तो दो मिनट तो सी. पी. जोशी को भी मिलने चाहिए कि वह भी अपनी बात को एक्सप्लेन करें। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : I am quoted. मेरा रेफरेंस दिया जा रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर आप मना कर देंगे। वह कहेंगे, आप कंट्राडिक्ट कर देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनको बोलने दीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : दो मिनट में अपनी बात खतम कर लूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो मिनट आप सी. पी. जोशी की बात भी सुनिये। वह भी इस हाउस के मैम्बर हैं, उनको भी यह राइट है कि वह अपना एक्सप्लेनेशन दे सकें। ख्वामख्वाह इनको डाक में खड़ा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी...

श्री रामस्वरूप : माननीय शिक्षा मंत्री जी को बोलने दो, आपकी पोल खुल जाएगी। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : दो मिनट अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप : शिक्षा मंत्री को बोलने दो, आपकी पोल खुलेगी।

श्री मदन दिलावर : यह क्या बोल रहे हैं, यह सरकार बोल रही है या...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यहां पर हाउस में किस हैसियत से बोल रहे हैं, आप अपनी हैसियत तो बता दें। अपनी हैसियत को प्रमाणित करें पहले, किस प्रकार की हैसियत से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, इसलिए नहीं बोलने दे रहे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सी. पी. जोशी की बात सरकार मानती तो है नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए आपको तो।

एक माननीय सदस्य : इसको एक्सपंज करिये, साहब। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्स बता रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट आप बोलने का मौका दीजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सी. पी. जोशी साहब, आपकी क्या हैसियत है यह सदन को बताया जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मदन दिलावर को बोलने दो...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : हैसियत क्या है, यह बता रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : मैं बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिये...

श्री सांवर लाल : प्रोसीडिंग्स तो सब के पास में है, हमारे पास नहीं है क्या ? इनके पास नहीं है क्या ?

श्री मदन दिलावर : सब के पास है प्रोसीडिंग्स।

श्री सांवर लाल : यह तो हाउस की प्रोपर्टी है सब।

श्री मदन दिलावर : सचिव महोदय बता रहे हैं, उनके पास भी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है, या तो सदन को स्थगित कर दें आप थोड़ी देर के लिए। यह क्या बात है, अध्यक्ष महोदय...

एक माननीय सदस्य : आप आसन को राय नहीं दे सकते। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को स्थगित क्यों करने दें ? इनके कहने से सदन को आप स्थगित करेंगे ? यह जैसा चाहते हैं उसके अनुसार से यह सदन नहीं चलेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सीधी–सी बात है, सारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने यह मांग रखी है कि आफिशियल सीक्रेट एक्ट में कार्यवाही होनी चाहिए। माननीय सी. पी. जोशी जी ने कहा कि इसमें सूचना देने वाला भी फंसता है तो रामूजी ने खड़े होकर कहा कि मैं फंसने के लिए तैयार हूं। फिर उसके बाद चेयर से डिप्टी स्पीकर साहब ने पूछा, सवाल यह है कि आप इस एक्ट में कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं या नहीं तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, बिलकुल तैयार हैं। तो यह कैसे प्राइवेट राय हो गई इनकी ?

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रोसीडिंग्स में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। (व्यवधान) सी. पी. जोशी।

अनेक माननीय सदस्य : नो, नो।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं बोलने देंगे, इनको चेयर ने अलाउ किया है। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस प्रोसीडिंग्स में एक–एक शब्द है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

एक माननीय सदस्य : x x x

श्री अध्यक्ष : अब अंकित हो।

एक माननीय सदस्य : x x x

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.09 बजे 14.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(तारांकित/अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(14.30)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अब काम ठीक है, आप ही के सामने एडमिट किया था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पवित्र सदन में इस बात को स्वीकार किया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द जी कटारिया। (व्यवधान) याचिका। याचिका। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : यह सरकार मुकदमा दर्ज नहीं कर पा रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुकदमा दर्ज करवाया जाए। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को नहीं चलने देने की इनकी जो नीयत है, क्या सदन में इसी तरीके से ये + + + से पेश आते रहेंगे ? (व्यवधान)

याचिका का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरा राम जी। (व्यवधान) श्री मोहन लाल जी मोदी। (व्यवधान)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कटराथल जिला सीकर को क्रमोन्नत हेतु

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कटराथल जिला सीकर को क्रमोन्नत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

अनेक माननीय सदस्य : आफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल जी मीणा।. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + आप कर रहे हो, हमारे ऊपर + + + कर रहे हो। + + + आप कर रहे हो। मुक़दमा दर्ज क्यों नहीं करवाते आप ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाइये आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप हठधर्मी छोड़ो, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001

श्री शांतिकुमार धारीवाल (नगरीय विकास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : + + + नहीं चलेगी आपकी। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों से नारेबाजी)

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान) + + +

एक माननीय सदस्य : बाहर निकालो, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के प्रस्तुत अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद। श्री के. सी. चौधरी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + + यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : ... उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं राज्य के मुख्य मंत्री अशोक

+++ शब्द/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. के. सी. चौधरी)

गहलोत को एक उनके मंत्रिमण्डल के साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : ... सुसज्जित विधान सभा के इस भवन में पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हो पाया है, इसके लिए राज्य के मुख्य मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ब्यावर की बात करो, ब्यावर की। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक की हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट "स्टडी आन इण्डिया, 2000" से ज्ञात होता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ... (भारी व्यवधान) मैं सदन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि साक्षरता प्रतिशत मापदण्डों एवं... (भारी व्यवधान) की वजह से... बाहर निकल चुका है। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान) + + + (व्यवधान) + + + (नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर, आर्डर। माननीय मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डा. करणसिंह यादव द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव और...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, बाहर निकालो इनको, सस्पैंड करो। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : ... राजस्थान की जनता अकाल, पानी और बिजली से प्रभावित है, आपको जनता की परवाह है कि नहीं ? (व्यवधान) राजस्थान की प्रगति 80 के दशक में हाइएस्ट थी और 90 के दशक में भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी... (व्यवधान) न्यूनतम रही है। ... साक्षरता के क्षेत्र में देश भर में अपना रिकार्ड स्थापित किया है और इन्हीं कारणों से राजस्थान बीमारू राज्यों की परिभाषा में से बाहर निकला है, यह राज्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है कि भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब कोटा पधारे थे तो उन्होंने राज्य सरकार की भूरि–भूरि प्रशंसा की थी, राज्य सरकार की परफारमेंस की प्रशंसा की थी। अब इस प्रशंसा को ये नकार...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

+++ नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. के. सी. चौधरी)

इस सदन का कीमती समय बरबाद करने पर प्रतिपक्ष अड़ा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको आर्डर में करें। राजस्थान 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में दूसरे नम्बर पर आया है। साक्षरता वृद्धि सम्पूर्ण देश में यहां सर्वोच्च स्थान पर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत पहली बार...(व्यवधान) 23 और 24 सितम्बर, 2000 को राजस्थानी सम्मेलन हो पाया है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

... गुजरात में आये भूकम्प में...(व्यवधान) तीर्थंकर भगवान महावीर की 2600वीं जयंती. ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 3.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.36 बजे 15.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(15.30 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

बजट लीक प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने निश्चित किया है कि जो विवाद इस हाउस में चल रहा है उसके सम्बन्ध में एफ. आई. आर. दर्ज करके जांच करवाई जाएगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : कौनसा विवाद चल रहा है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जिसकी प्राथमिक जांच की जा चुकी है उसको आधार बनाकर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : कौनसा विवाद ? बजट पर विवाद चल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय राजेन्द्र राठौड़।

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर सी. पी. जोशी जी ने कहा है वह...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने यह कहा है कि जिसकी प्राथमिक जांच वित्त विभाग ने कराई है उसकी एफ. आई. आर. दर्ज करके यह कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़। हां, बोलो आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तो कहें कि बजट के सम्बन्ध में कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

एक माननीय सदस्य : यह तो वित्त विभाग की जांच के आधार पर कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बजट के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है, आपने किस सम्बन्ध में कहा है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह अंडरस्टुड है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। माननीय राजेन्द्र राठौड़। विराजिए प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक प्रश्न। आप अपनी लैंग्वेज में जो उचित समझें वह बताएं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं कि जो जांच मुख्य सचिव और वित्त विभाग द्वारा की जा रही है उसके सम्बन्ध में एफ. आई. आर. दर्ज करके कार्यवाही की जाएगी, राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या होगा ?

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस सरकार को आखिर सद्बुद्धि तो दी। जब से सदन आहूत हुआ है तब से एक ही प्रकरण सदन में ज्यादा चर्चा का विषय बना। बजट लीक प्रकरण न केवल हमारे प्रदेश में चर्चा का विषय बना बल्कि पूरे देश में इस चीज की चर्चा हुई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, गवर्नर एड्रेस। बजट कल–परसों वापस आएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर आप फरमाएं, वह लीक–वीक खतम हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नर एड्रेस प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है कि सरकार का बजट वित्त मंत्री जी की अटैची से निकले इससे पहले धन्ना सेठों के पास पहुंच गया और उसी का परिणाम रहा कि...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विषय पर आइये।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नर एड्रेस पर बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार के सेल्स टैक्स विभाग को छापा मारकर कालाबाजारी को रोकने का प्रयास करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, यह महामहिम राज्यपाल महोदय की संवैधानिक मजबूरी रही कि उन्हें ऐसी सरकार का अभिभाषण इस पवित्र और नये सदन में पढ़ना पड़ा जिस सरकार के लिए न तो राज्यपाल के अभिभाषण की कोई मान्यता है, न कोई सैंक्टिटी है और न इस बजट की। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इससे पहले इस सरकार ने 8 मार्च, 1999 और 23 मार्च, 2001 को दो अभिभाषण राज्यपाल महोदय के मुख से यहां पढ़वाये और दोनों अभिभाषणों में सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ने लम्बी–चौड़ी घोषणाएं करवाई। दोनों अभिभाषणों की आखिर में इतिश्री ऐसी हुई कि राज्यपाल महोदय के मुख से कराई गई एक भी घोषणा का क्रियान्वयन सरकार ने नहीं किया। यह पहली सरकार है, उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी न तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिन चीजों का जिक्र हुआ या जिन बातों की घोषणा हुई उनको पूरा करने में कोई दिलचस्पी है, न ही बजट में। सरकार को तो एक ही चीज मे दिलचस्पी है कि रोज समाचार–पत्रों में मुख्य मंत्री जी और उनके मंत्रिमण्डल के अन्य सहयोगियों की, विशेष तौर पर स्वायत्त शासन मंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी ने होड़ लगा रखी है, रोज तस्वीर छपे। उपाध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको क्या जलन है ? मेरी फोटो छपती है तो इनको क्या जलन है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जलन इस बात की है कि आपके फोटो छपने लायक नहीं हैं और फिर भी छपते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा भाषण वित्तीय अनुशासन, मितव्ययता, सादगी का इस सरकार ने दिया, परन्तु बदले में किया क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सत्र में एक सवाल किया था, मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 में सरकारी खर्चे से कितने विज्ञापन मुख्य मंत्री जी और मंत्रीगणों की फोटो के साथ छपे। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब सरकार के पास नहीं था, सरकार ने उस सवाल को स्थगित करा लिया। जो मेरी जानकारी है, उपाध्यक्ष महोदय, इस मितव्ययी सरकार ने जो अपने आप में सादगी की बात कहती है, जबकि राजस्थान की गरीब जनता अकाल से पीड़ित है, राजस्थान में पानी का हाहाकार है, वर्ष 1999–2000 में सरकारी, अर्द्ध सरकारी, जे. डी. ए., आर. एस. आर. टी. सी. इन संस्थाओं ने एक–दो नहीं 22 करोड़ रुपये खर्च किये। मुख्य मंत्री जी का महिमामण्डित कैसे हो, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी की तस्वीर जयपुर में बड़े–बड़े होर्डिंग से लेकर समाचार–पत्रों में कैसे छपे, इसके लिए खर्च किये। 2000–2001 में 32 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किये। अब यह सरकार किस तरह मितव्ययता और सादगी की बात कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार ने इस वर्ष जो महामहिम के श्रीमुख से अभिभाषण पढ़वाया है उसके पृष्ठ–26 पर प्रदेश में शांति, कानून–व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बनाये रखने का संकल्प दोहराया है। उपाध्यक्ष महोदय, दूर जाने की जरूरत नहीं है, आज ब्यावर में क्या हो रहा है ? आज नसीराबाद में क्या हुआ ?

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : जो आपने किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसी चार तारीख को, उपाध्यक्ष महोदय, एक—दो नहीं... (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : यह बता दीजिए कि यह कौन करा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नसीराबाद को सेना के हवाले करना पड़ा, ब्यावर के अन्दर सेना बुलानी पड़ी, सुजानगढ़ में कर्फ्यू लगाना पड़ा, जयपुर में दंगे हुए। आपने तो एक बहुत बड़ी बात कही थी कि पुरानी जो भाजपा की सरकार चल रही थी, उसमें कानून—व्यवस्था चौपट हो गई। मुख्य मंत्री जी, आपने तो लोगों को पारदर्शी और संवेदनशील शासन देने का वादा किया था। शायद आपके दिमाग में यह था कि आप शासन में आएंगे और सचिवालय में जाते ही राजस्थान में हत्याएं, बलात्कार बंद हो जाएंगे। आपने किस तरह का शासन दिया ? उपाध्यक्ष महोदय, जनवरी, 2000 से जनवरी, 2001 के बीच में 1427 हत्याएं हुई, 103 जगह डकैती पड़ी, 958 जगह लूट हुई, 15656 जगह बलवा हुआ, 1242 बलात्कार हुए। उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरी लम्बी—चौड़ी सूची को देखें तो राजस्थान में प्रतिदिन किसी न किसी हिस्से में चार से लेकर पांच हत्याएं होती रहीं। राजस्थान के अन्दर प्रतिदिन चार महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहा। मुख्य मंत्री जी भाजपा सरकार के समय हर बलात्कार में दौड़ कर एक बयान दिया करते थे कि तत्कालीन मुख्य मंत्री इस्तीफा दे दें। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस तरह की कानून—व्यवस्था आपने की ? आज हालात क्या हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान से लगी हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय आप तत्कालीन सरकार में विराजे हुए थे, 1987 में जैसलमेर जिला जो भारत—पाक की सीमा के साथ जुड़ा हुआ जिला है, उस जिले में जिन लोगों को अराष्ट्रीय गतिविधियों के कारण तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रासुका में बन्द किया, मीसा में बन्द किया, डी. आई. आर. में बन्द किया, जिन्होंने सामरिक महत्व के दस्तावेजों को इस देश की सीमा के बाहर पाकिस्तान में पहुंचाया, आज इन जिलों के अंदर वे लोग सत्ता का केन्द्र बिन्दु बने हुए हैं। आज आई. एस. आई. की गतिविधियां कितनी चल रही हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। रोज समाचार पत्रों में आप पढ़ते हो, समाचार पत्रों में यह बात भी आती है। आई. एस. आई. गतिविधियों का सूत्र दूर नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोगों की तरफ सन्देह की सूई घूमती है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर...(व्यवधान) मैं जैसलमेर जाकर आया हूं, कल्ला साहब, और मैं सात दिन घूमा हूं, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इधर—इधर। आर्डर—आर्डर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1987 में इसी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कांग्रेस गवर्नमैंट ने जिन लोगों को रासुका में बन्द किया उनकी ताजपोशी कर रखी है। कल्ला साहब, आप छाती पर हाथ रखकर कहो...

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : पूरा छाती पर हाथ है, पूरा कण्ट्रोल है। आपने जो आरोप लगाया है वह मिथ्या आरोप है। मैं दावे से चैलेंज करता हूं आपको, इस तरह से आप बात न करें। सदन को गुमराह नहीं करें। लोकतांत्रिक सत्ता में सबको अधिकार है; लोग चुनकर आते हैं। लोगों ने चुनकर भेजा है, जिनको भेजा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) परिवार के लोग जासूसी में पकड़े जा रहे हैं और आज फिर भी आप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ...(व्यवधान) आप सदन में नहीं होते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अंदर नकली नोटों का प्रचलन इतना हो रहा है कि नकली नोट के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था पर चोट करने का प्रयास किया जा रहा है। उसे रोकने का प्रयास करने के अंदर राजस्थान की हुकूमत पूरी विफल हो जाए, मैं समझता हूं छोटी–मोटी बात नहीं है। जैसलमेर और बाड़मेर की जो स्थिति बनी हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हम पांच माननीय सदस्यों का एक दल गया था। सारे बोर्डर इलाके में सात दिन रहकर वहां जाकर घूमे, लोगों से मिले। उपाध्यक्ष महोदय, हालात बड़े विचित्र बने हुए हैं। समय रहते सरकार नहीं चेती तो देश की सीमा सुरक्षित नहीं बचेगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ढाई साल हो गये, इस सरकार की आधी उम्र चली गयी, अब मुख्य मंत्री जी यह नहीं कह सकते कि पिछली सरकार ने यह किया। मुख्य मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इन ढाई वर्षों में ढाई सौ बार एक ही बात कही कि हम काम कहां से करें। आज राजस्थान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी गांवों से विराजते हैं, गांवों में पधारते हैं, राजस्थान में गांवों में विकास के नाम पर पूरी शून्यता है, विकास के काम ठप्प हो गये। बार–बार जब भी बात चलती है तो सरकार एक ही बात कहती है कि राजस्थान का खजाना खाली हो गया। इन्होंने तो 1999 में राज्यपाल महोदय के मुख से यह कहलवा दिया कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी, राजस्थान कर्जे में डूब गया। इन्होंने कहा था कि कर्जा आधारित अब योजना बनाना ठीक नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के दाम 80 प्रतिशत से लेकर 120 प्रतिशत तक बढ़ा दिये, सिंचाई की दरें दुगनी कर दीं, बच्चों की फीस को 150 गुना तक बढ़ा दिया। राजस्थान की हुकूमत से आज कोई वर्ग खुश नहीं है। हुआ क्या? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इन्होंने श्वेत–पत्र जारी करके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की कि राजस्थान को पहले की सरकार ने कर्जे में डुबो दिया और ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे। लम्बी—चौड़ी बात एक श्वेत—पत्र के माध्यम से कही। परन्तु आज हालात क्या हैं वित्त मंत्री जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। आपने भी श्वेत—पत्र जारी करके कहा था 31 मार्च, 1990 में जिस वक्त आपने शासन छोड़ा आपका श्वेत—पत्र यह कहता है कि उस समय राजस्थान में कर्जा और देनदारियां थीं 6,127 करोड़ और प्रति वर्ष ब्याज अदायगी करनी पड़ती थी 437 करोड़। 31 मार्च, 1999 को जब आपने वापस शासन संभाला तब कर्जा हो गया 23,840 करोड़ और ब्याज की देनदारियां हो गयीं 2,217 करोड़। अब आपने एक वर्ष में क्या किया ? 31 मार्च, 2000 इन्होंने कहा कि कर्जा नहीं लेना चाहिये। राजस्थान की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। इसी सरकार के समय में 31 मार्च, 2000 को कर्जा हो गया 29,697 करोड़ और ब्याज की एक वर्ष की अदायगी हो गयी 2,825 करोड़। 31 मार्च, 2001 को यह कर्जा बढ़कर हो गया 33,794 करोड़ और ब्याज की अदायगी हो गयी 3,378 करोड़ और 2002 में जो बजट एस्टीमेट आये हैं उनके अनुसार आज राजस्थान पर कर्जा है 38,865 करोड़।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर चाहे आप हों, चाहे गांवों में बैठा हुआ किसान हो, आज राजस्थान के हर व्यक्ति पर 8,833 रुपये का कर्जा इस राजस्थान की हुकूमत में है। इन्होंने बहुत लम्बी—चौड़ी बातें कही थीं। इन्होंने कहा था कर्जा लेना गलत बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कोई दुःखी है तो राजस्थान का किसान दुःखी है। क्योंकि इसी सरकार ने जब वोट लेने थे तब किसानों को जाकर कहा कि आप कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 37 नये पैसे प्रति यूनिट में आपको बिजली देगी। जिस सरकार ने घोषणा पत्र में अशोक जी गहलोत ने अपनी मुस्कराते हुए फोटो छपाई, उस सरकार ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आयी तो पांच हॉर्स पॉवर तक किसानों के कृषि कनेक्शन में पांच खम्भे निःशुल्क देगी। इसी सरकार ने कहा था कि कांग्रेस नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक यानि इस वर्ष तक जो हमारा विद्युत उत्पादन है उस क्षमता को पांच हजार मेगावाट तक ले जाएगी। इसी सरकार ने यह कहा था कि कांग्रेस के शासन में आते ही तीन वर्ष में राजस्थान के अंदर हरिजनों, एस. सी. व एस. टी. की कोई बस्ती बचेगी नहीं जहां बिजली पहुंचाने का काम हम नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हालात क्या बन गये ? सरकार ने लम्बी—चौड़ी बात तो कह दी लेकिन आज गरीब किसान और उपभोक्ता की कमर तोड़ दी। यही कारण है कि रोज मुख्य मंत्री जी बयान देते हैं कि किसानों के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिए बड़ी चिन्ता है, किसानों को आठ घण्टे बिजली दी जा रही है। मुख्य मंत्री जी, किसानों को कितनी बिजली मिल रही है यह तो आपको खुद अनुभव हो गया होगा क्योंकि आप मौलासर पधारे थे। पिछले दरवाजे से आपको भागना पड़ा। आप गंगानगर गये थे, आप पुलिस की सुरक्षा में कार्यक्रम को बीच में छोड़कर भागे। अभी जोधपुर के अंदर...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : एकदम असत्य है। आप गलत बोल रहे हो।

एक माननीय सदस्य : आप बहुत गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्षजी, इन लोगों की ऐसी स्थिति थी कि बिजली के टाइम में ये इलाके में जा नहीं सकते थे। यह सदन को गुमराह क्यों कर रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : ... आपने देख ही लिया उस सरकार ने 446 करोड़ रुपये देकर एक इतिहास बनाया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राधेश्यामजी, मैं आपको पूछता हूं कि वहां तिरंगों से ज्यादा काले झण्डे कहां से आ गये ? आपने क्यों मुख्य मंत्री जी को कहा...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : किसी अखबार में छपा क्या कि आगे काले झण्डे हैं ? ये आप लोगों को ही मिलते होंगे। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे पुराने मित्र और बिजली आन्दोलन की बुनिया पर अपनी राजनीति चालू करने वाले डा. चन्द्रभान जी, + + + अभी जोधपुर गये थे न, बड़ी फूलमाला से आपका स्वागत हुआ, क्यों नहीं आप उद्घाटन करने गये ? उनियारा में क्या हुआ आपके सामने ? झुन्झुनूं में मुख्य मंत्री जी को ले जाना चाहते थे, बड़े–बड़े विज्ञापन जारी कराये थे। आपने करोड़ों रुपये के विज्ञापन जारी करके अपनी फोटो...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : मैं चूरू में आपके साथ भी था, तब क्या हुआ और क्या कर लिया आपने ? मैंने शाम को आपके साथ चलकर किसानों की बातें सुनीं। देखिये, पॉवर सैक्टर रिफार्म्स करने हैं तो कुछ आप जैसे लोग जो विरोध करते हैं, उनको सहन करने के लिए भी सरकार तैयार है।

श्री जगत सिंह दायमा (बानूसर) : आप जाते हो तो जनता शर्म करती है वैसे नहीं करती आपकी शर्म। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सही है कि ऊर्जा मंत्री जी चूरू आये थे। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : आप साथ जाएंगे तो बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सशपथ सदन में इस बात को कहता हूं अगर मैं नहीं होता, ऊर्जा मंत्री जी को पूछो सड़क पर क्यों रुक गये थे। अगर मैं नहीं होता, किरासर गांव के अंदर जब यह उद्घाटन करने गये थे तो पुलिस का एस. पी. + + + कि हमारी बात रख लो और ऊर्जा मंत्री जी को आने दो। वह पंडाल जहां यह अपनी पट्टिका का अनावरण कर रहे थे वहां तीन आदमी थे और जहां मैं खड़ा था वहां, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सशपथ कह रहा हूं, एक ट्रैक्टर पर मंच लगा कर तीन हजार किसान सामने खड़े थे और हाय–हाय कर रहे थे। यह लोकप्रियता है...(व्यवधान)

श्री महेश जोशी : इसका मतलब यह हुआ, माननीय राजेन्द्र राठौड़ जी, आप दंगा नहीं कराएं तो दंगा होता ही नहीं है। आप खुद इस बात को कह रहे हैं। आप दंगा नहीं कराएं, आप चुप रहें तो दंगा होता ही नहीं है। आप साथ रहें तो ऊर्जा मंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं, आप अगर विरोध करें तो कुछ भी नहीं होता। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री बने दो साल साढ़े चार महीने हो गये हैं, एक दिन तो आप साथ थे बाकी दिन कौन साथ है ? मैं एक महीने में 15 दिन दौरे करता हूं। आप जो कहते हो न कि बिजली की दरें बढ़ायी हैं, इस सदन के सामने एक हजार आदमियों को इकट्ठा नहीं कर पाया आपका भारतीय किसान संघ। कोई विरोध नहीं है बिजली की दरों का। (व्यवधान) मैंने अभी दौरा किया, अभी 12 अप्रेल को मैं राणोली गया, उसके बाद मोलासर गया, दोबारा बावड़ी और उसके बाद जोधपुर गया। (व्यवधान) मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप जो तारीख तय करोगे उस दिन मैं चूरू जाऊंगा और आपको जितना विरोध करना है, पता लग जाएगा आपकी हैसियत क्या है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, हजारों लोग दिखाई नहीं दिये उनको...(व्यवधान) मंत्री जी को तो हजारों लोग दिखाई नहीं दिये। + + + जिनको हजारों लोग दिखाई नहीं दें भारतीय किसान संघ के। (व्यवधान) हजारों लोग भारतीय किसान संघ के इस सरकार को... (व्यवधान) यहां आये थे।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने बंद का कॉल दिया था बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए, कोई जनता का समर्थन नहीं मिला आपको। आपने कहा हम ट्रैफिक को नहीं रोकेंगे, आवश्यक सेवाओं में हम दखल नहीं देंगे, स्कूल, कालेज बंद नहीं करेंगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला। आज बिजली की दरों को बढ़े

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. चन्द्रभान)

हुए करीब एक महीना होने को आया, पूरे राजस्थान में आप 50 आदमियों को इकट्ठा करके धरना और प्रदर्शन नहीं करवा सकते। इस सरकार को जनता का समर्थन है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनको तसल्ली है बिजली की दरें बढ़ा कर, राजस्थान के किसान को मार दिया आपने। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आपने कहा था बस्सी में मत आना, मैं जटवाड़ा में गया था, आपके साथ पांच आदमी नहीं थे, आप खुद मेरे मंच पर आकर बैठ गये वहां पर।

श्री मदन दिलावर : ऊर्जा मंत्री जी, थोड़ा बारां जिले में जाकर तो देखें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इतनी दरें इन्होंने बढ़ा दीं, इनके स्वागत के लिए कौन तैयार है राजस्थान के किसान, हम को बता तो दो। (व्यवधान) टोडारायसिंह और मालपुरा में... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं ऊर्जा मंत्री जी को चैलेंज कर रहा हूं कि ऊर्जा मंत्री जी बारां जिले की सीमा में घुस कर देखें। बारां जिले का किसान...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आप विराजिये, सांवर लाल जी।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इटावा में गया था और यह नजदीक नहीं आ पाये। इटावा में पांच हजार लोग इकट्ठे रहे, कोई इनके साथ नहीं जुटा पाये। (व्यवधान) जहां आप कहोगे वहां मैं चलने को तैयार हूं, जनता जानती है कि यह सरकार ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रम राज्य के हित में कर रही है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ऊर्जा मंत्री जी बारां जिले में जाकर देखें। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : और आप क्या बोलते हो, आपका प्रधान मंत्री प्रशंसा करता है, आपकी सरकार का ऊर्जा मंत्री प्रशंसा करता है राजस्थान के पावर सैक्टर रिफार्म्स की।

श्री मदन दिलावर : मैं ऊर्जा मंत्री जी को चुनौती दे रहा हूं कि वह बारां जिले की सीमा में प्रवेश कर देखें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब तो बैठो आप। आप बैठो तो वे भी बैठें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कोई माननीय सदस्य सही तथ्य रख रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऊर्जा मंत्री जी के स्वागत, सत्कार और इन्होंने जो बिजली की दरें बढ़ायी हैं उससे जनता कितनी खुश है। ऊर्जा मंत्री जी, झुंझुनूं आपका गृह जिला है न ?

डा. चन्द्रभान : हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या हुआ था झुंझुनूं में ? क्या हुआ था उनियारा में ?

डा. चन्द्रभान : क्या हुआ था ? कुछ नहीं हुआ। झुन्झुनूं में मेरा स्वागत होता है और होगा। आगे भी होता रहेगा, आप चाहे जितना विरोध कर लो। चूरू में भी स्वागत होगा। आप जो तारीख तय करोगे उस दिन मैं चलूंगा झुंझुनूं, चूरू और सीकर। आप लोगों को गलतफहमी है, जनता आपके साथ नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जिस तरह से मंत्री जी ने 132 के. वी. जी. एस. एस. का उद्घाटन किया, वह ऐतिहासिक था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, इधर देख कर बोलें आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब तक आप ऊर्जा मंत्री जी रहे स्वागत होगा, उसके बाद क्या होगा, यह देखना।

डा. चन्द्रभान : उसके बाद भी स्वागत होगा, मैडम। पावर सैक्टर रिफार्म्स के परिणाम दो साल, पांच साल के बाद आएंगे। तब आप और हम पता नहीं रहें या नहीं रहें, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार को, अशोक गहलोत की सरकार को पूरे देश में याद किया जाएगा, ऊर्जा के क्षेत्र में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

श्री केसाराम चौधरी : आपको बिजली की बढ़ायी हुई रेट्स वापस लेनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बिजली हो गयी अब आगे चलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी सहानुभूति है ऊर्जा मंत्री जी से, मेरे मित्र हैं ऊर्जा मंत्री जी। आप अब तो बड़े जोश से बोल रहे हैं, इस सदन में तो सुरक्षा प्रहरी भी हैं और आप 153 की संख्या में बैठे हैं और हम 33 की संख्या में बैठे हैं, मैं आपको राय दे रहा हूं...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप बाहर चलिये न। आप बार—बार क्या कहते हैं, आप बाहर चलिये। आपने खुद ने यह बात कही है। मैं जनता के बीच में और सड़कों पर संघर्ष करके यहां पर आया हूं। आप बाहर चलिये, आपकी जो भी चुनौती है वह मेरे को स्वीकार है और इस सरकार को स्वीकार है। क्या बात करते हैं...(व्यवधान) कौन सुरक्षा प्रहरियों के बीच में बैठा है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऊर्जा मंत्री जी, हम नहीं, राजस्थान का किसान, राजस्थान का मजदूर, राजस्थान का गरीब आदमी ताजपोशी के लिए तैयार है, जरा सदन से बाहर आकर आप फैसला तो कर लें। आपने जो चुनौती दी है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर तारीख तय कर लें, अगर ऊर्जा मंत्री जी चूरू की धरती पर पांव रखें तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा।

डा. चन्द्रभान : चलिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह फैसला आप के ऊपर छोड़ता हूं। आप जो भी तारीख तय करेंगे उस दिन मैं चूरू आऊंगा और इस्तीफा कौन देता है, यह पता चल जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, पता चल जाएगा। आ जाओ मैदान में। उस दिन तो, ऊर्जा मंत्री जी, मैंने बचा लिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मैं उपाध्यक्ष महोदय पर छोड़ता हूं, जो भी तारीख तय करेंगे मैं चूरू जाऊंगा। राजस्थान के किसी भी कोने में जाने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप विराजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, ऊर्जा मंत्री जी को धमकी दे रहे हो क्या आप ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राय दे रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : धमकी तो नहीं दे रहे आप ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : न, न, धमकी कहां दे रहा हूं, राय दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय सदस्य, बिजली पर कई दफे बहस होगी, और कोई सब्जैक्ट पर बोलें अब आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अब तो जब तक सदन चलेगा, बिजली के झटके यों ही लगते रहेंगे और यों ही ऊर्जा मंत्री जी अपनी कुर्सी से... (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : उपाध्यक्ष महोदय, इनको तहलका में बुलाओ। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात की तो गलतबयानी हो रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि संघर्ष के कारण सत्ता में आया हूं, भाई, कांग्रेस के कारण सत्ता में आये हो। संघर्ष तो हम कर रहे हैं, कहां हैं सत्ता में ? कांग्रेस से बाहर आओ और फिर सत्ता में आकर दिखाओ। चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी में थे, उसी में आओ साथ में। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : कांग्रेस संघर्ष करके सत्ता में आयी है, कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष किया है।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर आएगा, मैं बताऊंगा कि कैसे—कैसे संघर्ष किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय जा रहा है, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो न तो। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हां, ऐसे नहीं है। संघर्ष के कारण नहीं कांग्रेस के कारण आ गये लोगबाग। इन्होंने जो + + + किये उसके कारण आप सत्ता में आ गये और आप राजी हो रहे हो। अब के आप + + + कर रहे हो और हम सत्ता में आएंगे, कह रहे हैं इस बात को। कांग्रेस के कारण तीसरी शक्ति सत्ता में आएगी। दोनों मरेंगे + + +

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : हम का मतलब तीसरी शक्ति, यह जोशी जी वाला हम नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऊर्जा मंत्री जी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को बार–बार टोक रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि 1990 में किस पार्टी के संघर्ष के द्वारा आये ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : 1990 में आप कौनसी पार्टी में थीं ? आप बताओ, 1990 में कहां थीं ? बाद में कहां थीं और 1990 से पहले आप कहां थीं, आप भी जरा बताइये। (व्यवधान) मैं जनता दल में था, लोकदल में था और चौधरी अजीत सिंह जी के साथ कांग्रेस में आया और कांग्रेस में ही हूं। 6 साल तक मैंने कांग्रेस में विपक्ष की राजनीति की। मैं कोई सीधा सत्ता में नहीं आया। आप तो उन लोगों में से हो, जब जनता दल का विभाजन हुआ, सबसे पहले कांग्रेस में भागे थे और उसके बाद आप कांग्रेस में रहीं। पहले कांग्रेस में रहीं, बीच में लोकदल में रहीं। आपने एक बार कहा था झुन्झुनूं में, मुझे याद है, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य को कि मैंने पार्टी इसलिए नहीं छोड़ी कि मुझे टिकट नहीं मिला। अब की बार आपको टिकट नहीं मिला और आपने पार्टी छोड़ दी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, छोड़ दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत हो गया, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री जी ने एक–दो बार नहीं कई बार बयान दिये कि राजस्थान की सरकार ने पिछले वर्ष 100 करोड़ रुपये और इस बार 180 करोड़ रुपये किसान को आठ घंटे बिजली देने के लिए खर्च किये। उपाध्यक्ष महोदय, इसी फरवरी महीने के अंदर, मैं इसी फरवरी की बात कर रहा हूं, राजस्थान के अन्दर 22 जगह किसान सड़क पर आया। किसान ने सड़क पर आकर रास्ता जाम किया। किसान को अगर बिजली मिलती तो आन्दोलन नहीं करता। इसी महीने की चार तारीख को जब आपने बिजली की दर बढ़ायी, राजस्थान का गांव और कस्बा, राजस्थान के गली और कूचों में स्वतः ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और इस सरकार के विपक्ष में अपना गुस्सा जाहिर किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान) ये दरें इन्होंने कितनी बढ़ायी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वह बानगी प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(16.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 1999 के पहले एक प्रगति प्रतिवेदन जो इन्होंने दिया उसके अन्दर दरों का उल्लेख किया है, नवम्बर, 1999 के बाद जो दरें बढ़ीं उसका उल्लेख

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया है और अब जो नियामक आयोग ने दरें बढ़ायीं उसका भी उल्लेख किया है। ऊर्जा मंत्री जी, घरेलू बिजली की दर प्रथम 50 यूनिट प्रति माह नवम्बर, 1999 के पहले...(व्यवधान) हां, बिलकुल बिजली पर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है ? राजस्थान में सबसे ज्वलन्त समस्या है बिजली की, मैं बिजली पर अपनी बात रखना चाहता हूं। (व्यवधान) अब ये बीच–बीच में टोक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, कृपया एक बात का जरूर खुलासा कर दें कि चूरू जिले में कितने जी. एस. एस. 132 और 33 के हैं लगे हुए ? आपके समय कितने लगे और डा. चन्द्रभान के समय में कितने लगे ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : काश्तकारों को बिजली चाहिए, ट्रांसफार्मर्स को चाटें क्या ?

श्री राजेन्द्र पारीक : ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने मुख्य मंत्रियों और ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग बुलाकर यह कह दिया कि आपको विद्युत की दर बढ़ानी पड़ेगी वरना राजस्थान सरकार विद्युत की दर नहीं बढ़ाती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रवण कुमार जी, विराजिए। मेहरबानी करके माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। अवसर आये जब आप जवाब दे देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसी तरह से हाउस चलेगा तो बोलना हमें भी आता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : बोल कहां रहे हैं, वह तो थाने की डायरियां पढ़ रहे हैं। बोलते तो हम सुनते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और क्या कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं तो ?

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, बोल नहीं रहे हैं, थाने की डायरियां लेकर आये हैं। फलां यह बलात्कार हुआ, फलां यह बलात्कार हुआ। तुलना करिए आप कि भाजपा के समय में कितने बलात्कार हुए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ये बलात्कार की बात करते हैं, तनु और शालिनी काण्ड की भी आप चर्चा करिए कि आप ही की पार्टी के लोगों के द्वारा किस तरह से शालिनी का शोषण किया गया। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए प्लीज। जगत सिंह जी, विराजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य सचेतक जी को वहां से हटा दें, यह कह रहे हैं। आप इनको हटा दो और भाषण शुरू करो।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं।

एक माननीय सदस्य : स्वयंभू सरकार है यह तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि नवम्बर, 1999 से पहले घरेलू बिजली प्रथम 50 यूनिट तक प्रतिमाह 112 पैसे प्रति यूनिट में मिलती थी। नवम्बर के बाद में ऊर्जा मंत्री जी ने आते ही उसको बढ़ाकर 155 पैसे किया यानी वर्ष 1999 में इन्होंने घरेलू बिजली जो 50 यूनिट से कम है, गरीब आदमी एक बल्ब–दो बल्ब जलाए, उसका 43 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया। अब 01 अप्रेल से बढ़ी हुई और बढ़ायी है, वह इन्होंने कर दी एक रुपया सत्तर पैसा प्लस 50 प्रैसा फिक्स चार्ज प्रति यूनिट, यानी 50 यूनिट है वह 50 रुपये बोलेंगे। इस तरह 108 पैसे अर्थात् एक रुपया आठ पैसा। राजस्थान के इतिहास में दो वर्षो के अन्दर इतनी बढ़ी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई। 85 प्रतिशत विद्युत दरों में बढ़ोतरी कर दी। जो उपभोक्ता 50 यूनिट से ज्यादा बिजली काम में लेता है, नवम्बर, 1999 से पहले उसकी दर 133 पैसे से 165 पैसे प्रति यूनिट थी। नवम्बर, 1999 के बाद इन्होंने बढ़ाकर कर दी 220 पैसें, यानी 87 पैसे तो इन्होंने पिछले साल बढ़ा दी और अब इन्होंने कर दिया दो रुपये पिचहत्तर पैसे। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी सोचें, आप भी भीलवाड़ा जाएंगे, भीलवाड़ा का नागरिक आपसे भी सवाल पूछेगा। 2 रुपये 75 पैसे प्लस 75 रुपये फिक्स चार्ज के नाम से और उपभोक्ता की जेब काट ली। यानी इन्होंने सत्ता में आने के बाद एक रुपया बयालीस पैसे प्रति यूनिट प्लस फिक्स चार्ज अलग से यानी 110 प्रतिशत, 50 यूनिट से ज्यादा जो घरेलू उपभोक्ता बिजली का उपयोग करता है उसमें बढ़ोतरी कर दी।

अब ये किसान की बात कहते हैं। वोट लेना था तब तो जिसको बाइबल कहेंगे, जिसको गीता और पुराण कहेंगे, मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मैंने मुख्य सचिव को भेजकर बहुत बड़ा तीर मार लिया। मुख्य मंत्री जी, बात कहने से कुछ नहीं होता, जनता की सेवा करने का मन अगर आपका होता तो आपने जो घोषणाएं कीं उनको अमली जामा पहनाने की आप कोशिश करते। वोट लेना था तब तो किसान को कह दिया कि 37 पैसे में बिजली देंगे। तब तो किसान को लम्बी–चौड़ी बातें कह दीं। अब वह किसान, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह 37 पैसे की बात कभी नहीं कही गयी है। हमारे घोषणा—पत्र में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि किसान को हम 37 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : घोषणा पत्र में है यह।

श्री मदन दिलावर : यदि घोषणा पत्र में हुआ तो आप क्या करेंगे ? यदि घोषणा पत्र में 37 पैसा लिखा हो तो क्या इस्तीफा दोगे ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नहीं लिखा हुआ, पढ़ लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह बात पढ़कर बता रहा हूं। ऊर्जा मंत्री जी ने अभी खड़े होकर कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह बात नहीं है। घोषणा—पत्र का पेज नम्बर 20 पढ़ लें, इसमें आपने लिखा है "बिजली उत्पादन" में वही पैरा पढूंगा।

डा. चन्द्रभान : पढ़ो—पढ़ो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : "कांग्रेस के शासन में कुओं पर पांच हार्स पावर कनेक्शन के खम्बे निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते थे तथा 37 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती थी। आज किसानों से 9 हजार से 12 हजार प्रति खम्भा तथा 1850 प्रति हार्स पावर फीस देने पर एक रुपया सत्तर पैसा प्रति यूनिट की बिजली किसान को दी जाती है।" अब आपने क्या लिखा है।

डा. चन्द्रभान : लास्ट में पढ़ो आगे। पूरा ही पढ़ो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें आठ नम्बर का पैरा पढ़ लो आप। 1990 के पूर्व कांग्रेस के समय की सामान्य प्राथमिकता योजनाओं को रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त पूर्व में कांग्रेस के शासन में बिजली के सम्बन्ध में किसान को मिलने वाली सभी सुविधाओं को पुनः प्रारम्भ कर दिया जाएगा। ऊपर क्या कह रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, आप कहो तो मैं टेबल कर दूं ? ऊपर कह रहे हैं कि हम 37 पैसे में बिजली देंगे। 1990 से पहले हम 37 पैसे बिजली देते थे तो 1990 में, और नीचे कह रहे हैं अलग, वह सारी... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह कृषि कनेक्शन देने के सम्बन्ध में है। कृषि कनेक्शन देने की दो तरह की योजनाएं थीं—सामान्य प्राथमिकता और नर्सरी। हमने कहा कि सामान्य प्राथमिकता योजना रहेगी और कनेक्शन वही रहेगा जो पहले था और नर्सरी योजना को बन्द कर देंगे। आगे नर्सरी योजना को पढ़ो आप, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि टैरिफ वही रहेगी हमेशा। यह हो ही नहीं सकता। बिजली की दरें बढ़ना तो एक निरन्तर प्रक्रिया है, इसको कभी रोका ही नहीं जा सकता। इन्होंने भी बढ़ायी हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस के घोषणा पत्र का पेज नम्बर 20...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप घोषणा पत्र में यह पढ़कर बताइये कि बिजली 37 पैसे में दी जाएगी, यह कहां लिखा हुआ है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने तो किसान को लूट लिया, कमर ही तोड़ दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डाक्टर साहब, कुछ तो सुनो। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा था, डाक्टर साहब, इस घोषणा–पत्र को... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अगर नहीं बोलने दें तो ठीक है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बार–बार इन्ट्रप्शन हो रहा है। हाउस को आप कन्ट्रोल में करो।

श्री राजेन्द्र पारीक : बार–बार आप हाउस को प्रोवोक करेंगे तो यही होगा, और क्या होगा ? बताइये आप इस बारे में कि आपके शासनकाल में विद्युत का कितना उत्पादन किया आप लोगों ने ? एक यूनिट तो उत्पादन नहीं किया और बार–बार ऊर्जा मंत्री की ओर अंगुली उठा रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको कन्ट्रोल में करो।

डा. किरोड़ी लाल : अभिभाषण पर बोलने ही नहीं दे रहे। उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस में बोलनें देने की व्यवस्था करें।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको कन्ट्रोल में करो, माननीय सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हैं। यदि माननीय सदस्य को बोलने नहीं दिया जाएगा तो कांग्रेस के एक भी एम. एल. ए. को नहीं बोलने दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाओ, बोलने देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि वोट लेने के ढाई साल बाद कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र से मुकरी है। अब राजस्थान की जनता के पास कोई चारा तो नहीं है, समय आएगा, डाक्टर साहब, राजस्थान की जनता पूछ लेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पेज नम्बर 20 को पढ़ लें, इसमें 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली देने की बात आपने घोषणा पत्र के माध्यम से नहीं कही हो जो मैंने पढ़कर उद्धृत किया है– आप कहो तो दुबारा पढ़कर बता दूं, तो आप कहो वह मैं करने को तैयार हूं। आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो। अब किसान को 37 पैसे में बिजली देने की बात कहने वाली सरकार ने...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिजली किसी के भी बस की बात नहीं है। चाहे आकाश की हो और चाहे इस पृथ्वी की हो, यह कुदरत की बात है। पानी होगा तो बिजली खूब पैदा होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्ट्रप्ट कर रहे हैं, आप इन्हें टोक नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस हुकूमत ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उस किसान को ठगा है जो धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है। नवम्बर, 1999 से पहले किसान के खेत में जो मीटर्ड कनेक्शन था उसमें बिजली मिलती थीं पचास पैसे प्रति यूनिट। नवम्बर के बाद में डाक्टर चन्द्रभान जी, किसान के बेटे पधारे, इन्होंने बीस पैसे बढ़ाये और सत्तर पैसे प्रति यूनिट कर दिया। अब आपने जो कमा किया है, चाहे बहाना नियामक आयोग का बना लें चाहे बहाना आप विद्युत सुधार कार्यक्रम का ले लें परन्तु अब आपने 90 पैसे प्रति यूनिट और 45 पैसे फिक्स चार्ज यानी 90 परसेंट दरें तो आपने बढ़ा दी। अभी भी...

डा. चन्द्रभान : केवल 20 पैसा बढ़ा है। किसान का फिक्स चार्ज नहीं बढ़ाया है। नहीं, यह गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, गलत कोट कर रहे हैं। यह पैंटा फोर मीटर का चार्ज है, डिसकोर्स नहीं है एग्रीकल्चर में।

मोहम्मद माहिर आजाद : डाक्टर साहब को क्या हो गया ? आप इतने प्रोवोक क्यों हो रहे हैं ? आप अपने जवाब में दे देना, कहने दो आप उनको। क्यों हर बार खड़े हो जाते हो ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी, विराजिये। माननीय मंत्री जी, इनको बोल लेने दीजिए। आपका अवसर आए जब आप बोल लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद : हर बार खड़े हो रहे हो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1995 से पहले के जो कनेक्शन नर्सरी में थे उनमें कितना बढ़ाया, मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारा शासन था, पचास पैसे प्रति यूनिट लेते थे, नवम्बर, 1999 में आते ही इन्होंने 1 रुपये 10 पैसे किया यानि कुल साठ पैसे बढ़ा दिये और अब आपने 1 रुपये 65 पैसे कर दिया। यानि 1 रुपये 15 पैसे बढ़ा दिये, 150 परसेंट बढ़ोतरी की है, डा. चन्द्रभान जी, आपने। इसी तरह 1995 के बाद आपने जो नवम्बर, 1999 से पहले पचास पैसे थे उनको बढ़ाकर 2.75 पैसे कर दिया, फ्लैट रेट में जो 32 रुपये से 43 रुपये तक का था इन्होंने बढ़ाकर 85 रुपये फ्लैट रेट चार्ज कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत क्या बन गयी ? अगर कोई घरेलू उपभोक्ता एक यूनिट बिजली भी नहीं जलाए तो 101 रुपये का बिल तैयार है उसको। पचास यूनिट बिजली जलाए तो 135 रुपये का बिल, 100 यूनिट बिजली जलाए तो 272 का बिल और 300 यूनिट बिजली जलाए तो 822 रुपये का बिल। अघरेलू के अन्दर जो दुकानदार गांव में छोटी दुकान किये बैठा है, छोटा व्यापारी है उस पर मिनिमम चार्ज और लगा दिये। शहरी क्षेत्र में 200 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 140 रुपये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आठ घंटे बिजली देने की बात कहते हो। ऊर्जा मंत्री जी, मैं आपके वक्तव्य की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने विज्ञापन देकर यह कहा था कि हमारे डिमाण्ड और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सप्लाई में 65 लाख यूनिट प्रति दिन के लगभग का गेप है। आपने यह कहा था कि 1500 मेगावाट बिजली कम है। अब जहां डिमाण्ड और सप्लाई का इतना गैप है, आप आठ घंटे बिजली कहां से देंगे ? आप जिस विश्व बैंक से ऋण लेने के नाम पर किसान के साथ कुठाराघात कर रहे हो, उस विश्व बैंक की जो तकनीकी सलाहकार समिति थी वाटर्स एण्ड कूपर्स, उसने यह कहा कि 33 प्रतिशत का गैप है। अब आप कर क्या रहे हैं ? एफीशिएंसी कैसे है आपकी ? विद्युत नियामक आयोग ने खुद माना है कि चोरी और छीजत 43 प्रतिशत है। जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी में 38 प्रतिशत, अजमेर में 35 प्रतिशत, जोधपुर में 39 प्रतिशत। आपने दर तो बढ़ा दी पर चोरी और छीजत का प्रतिशत कम करने की बात जो नियामक आयोग ने की है उसका आप क्या करोगे ? बताओ। उपाध्यक्ष महोदय, एक वर्ष में राजस्थान में 3600 करोड़ रुपये का नुकसान चोरी और छीजत से होता है, यानि 300 करोड़ प्रति माह और दस करोड़ प्रति दिन। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने किसान के साथ जो किया है वह किसान तो इन से निश्चित तौर पर इस बात का हिसाब लेगा।

अभी एक विज्ञापन जारी कर दिया 'बिजली दरों में वृद्धि क्यों' और इन्होंने कह दिया कि छह लाख कृषि उपभोक्ता को 1300 करोड़ से अधिक का सालाना अनुदान दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने अनुदान देने की बात कर ली तो फिर बिजली की दरें बढ़ाने की आवश्यकता क्या थी ? आपने एक हजार चौदह करोड़ तो पहले अलग–अलग कम्पनियों को दे दिये, 877 करोड़ रुपया आपने टैरिफ बढ़ाने के नाम पर किसान की जेब काट ली और आपके यहां आय और व्यय में जो अन्तर है वह है 1691 करोड़। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों नहीं कहते कि इस विज्ञापन में दम नहीं है, आप किसी तरह का अनुदान नहीं दे रहे हैं। आप कम्पनियों को जो अनुदान दे रहे हैं उसको भी आप अनुदान के नाम पर भुनाना चाहते हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत क्या बन गयी ? आज बिजली के कारण तो किसान और उपभोक्ता परेशान है ही; इसी सरकार ने राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से पहले कहलवाया था कि बेरोजगारी की समस्या के विकराल रूप को कम करने हेतु राजकीय, गैर राजकीय, अर्द्धराजकीय इकाइयों में समन्वय स्थापित कर रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम सरकार हाथ में लेगी। बहुत बड़ी आलोचना की थी। आपने सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने क्या किया है ? 16 अप्रेल को केन्द्रीय सरकार के साथ जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एम. ओ. यू. दस्तखत करके आये उस एम. ओ. यू. में यह कहकर आये हैं कि हम तीन प्रतिशत सरकारी पदों की कटौती करेंगे। 1998—99 में बारह हजार पद समाप्त किये, 1999—2000 में तीस हजार पद समाप्त किये और 2000—2001 में लगभग चालीस हजार पद समाप्त कर दिये। बयासी हजार सरकारी पद जहां किसी को रोजगार मिलता, उन पदों को समाप्त कर दिया और कहते हैं बेरोजगारी मिटाएंगे। आज हालत क्या है ? उद्योग बंद हो गये। बिजली की दरें बढ़ा दीं। आज खेत के अन्दर किसान के पास काम नहीं। लगातार तीसरी साल अकाल है। ऐसे में सरकारी नौकरियों में इन्होंने पदों की कटौती करके एक तरह से पाबन्दी लगा दी। किस तरह क्या करेगा बेरोजगार, यह मेरे समझ के बाहर की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बुरी हालत है। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर भयंकर अकाल है...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अकाल की स्थिति ऐसी है कि राजस्थान के अन्दर 30,583 गांव आज अकाल से पीड़ित हैं। राजस्थान के किसान की गेहूं, बाजरा और ज्वार की 44 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी, मूंग, मोठ, चना की 46 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एलान किया था कि हम माह दिसम्बर में अकाल राहत काम खोलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद गांव से आते हो, तीस—पैंतीस हजार से ज्यादा गांवों में अकाल हो और सरकार दो लाख—तीन लाख लोगों को लगाने की घोषणा करे, अगर इस गणित को देखें तो एक गांव के अन्दर मुश्किल से दस आदमियों को भी रोजगार नहीं मिला। जहां किसान की फसल लगातार तीसरे साल नष्ट हो गयी वहां यह सरकार अकाल के प्रति गम्भीर नहीं है और बार—बार एक ही बात कहती है कि केन्द्र सरकार से हमें पूरी सहायता नहीं मिली।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने एक वर्ष नहीं लगातार दो साल एनुअल प्लान में कटौती की, एक बार 1200 करोड़ की और एक बार 600 करोड़ की और महामहिम के श्रीमुख से कहलवाया है कि 1200 करोड़ रुपये दो वर्षो में अकाल के लिए खर्च किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, आपने वार्षिक योजना में कटौती कर दी 1800 करोड़ की और राज्यपाल महोदय के मुख से कहलवा दिया कि 1200 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, लेकिन आपने उसमें यह नहीं बताया कि इसमें केन्द्र सरकार से आपको सी. आर. एफ. में और ए. सी. आर. एफ. में जो राशि मिली थी वह कितनी थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने 565 करोड़ रुपये खर्च किये इसके पहले वाले अकाल में और केन्द्र सरकार से 591 करोड़ रुपये मिल गये। यानि सारा पैसा केन्द्र सरकार का और बार—बार एक ही बात कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने इनको पूरी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सहायता नहीं दी।

एक ज्ञापन इन्होंने दिया नवम्बर में और ज्ञापन में यह कहा कि 2367 करोड़ रुपये की सहायता केन्द्र सरकार देगी। उस ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ कुछ कमिटमैंट भी किये। वह ज्ञापन मेरे पास है। उस ज्ञापन में यह कहा कि दिसम्बर, 2001 में तीन लाख लोगों को रोजगार देंगे, एक हजार चार डिंपो खोलेंगे। जनवरी, 2001 में तीन लाख लोगों को रोजगार तो देंगे ही, चारा डिपो 1500 खोलेंगे। फरवरी में चार लाख लोगों को रोजगार देंगे और 1500 चारा डिपो खोलेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दिसम्बर में राजस्थान के किसी गांव में इन्होंने एक भी जगह काम नहीं खोला। जनवरी में पूरे प्रदेश में पच्चीस–तीस हजार आदमी इन्होंने काम पर लगाये। चारा डिपो इन्होंने वायदा किया था जनवरी माह में 1500 खोलने का और चारा डिपो खोले इन्होंने 231 फरवरी में जहां इन्होंनें वायदा किया था कि चार लाख लोगों को काम पर लगाएंगे वहां लगाये इन्होंने दो लाख बयालीस हजार और चारा डिपो खोले 542.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार ने ज्ञापन में वायदा किया, केन्द्र सरकार को लिखकर देकर आये हैं कि तीन साल लगातार जहां किसान की फसल समाप्त हो गयी वहां 500 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से सब्सिडी देंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने ज्ञापन में 437 करोड़ का प्रावधान किया कि जहां किसान की फसल नष्ट हो गयी वहां किसान को आप सब्सिडी देंगे, आप सब्सिडी देंगे या नहीं देंगे ? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इसके लिए कोई गिरदावरी के अन्दर व्यवस्था करवायी ? अगर सब्सिडी देंगे तो आप कब तक देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, अब केन्द्र सरकार ने खुले मन से राजस्थान के अकाल प्रभावित क्षेत्रों में गरीब को गणेश मानकर सेवा का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा अनाज उठाएं, इन्होंने कहा–चारे की व्यवस्था के लिए रेलवे वैगन चाहिए, पानी की व्यवस्था के लिए रेलवे वैगन चाहिए। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ इस बात की है कि गरीब के लिए हिन्दुस्तान की सरकार ने जो मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया, उस आबंटन का भी 33 प्रतिशत से कम इन्होंने उठाया है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि सैन्ट्रल स्पांसर्ड स्कीम का 496 करोड़ 65 लाख रुपया सरकार के पास बिना खर्च हुए पढ़ा है, अनुपयोगी पड़ा है। केन्द्रीय मंत्री वैंकेया नायडू जब जयपुर में आये, उन्होंने कहा कि राजस्थान को दी गयी राशि में से 496 करोड़ 65 लाख रुपये अभी इन्होंने खर्च नहीं किये। राजस्थान में अकाल है, पैसे की बात करते हैं परन्तु आज हालत यह बन गयी कि जो राशि केन्द्रीय सरकार ने इनको दी है वह राशि भी यह सरकार खर्च नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां जलदाय मंत्री जी विराज रहे हैं, इन मंत्री महोदय के आगे तो आप घोषणा मंत्री का नाम लिख दें तो बड़ा ठीक रहेगा। आज पानी की जो समस्या राजस्थान में है वह कहीं नहीं है। मैं समझता हूं इनमें एक खूबी तो है कि यह अपने विभाग को संभाल सकते हैं। परन्तु इनके हाथ बांध दिये गये। समुद्र में हाथ और पैर बांधकर किसी को कह दो तैरकर दिखाए, कैसे तैर सकता है ? राजस्थान के अंदर, मंत्री जी, पिछली बार बजट में आपने 1825 करोड़ रुपये की जल योजनाओं की घोषणा की थी, बड़ी तालियां बजवाई थीं। आपकी सारी की सारी योजनाएं कागजों में गुम हो गयीं। आपने 210 करोड़ के कंटिन्जेंसी प्लान पर एक दर्ज बार बयान दिये कि प्रदेश के लिए पानी का कंटिन्जेंसी प्लान बना लिया। मुख्य मंत्री जी ने कई बार बयान दिये। अभी मैंने एक सवाल इसी सत्र के अंदर आपसे किया, 210 करोड़ का कंटिन्जेंसी प्लान जो आज से 5—6 महीने पहले बना, उसमें से अब तक इन्होंने 27 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। राजस्थान अकाल से पीड़ित है, प्लान बना लिया लेकिन प्लान के अंदर पैसा नहीं दे रहे हैं। मंत्री महोदय, आपका यह उत्तर मेरे पास आया है, आपने 210 में से सिर्फ 27 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। हमारे चूरू का तो क्या पता क्या होगा, आपने 12 करोड़ 36 लाख रुपये आबंटित किये और 12 लाख रुपये खर्च हुए हैं। आपने कहा था कि 6000 बस्तियों को पानी पहुंचाएंगे, आप खड़े होकर बता दें कि आपने छह हजार की जगह छह सौ बस्तियों को भी पानी पहुंचाया है ? अभी सारे माननीय सदस्य अपनी बात को रखेंगे और मैं समझता हूं जो माननीय सदस्य बात रखेंगे वे उन लोगों की पीड़ा को भी समझेंगे जिन लोगों ने चुनकर आपको यहां भेजा है। हर मामले के अंदर राजनीति नहीं, एक्रोस द पार्टी लाइन सच्चाई को यहां सदन में रखना चाहिए। अगर हम सच्चाई को सदन में रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार भी सजग होगी। मंत्री जी, मैं तो आपके हाथ मजबूत करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। छह हजार बस्तियों में पानी पहुंचाने की बात आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहला तो ली परन्तु इसकी व्यवस्था कहां है ?

आपने राजीव गांधी नेशनल पेयजल मिशन में 2200 गांवों में पानी पहुंचाने की बात कर ली। 1100 करोड़ की जयपुर—बीसलपुर योजना, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य बताएंगे क्या हश्र है उस योजना का। आप कम से कम पानी के नाम पर तो बख्शो। आपको कंटिन्जेंसी प्लान के माध्यम से हैण्ड पम्प लगाने थे, ट्यूब वैल खोदने थे, हैण्ड पम्प रिपेयर कराने थे, उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ इस बात की है, इनके मुख्य सचिव खुद कहते हैं कि जिस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तरह से पानी का महकमा चल रहा है, राजस्थान उजड़ जाएगा अगर यही हालत रही। राज्य में एक लाख .83 हजार हैण्ड पम्प हैं, सरकार आंकड़े कह रहे हैं कि 36766 हैण्ड पम्पों में पानी की जगह हवा निकल रही है। मंत्री जी, आपको भी शौक चर्राया है, आपके बस की बात नहीं है। पूरे मंत्रिमंडल को एक रोग लगा है छपास का रोग, फोटो छपाने का, आपकी भी टोपी लगाये बड़ी फोटो छपती है। पानी शिविर आपने आयोजित किये और उसमें भी राजनीति चालू कर दी। जहां सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जो पानी से नाराज हैं, उनकी तो अपने साथ मुस्कराते हुए फोटो छपा दी, शायद वह खुश हो गये होंगे। लेकिन प्रतिपक्ष के जहां लोग हैं वहां भी लोग बसते हैं, वहां भी कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिये होंगे। आपने वहां शिविर नहीं लगाये। आप जब उत्तर दें तब बता दें कि शिविर में जो समस्याएं आयीं, आपने उन समस्याओं का समाधान किया है। मात्र फोटो छपाने, पानी शिविर लगाने, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार का एक्सलरेटेड डवलपमैंट प्रोग्राम 205 करोड़ का था, राजस्थान की हुकूमत को उस प्रोग्राम के अंतर्गत पहली किस्त 102 करोड़ की मिल गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पहले तो लगता था कि हमारे जलदाय मंत्री जी मजबूत हैं लेकिन पानी महकमे का 102 करोड़ रुपया राजस्थान के मुख्य मंत्री के इशारे पर तनख्वाह बांटने में खर्च हो जाए और जलदाय मंत्री जी टुकुर—टुकुर देखते रहें। दूसरी किस्त आपको मिली नहीं। पानी के मामले में यह सरकार कितनी गंभीर है, यह सारी बात इस चीज से मालूम पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया बहुत निवेदन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसी तरह सड़क की बात कर लें, इसी तरह शिक्षा की बात कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे सदस्य बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सरकार अगर इसी तरह चलती रही, मुख्य मंत्री जी नौजवान आदमी हो, आपको मौका मिल गया, आप संवेदनशील बनने की बात तो करते हो परन्तु संवेदनाएं आपके आस—पास से निकलती नहीं हैं। आज आपने हालत क्या बना दी है राजस्थान में ? बिजली के मामले में राजस्थान का किसान परेशान, राजस्थान के गांव उजड़ रहे हैं, राजस्थान के गांवों में पीने का पानी नहीं, अकाल राहत के नाम पर आप राजनीति चला रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता हो उसको मैट बनाया जाता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता लिस्ट देता है कि इन लोगों को आप रोजगार पर लगाएं। मैं समझता हूं, अकाल के नाम पर भगवान के लिये राजनीति बंद करें आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो कार्य पी. एच. ई. डी. के अंदर हमारी सरकार के आने के बाद किये गये हैं। आपको मालूम है पहले अप्रेल में जो काम करते थे हमने दिसम्बर में शुरू किये– हैण्ड पम्पों की रिपेयरिंग के काम, हैण्ड पम्पों को बनाने के काम। जो स्कीमें हमारी स्वीकृत हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कंटिन्जेंसी प्लान का ही आप बता दें।

श्री रामसिंह विश्नोई : हां, मैं आपको बताता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कंटिन्जेंसी प्लान का यह हश्र है, आप क्यों असत्य बात करते हो। आप अच्छे आदमी हो।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बैठ जाएं आप मुझे बोलने दीजिये। ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ है। कहीं 15 परसेंट, कहीं 30 परसेंट, कहीं 40 परसेंट काम हमारी स्कीमों में शुरू हो गया है। और कोई ऐसा गांव नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पर भी पानी के मामले में शिकायत नहीं है। आपको शिकायत यह है कि कोई शिकायत नहीं है। राजस्थान के 40 हजार गांवों और ढाणियों में कहीं पर भी पानी के मामले में शिकायत नहीं है। पानी का हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : रेल से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 14 गांव तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आएगा बोलने का तब बोलना। (व्यवधान) आपको बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : हमारे दौसा में 932 लाख की योजना स्वीकृत है, उसके ऊपर काम चालू आज तक नहीं हुआ है। साल भर हो गया उसकी स्वीकृति जारी हुए, आज दिन तक काम चालू नहीं किया। विवाद यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे या हमारे क्षेत्र की सांसद इसका उद्घाटन करेंगी। पहले आप तय करें कि उसका उद्घाटन कौन करेगा। एक साल हो गया, उसको आपने लंबित कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : राठौड़ साहब, समाप्त करें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने उसका फाइनेंस नहीं करवाया और आप कह रहे हैं कि हमने एक भी काम ऐसा नहीं है जो चालू नहीं किया हो।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने दो–तीन स्पेसिफिक बातें कही हैं, केन्द्र सरकार ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जो पैसा दिया उस पैसे को मुख्य मंत्री जी ने वेतन में खर्च किया। इन्होंने जो कंटिन्जेंसी प्लांन बनाया उसमें 6 महीने में 210 में से 27 करोड़ खर्च किये और कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है। समस्या आपके पास इसलिए नहीं आ रही कि आप पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। लोगों को विश्वास नहीं है कि यह सरकार लोगों के दुःख—दर्द को दूर कर सकती है इसलिए लोगों ने आपके पास आना बंद कर दिया।

मुख्य मंत्री जी, चिंतन शिविर लगाने से काम नहीं चलेगा। चिंतन शिविर लगाकर मस्नद पर बैठकर आप दूसरे दिन पत्रकारों में जाकर यह घोषणा तो कर सकते हैं कि आप 22 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों की रिपेयर करवा देंगे। 600 करोड़ रुपये फरवरी महीने में मुख्य मंत्री चिंतन शिविर के बाद सड़कों में लगाने की बात करें, कहां से बजट आएगा ? ये थोथी बातें ज्यादा चलेंगी नहीं। मुख्य मंत्री जी, आपने जो पहले और परिणाम का बड़ा—बड़ा विज्ञापन छपाया है— पहल तो आपने कर दी। बिजली की दर बढ़ाकर पहल कर दी, अकाल राहत में राजनीति चलाकर पहल कर दी, सपने बेचकर लोगों को गुमराह करके पहल कर दी। कानून व्यवस्था का आपने डिब्बा गोल कर दिया। अब परिणाम आपको राजस्थान की जनता देगी। राजस्थान की जनता तैयार बैठी है, राजस्थान का बेरोजगार तैयार बैठा है। राजस्थान का बेरोजगार सड़कों पर है। मुख्य मंत्री जी, हम 33 तो हैं, आपका दूसरा नम्बर नहीं लगेगा इसलिए समय रहते चेत जाओ।

जलदाय मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि यथार्थ को स्वीकार करें। आप यह क्यों नहीं कहते खड़े होकर कि आप काम इसलिए नहीं कर सकते कि आज राजस्थान के वित्त मंत्री जी व्यक्तिशः नाराज होकर आपके डिपार्टमैंट को पैसा नहीं दे रहे हैं ? आप क्यों नहीं कहते कि 210 करोड़ की जो योजना बनी उसमें आपको पूरा पैसा नहीं मिला ? आप क्यों नहीं कहते कि आप असहाय होकर देखते रहे, केन्द्र सरकार से पानी के नाम पर पैसा आया और राजस्थान की हुकूमत ने उसको वेतन बांटने में लगा दिया ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को समय रहते चेतना चाहिए और सरकार को संवेदनशील होने का परिचय देना चाहिए। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत—बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री के. सी. चौधरी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जल के पेटे पैसा आया वह राज्य सरकार ने वेतन में खर्च कर दिया, यह आरोप निराधार व असत्य है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पहली बात यह बताएं कि 205 करोड़ रुपए आपको दो किस्तों में मिलने थे, पहली किस्त आपको 102 करोड़ रुपए की मिली, बाकी पैसा आपको क्यों नहीं मिला ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है कि आप फाइनेंस डिपार्टमैंट की वर्किंग को थोड़ा समझ लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं समझा हुआ हूं। मैं आपसे कम नहीं समझा हुआ हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप नहीं समझते कुछ भी। अब आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बजट को लीक करने वाला नहीं हूं, आप क्या समझाएंगे ? मैं समझा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी बजट जाएगा, बजट पर बहस होगी तब बोल लेना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप यह सोचते हो कि जोर से बोल कर धमका कर बैठा देंगे तो मैं आपकी धमकियों में आने वाला नहीं हूं। यह नहीं है कि जोर से बोल कर, + + + बैठा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं जोर से नहीं, अपनी बात कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं कभी होता है। पैसा आता है, महकमों में जाता है, महकमे अपने खर्च का ब्यौरा देते हैं और वह विभागों को बांटा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो व्यवस्था है, उसमें क्या है।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात क्लीयर कर देना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार या वित्त विभाग ने कभी भी ऐसा दिन नहीं आया जब हमारे पैसे रोके हों। हिसाब–किताब मिलान के अंदर पांच–दस–पच्चीस दिन लग जाते हैं लेकिन हमारे पैसे में कोई रुकावट नहीं है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। हमारी जो योजनाएं स्वीकृत हैं सब के ऊपर काम चल रहा है। एक भी ऐसी योजना नहीं है, सब पर काम चल रहा है। आपको संतोष नहीं हो सकता। यह मैं नहीं कहता। पैसे के कारण कोई भी हमारी योजना विचाराधीन नहीं है या कोई पैंडिंग नहीं है या रुकी हुई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री के. सी. चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी कंटिन्जेंसी योजना का काम नहीं हो पाया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको मौका आएगा तब बोल लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य की समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : हां तो बोल लेना गवर्नर एड्रेस पर।

डा. किरोड़ी लाल : पानी की योजना का है, उनकी समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : बोल लेना गवर्नर एड्रेस पर, मना थोड़े ही कर रहा हूं। जब नम्बर आए तब बोल लेना।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप जब बोलेंगे आपकी स्कीम के बारे में, आपकी समस्या के बारे में बताऊंगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं आपसे पूछ रहा हूं...

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं सबका जवाब दूंगा, पचास आदमियों का एक साथ जवाब नहीं दे सकता।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय मंत्री जी, आप यह फरमा रहे हैं कि सारी योजनएं चालू कर दीं राजस्थान के अंदर, तो दौसा के साथ भेदभाव क्यों कर रखा है, आप इसको बता दीजिए मुझे। एक साल से वह योजना लम्बित है, उसको चालू क्यों नहीं करवा रहे हो आप ?

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : प्रश्न पूछ लेना आप, बाद में आपका नम्बर आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके दौसा के अंदर ट्यूबवैल खुदे हुए हैं, सारी स्कीम बनी हुई है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरी एक बड़ी स्कीम है दौसा की, आपने स्वीकृत कर दी, आपने उसका उद्घाटन क्यों नहीं किया अब तक ?

श्री रामसिंह विश्नोई : सारे ट्यूबवैल खुद गए, सब जगह बिजली लग गई है और सब काम हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर, माननीय सदस्य, विराजिए।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 27 मार्च, 2001 को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण हेतु प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बड़ी गम्भीरता से चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को सुन रहा था, मेरा पहला मैंटल रिएक्शन आया वह मैं आपको देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष जी, जिसको जितनी जानकारी है वह उतनी ही तो देगा, जो सोचेगा वही देगा। विपक्ष की सारी सोच एकदम नकारात्मक है, असत्य पर है, भ्रम फैलाने की है। इससे राजस्थान की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। एक चीज ये पक्की कर लें कि यहां बैठकर किसी भी तरह की आप बात कर लें, जो कुछ आपने कहा, राजस्थान की पिक्चर ठीक उसके सामने...(व्यवधान) माननीय सांवर लाल जी, आपकी बात पर आऊंगा अभी। मैं आपकी बात पर आऊंगा अभी अच्छी तरह से। आप यह समझिए कि जो कुछ आपने कहा...

मोहम्मद माहिर आजाद : आप चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को कह रहे हैं या सारे विपक्ष को ही कर रहे हैं ?

डा. के. सी. चौधरी : मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य और उनकी पार्टी...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह सुधार कर लें।

डा. के. सी. चौधरी : उनकी पार्टी को। मैं अपने आप में संशोधन कर लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंगित कर रहा हूं अपनी बात को।

मोहम्मद माहिर आजाद : सारे विपक्ष को कैसे इंगित कर सकते हैं ?

डा. के. सी. चौधरी : मैं बी. जे. पी. की सोच को बता रहा हूं कि इतनी नकारात्मक सोच है। आपने जो पिक्चर पेंट की, ठीक उसके विपरीत आप देखिए कि हमारी सरकार, माननीय अशोक ज़ी गहलोत का जो कमिटमैंट था, काम टाइम पर पूरा हुआ। आपके टाइम में भले ही शुरू हुआ हो लेकिन फाइनल डिसीजन किसके टाइम पर हुआ ? एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की क्रेडिट जाएगी वह किसको जाएगी ? माननीय अशोक जी गहलोत को जाएगी कि नहीं जाएगी ? उनके मंत्रिमण्डल को जाएगी। उनका मंत्रिमण्डल बधाई का पात्र है कि निर्धारित समय पर राजस्थान विधान सभा के नवनिर्मित भवन में अपन सब बैठे हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : मुहूर्त सही नहीं निकाला।

डा. के. सी. चौधरी : मुहूर्त तो कर्द भी निकल जाई। (व्यवधान) हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी द्वारा बनाए गए ढाई साल के कीर्तिमानों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं।

विश्व बैंक की हाल ही में विजन 2000 नाम से एक स्टडी रिलीज हुई है उसमें बताया गया है कि जो बीमारू स्टेट थे—बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन चार में से राजस्थान सबसे पहले बाहर निकला है। यह क्रेडिट की क्या कम बात है ? बीस साल से जो एक लगेसी चल रही थी राजस्थान में बीमारू की—लो लिटरेसी रेट से, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से या हाई बर्थ रेट से, किन्हीं भी कारणों से, आप यह देखिएगा, यह विश्व बैंक की रिपोर्ट है, हम इस बीमारू वाली चीज से बाहर आ गए हैं। क्यों ? हाइएस्ट लिटरेसी रेट हमने अचीव की, सोशल सैक्टर में हमारी परफारमेंस अच्छी रही। यही रिपोर्ट यह बताती है कि राजस्थान के पिछले 20 सालों में, 80 के दशक में राजस्थान ने अपने इतिहास में हाइएस्ट ग्रोथ रेट चीव की है 7.5 प्रतिशत की। 1990 के दशक में आपके टाइम में यह गिरी और 6.3 पर आई। यह एक आंकड़ा है माननीय भैरोंसिंह जी के टाइम का, देख लीजिए आप। यह विश्व बैंक की रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट ई. पी. डब्ल्यू. में छपी है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, प्लानिंग कमीशन के मैम्बर हैं उनके द्वारा। इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान प्रगति कर रहा है, इस सच्चाई को आपको स्वीकार करने में बहुत तकलीफ हो रही है। यह तो नजर आ रहा है, सच्चाई कहां तक छुपाएं ? सच्चाई छुप नहीं सकती।

मैं दूसरी बात पर आता हूं। यह सच्चाई है कि माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी

(डा. के. सी. चौधरी)

वाजपेयी ने कोटा की यात्रा में राजस्थान सरकार की भूरि–भूरि प्रशंसा की थी। यह भी एक सच्चाई है कि आपके प्रधान मंत्री ने की। वहीं एनर्जी सैक्टर की बात है, अगर हमारी परफारमेंस नहीं होती तो क्यों हमारी तारीफ होती ? हमारी तारीफ आपके प्रधान मंत्री जी ने की है। हम लोगों ने उनसे नहीं कहा था तारीफ करने को। हमने नहीं कहा था, उन्होंने मन से की है।

अब मैं आपको बताता हूं कि माननीय अशोक जी गहलोत का आइडिया था कि राजस्थान के फोरमेशन के बाद राजस्थान के वासी इस धरती पर कहीं भी हों, उनकी भावनाओं को राजस्थान से जोड़ा जाए, वे राजस्थान को समझें और राजस्थान उनको समझे। (व्यवधान) आपने कब समझा ? आपके चीफ मिनिस्टर रोज जाते थे, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, खाली राजस्थानी लोगों से मिलने और गुपचुप ही सारा समझौता करते थे। यहां हमने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या मिला ?

डा. के. सी. चौधरी : मिला जो बता रहा हूं। पहली चीज तो यह मिली कि माननीय अशोक जी गहलोत का नाम पूरी दुनिया में हो गया, जिसकी आपको तकलीफ होती है। पहली चीज तो यह मिली कि दुनियाभर में आयोजकों का नाम हुआ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : सुखाड़िया जी को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे।

डा. के. सी. चौधरी : मैं आपको बता दूं, सम्मेलन का उद्देश्य था प्रवासी राजस्थानी देश में रह रहे हों चाहे देश के बाहर रह रहे हों, उनको राजस्थान की धरती से जोड़ना। जब से वे निकले हैं– कई लोग तो ऐसे हैं जो दो पीढ़ी–तीन पीढ़ी से ही बाहर रह रहे हैं, उन लोगों को राजस्थान में बुला सकें। बुलाने तो लिमिटेड लोग थे नैचुरली इसलिए लिमिटेशन यह लगी और जिन्होंने अपने जीवन में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं उन लोगों को राजस्थान सरकार ने बुलाकर सम्मानित किया। अब जो फॉल आउट आने वाला है वह सुनिए आप। हर दिन कोई न कोई राजस्थानी कहीं से भी चाहे वह आसाम हो, चाहे साउथ में हो, चाहे वह राजस्थान के बाहर हो, राजस्थान में प्रोजैक्ट लगाने की या राजस्थान के विकास में भागीदार बनने की उसकी इच्छा को तो हमने जागृत किया है। अब जो बीज डाला है, आप चाहते हैं कि कल उसका पौधा लग जाए। मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग बैठकर राजस्थान को भ्रमित करते हैं। बीज डाला है, उसका पौधा लगाया है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसकी उपलब्धि क्या है, एक साल की, वह बता दें थोड़ा–सा ? केवल उपलब्धि बता दें कि यह उपलब्धि है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : पहली उपलब्धि आपका यह बता रहा हूं कि आप राजस्थान को जानें और राजस्थान आपको जाने। कई लोग ऐसे हैं जिनको यह पता था कि राजस्थान 50 साल पहले की स्थिति में अभी भी है। पहले तो भावनाएं जरूरी हैं, बाद में उपलब्धियों की बात कहूंगा। इसके रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं। एक मिस्टर चतर हैं अमेरिका में, उन्होंने ट्रिपल आई. आई. टी. लगाने के लिए पांच सौ करोड़ रुपए का एक प्रोजैक्ट यहां भेजा था। एक डाक्टर गर्ग हैं, उन्होंने आपके यहां जयपुर में 100 करोड़ रुपए का इन्टरनेशनल हॉस्पिटल का एक प्रोजैक्ट भेज रखा है। ढेर सारे एल. आर. आईज. हैं जो यह काम करना चाह रहे हैं। चालू होंगे और आपके टाइम पर ही चालू होंगे, यह सच्चाई है। अच्छी बात है आप इसकी वाह—वाह कर रहे हो, इसके लिए बहुत—बहुत धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : एक करोड़ रुपए खर्च किये, यह तो बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, आपने एक ही बात सही कही है, ये सारे प्रोजैक्ट हमारे टाइम पर चालू हुए।

डा. के. सी. चौधरी : हमारे टाइम पर, माननीय अशोक जी के टाइम पर। आप और हम तो कहां से एक हो गए जो आपके टाइम पर आएंगे ? आएंगे तो हमारे अशोक जी के टाइम पर आएंगे। हम हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में ही गुजरात में आये भूकम्प में आपके मानवीय दृष्टिकोण पर राजस्थान की देश भर में एक अच्छे पड़ौसी के रूप में तारीफ हुई है। वह दूसरी बात है कि वे तारीफें आपको पसंद नहीं आती हैं। लेकिन भूकम्प सहायता में आपके नेतृत्व में राजस्थान की देश भर में तारीफ हुई है एक अच्छे पड़ौसी के रूप में। आपके मानवीय गुण की दूसरी चीज देख लीजिए। यही साल तीर्थंकर भगवान महावीर के 2600वां जन्म कल्याणक वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। माननीय अशोक गहलोत जी के सोच की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। पोलियो की अपंगता को हटाने के लिए 25 हजार पोलियो करैक्शन कैम्प इस वर्ष के दौरान करने जा रहे हैं जिसमें 7 करोड़ रुपए खर्चे का प्रोविजन आपने रखा है। काफी बड़ी चीज है। 25 हजार लोगों की अपंगता ठीक करके उनको समाज की मुख्य धारा में हम जोड़ पाएंगे।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने अकाल की बात कही। बहुत सही है कि राजस्थान में तीसरे साल निरन्तर अकाल पड़ रहा है। मैं अकाल प्रबंधन की बात बताना चाहूंगा। सरकार के फेमिन मैनेजमैंट की आपकी सरकार ने जबर्दस्त तारीफ की है, दिल्ली सरकार ने इसकी तारीफ की है।

(डा. के. सी. चौधरी)

अकाल प्रबंधन में यह देखें कि पिछले वर्ष समय पर मजदूरी मिली या नहीं मिली। अब आप भले ही कितना असत्य बोल लें, लेकिन सच्चाई यह है कि मजदूरों को मजदूरी पिछले वर्ष समय पर मिली और अकाल में न्यूनतम भ्रष्टाचार के मामले सामने आये। भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य को अच्छी तरह से पता है कि अजमेर जिले में आपके समय में भ्रष्टाचार के कितने मामले आये और हमारे समय में कितने मामले आये। बहुत बड़ा फर्क है, इन आंकड़ों को मिला लें आप। जब आप ऊर्जा मंत्री जी से आंकड़े पूछ रहे थे तो मैं यह कहूंगा कि फेमिन में करप्शन के केसेज आपके टाइम पर कितने थे और पिछले साल कितने थे।

श्री सांवर लाल : अभी बताऊं या कल बताऊं ? अभी तो मेरे से जवाब भी ले रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले की जनता जान रही है कि आप कितने तेज दौड़ रहे हो और सांवर लाल नें क्या किया। यह 100 साल तक नहीं भुला सकते हो आप। अशोक गहलोत जी बैठे हैं मैं इनके सामने कहता हूं, फालतू की बातें मत करो।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, मेरा प्रश्न यह था, मेरी बात यह थी कि अकाल के समय...

श्री सांवर लाल : अजमेर में रहना मुश्किल हो जाएगा ऐसी बातें करोगे तो।

डा. के. सी. चौधरी : फेमिन मैनेजमैंट में...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने तहलका में कमाल किया है।

डा. के. सी. चौधरी : तहलका तो मचाएंगे ये। इनके टाइम में एक–एक कुएं की 10–10 बार खुदाई करके उसके पैसे ले लिया करते थे और माननीय सदस्य कहते थे, कुएं हैं, रोज मिट्टी भर जाती है, रोज खुदाई करनी पड़ती है।

श्री सांवर लाल : बजट लीक नहीं करते थे आपकी तरह। शरीफों के पास जाता था हमारा पैसा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलोगे न। कल बोलोगे न।

डा. के. सी. चौधरी : वह पैसा कहां गया, यह विषय दूसरा है। मैंने तो सिर्फ यह कहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कल बोलोगे। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, अकाल प्रबंन्धन में राज्य सरकार ने कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद 1,200 करोड़ रुपया खर्च किया है, यह भी एक सच्चाई है और सिर्फ 180 करोड़ रुपया नाबार्ड से लिया है। हमारे मुख्य मंत्री जी का एक सोच आप देख लीजिएगा कि अकाल को विकास से जोड़ा गया है। अकाल को विकास से जोड़ने के लिए आपने इस बार प्राथमिकता तय कर दीं कि...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि पिछले साल के अकाल का पेमेंट हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो, आपका नम्बर आए तब बोल लेना पूरा। बीच–बीच में क्यों बोल रहे हो आप ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : दौसा में नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आप 5–10–15 मिनट बोलना चाहो एक साथ बोल लेना। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ है और मजदूर रोते फिर रहे हैं पिछले साल अकाल के। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : पता नहीं कि + + + या गाय ने खाया।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : गाय मस्टररोल खा गयी, साहब। गाय खा गयी मस्टररोल और पेमेंट नहीं हुआ, मजदूर रोते फिर रहे हैं।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनमें सरकार का रूख साफ है–सड़कों के रख–रखाव पर, जल संग्रहण के कार्यो पर और स्कूल भवनों के निर्माण पर। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : आपको सच्ची बात भी बुरी लगती है। इनकी आदत है, इनको सच्ची बात बताओ तो बुरी लगती है। अच्छी बात बता रहे हैं तो बुरी लगती है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए।

श्री देवीलाल बैरवा : इनको सही बात कहें तो बुरी लगती है। बिलकुल सही कहते हैं तो उछलते हैं। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय जलदाय मंत्री को बधाई देना चाहूंगा...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पिछले साल के 50 मजदूर रो रहे हैं अभी तक तो।

डा. के. सी. चौधरी : आपके कुशल नेतृत्व में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : गाय खा गयी मस्टररोल और उनको पेमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे शिड्यूल्ड कास्ट के थे, दलित थे।

डा. के. सी. चौधरी : आपका नम्बर आए तब आप बोल लें। ऐसा सरकार कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आज तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको 10 मिनट, 15 मिनट बोलना है, एक साथ बोल लेना

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

आप। इंटरप्शन क्यों कर रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ग्राम पंचायत बड़ा गांव...

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोलने देना चाहते ? फिर क्या बात है ? बैठिए, बैठिए आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ग्राम पंचायत बड़ा गांव...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इसकी सूचना मैंने जिला प्रशासन को दे दी। कई दफे मैंने दी हैं कि गरीब मजदूरों का भुगतान कर दें आप। आपने नये साल के अकाल राहत कार्य चालू करवा दिये और पुराने साल के आपने पेमेंट नहीं दिये क्योंकि गाय मस्टररोल खा गयी। (व्यवधान) अगर मेरी बात असत्य निकली तो विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा दे दूंगा। आप लोगों की मेहरबानी से, किसी की मेहरबानी से मैं विधान सभा में नहीं हूं।

डा. के. सी. चौधरी : अच्छा, बैठ तो जाओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरी बात असत्य हुई तो। (व्यवधान) अगर मेरी बात सच्ची निकले तो आप दे देना। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जलदाय मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि आपने पहली बार एक आर्गेनाइज्ड़ तरीके से परम्परागत जल स्रोत कुएं, बावड़ी सबको गहरा कराने का काम किया। राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत 40 करोड़ रुपये की राशि खर्च करके 12,576 कुओं और बावड़ियों का यह काम किया गया।

श्री मदन दिलावर : इनका नाम राजीव गांधी पर ? अकाल का नाम भी राजीव गांधी पर ? इतना हल्का मत बनाओ राजीव गांधी को।

डा. के. सी. चौधरी : वे कुएं इसलिए गहरे करा रहे हैं कि आपको वहां ले जाना है।

श्री मदन दिलावर : आप पिछली बार कह रहे थे कि बहुत महान थे और फिर नालियों के नाम पर, गड्ढों के नाम पर उनका नाम रखा है।

डा. के. सी. चौधरी : वह तो इसलिए गहरे करा रहे हैं कि + + + (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि अजमेर जिले में इस कार्यक्रम के बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए हैं और हमारे करीब 80 परसेंट कुओं–बावड़ियों में पानी आया है। इससे हमको अकाल को मैनेज करने में इस बार बहुत अच्छी सहायता

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. के. सी. चौधरी)

मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वहां पानी आया है ?

डा. के. सी. चौधरी : पानी आया है, चलो आप मेरे साथ। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बजट लीक हुआ है विधान सभा में।

डा. के. सी. चौधरी : यहां कुछ लीक नहीं हुआ, खाली पानी आया है।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : आपकी आंखों में पानी आया है, कुओं में तो पानी आया नहीं।

डा. के. सी. चौधरी : आपको तो तकलीफ क्या है कि...

श्री यशवंत सिंह (रामू) : आपकी तो आंखों में पानी आया है।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, आपके तो लीकेजेज बहुत हैं इसलिए लीक हो जाता है आपके यहां।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : वो तो आपके वित्त मंत्री महोदय में लीक हो रहे हैं।

श्री ललित भाटी : आपकी आंखों में तो पानी भी नहीं है।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : वित्त मंत्री महोदय में लीक हो रहे हैं, इसमें नहीं हो रहे हैं।

श्री हरिसिंह महुवा : आपकी आंखों का पानी निकल गया।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : हमारा तो मर गया, आपका तो बढ़ गया न। हमारा तो आंखों में पानी सूख गया।

डा. के. सी. चौधरी : अब बताओ वो कहां गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सदन के एक बड़े संवेदनशील मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा और वह क्षेत्र है ऊर्जा का। अभी हमारे माननीय सदस्य बता रहे थे कि बी. जे. पी. के राज में यह हुआ, अब एक सच्चाई सुन लीजिए। यह हकीकत है कि एक मेगावाट बिजली का उत्पादन आपके समय में नहीं हुआ राजस्थान में और इन अढाई सालों में 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो चुका है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सूरतगढ़ में उद्घाटन करने गये थे वह दो महीने में तैयार हो गया था ? सूरतगढ़ में उद्घाटन करने गये थे वह दो महीने में जादू की डण्डी से तैयार किया था ?

डा. के. सी. चौधरी : हम यह नहीं कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : उसकी शुरूआत भी कांग्रेस के समय में हुई।

डा. के. सी. चौधरी : मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। (व्यवधान) आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, मैं जवाब देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रावतभाटा के अंदर जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री जी ने किया वह किसने किया ? (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : मैं सूरतगढ़ का आपके समय का एक उदाहरण देना चाहूंगा, माननीय सदस्य, ध्यान से सुन लें। आपके समय में सूरतगढ़ की पहली इकाई का आइडिया आपने कंसीव किया था और 1300 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट बना था। आपकी नाकाबलियत से आप उसको फाइनेंशियल टाई–अप अच्छी तरह से नहीं कर पाये और 1300 करोड़ रुपये की कास्ट एस्केलेट होकर 2300 करोड़ रुपये हो गई। राजस्थान की जनता को इस तरह से भ्रमित करके आप क्या समाचार देना चाहते हैं ? 1300 से 2300 करोड़ रुपये की उसकी कास्ट हो गयी। हमारे टाइम पर दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, पांचवीं इकाई समय से छह माह पूर्व पूरी हो रही है जिससे 180 करोड़ रुपये की बचत राजस्थान सरकार ने की है। इस राज्य की जनता के हित में माननीय ऊर्जा मंत्री जी को इस बात के लिए बहुत–बहुत बधाई, धन्यवाद। (व्यवधान)

आप देश भर के आंकड़े ले लीजिये, एक छोटा–सा काम ऊर्जा मंत्री जी ने राजस्थान में किया है सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा के घरेलू कनेक्शन दिलाने में ढाई सौ गांवों में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट, विराजें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय एक घंटे और बढ़ाने की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

कंटीन्यू करें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

डा. के. सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ऊर्जावान मंत्री जी ने जो किया है...

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर में निहत्थे हिन्दुओं पर हमला किया गया।

डा. के. सी. चौधरी : अभी आप सुन लें, हमने भी आपको कितनी देर सुना है। हम सब आपकी बातें सुन रहे हैं, थोड़ी हमारी भी सुन लें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर में निहत्थे हिन्दुओं पर हमला करवा दिया। (व्यवधान) ब्यावर में बिलकुल निहत्थे लोगों पर हमला करवा दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री मदन दिलावर : निहत्थे लोगों पर हमला करवा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, गंगरार में गायों को जिन्दा जला दिया है और बात कर रहे हैं। आकर बैठ गये चुपके से। (व्यवधान) आप हिन्दुओं को तो मरवा कर आये हो, आप गांवों को उजड़वाकर आये हो, उनके नाम पर सदन में थोड़ा बोल दो। गायों को जिन्दा जला दिया... (व्यवधान) बर्दाश्त नहीं करेगा।

श्री हरिसिंह महुवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने माननीय सदस्य पर आरोप लगाया है कि आपने मरवा दिया, इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : चलो।

डा. के. सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सौर ऊर्जा की बात कर रहा था कि राजस्थान के ढाई सौ गांवों में सौर ऊर्जा के 6 हजार घरेलू कनेक्शन दिलाकर हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। पहली पोजीशन ली इस सोलर एनर्जी के काम में। आपके समय में ट्रांस्मिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सुदृढ़ीकरण पर दो हजार करोड़ रुपये खर्च करने की आपने योजना बनायी थी, अब बिजली के जनरेशन के क्षेत्र में 5 हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं तो यह सरकार के लिए क्या कम उपलब्धि है ? राजस्थान में जो हुकूमत हमको आपसे मिली है, खुद ही बयान कर दी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कि कैसी मिली है। उस कुशासन से अगर हम सुशासन की तरफ आये हैं, बेहतर प्रबंधन से, हमारे रोज अचीवमैंट होते हैं तो रोज अखबार में जाएंगे। अगर देश भर में साक्षरता दर में सर्वोच्च वृद्धि राजस्थान में हुई है तो उसमें राजस्थान के शिक्षा मंत्री और राजस्थान के...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : थोड़ा तो सच बोलो।

डा. के. सी. चौधरी : जो सच है उसको स्वीकार करिये आप भी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह साक्षरता आपने आते ही वृद्धि कर दी होगी और यह 23 परसेंट की साक्षरता आपने बढ़ा दी होगी ?

डा. के. सी. चौधरी : ये गवर्नमैंट आफ इण्डिया के आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमने तो कोई + + + का काम किया होगा, 8 साल तक + + + की होगी और आपने 23 परसेंट साक्षरता बढ़ा दी। कुछ तो कम से कम + + + (व्यवधान) यह क्रेडिट लेने के लिए इतने + + + बेशर्म होकर बात मत कहो। हमने 8 साल तक + + + नहीं मारी थी। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आपने 8 साल तक क्या किया ? (व्यवधान) हमको कहने

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. के. सी. चौधरी)

की क्या जरूरत है ? जनता ने आपको जवाब दे दिया न, अब उसके बाद जवाब हमसे और क्या चाहोगे ? जनता जवाब दे चुंकी आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह जो 23 परसेंट साक्षरता बढ़ी है, यह आपने 2 साल में आते ही कोई जादू का डंडा न्हीं घुमाया है। भले आदमियों, कुछ सच बोलो, कुछ सच बोलने का अभ्यास रखो। इस बहुमत के जोश में डूबो मत, सच को स्वीकार करो। यह सर्वे तो 1998 में जो हुआ था 20 हजार लोगों का, उस समय उन्होंने घोषणा की थी। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : राजीव गांधी स्कूलें खोलने के बाद साक्षरता बढ़ी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जिनको पूर्ण साक्षर घोषित किया था उनके हाथ के अंगूठे लग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजस्थान की जनता जानती है कि यह दो साल में आपने नहीं बढ़ाया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अजमेर को पूर्ण साक्षर घोषित करवाया भैरोंसिंह जी ने, उनके आज भी अंगूठे लग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कम से कम सच बोलना सीख जाओ।

एक माननीय सदस्य : और राजस्थान की जनता जानती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया जी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजस्थान की साक्षरता आपने दो साल में नहीं बढ़ायी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया जी।

श्री हरिसिंह महुवा : आपने 3 परसेंट बढ़ायी, हमने 20 परसेंट बढ़ायी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल फोटो खिंच जाने से इधर इनका और इधर इनका लगाने से ही साक्षरता नहीं बढ़ती है। 1990—91 से जो किया है न... (व्यवधान) सच बोलो। इस अभिमान में मत डूबो। हमने 8 साल तक + + + का काम नहीं किया था साक्षरता का। (व्यवधान) आपने कोई जादू का डंडा नहीं घुमाया। 23 परसेंट आपने 2 साल में कोई चमत्कार नहीं किया। कम से कम + + + करो। फोटो खिंचवाकर वाहवाही लूटने का धंधा मत करो। जो परिश्रम हमने किया था उसकी बदौलत आया है, आप किसके लिए वाहवाही लूट रहे हो ?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : हमारे मुख्य मंत्री जादूगर हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : साक्षरता बढ़ाने में हमारा कोई दोष है तो चुनौती देता हूं, मैं सदन छोड़कर चला जाऊंगा, अगर कर सकते हो तो। हमने जो परिश्रम करके बढ़ाया है, न...

एक माननीय सदस्य : थोड़ा बहुत योगदान आपका भी है पर आपके बाद में ज्यादा बढ़ गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल फोटो खिंचवाने के लिए काम नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया जी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उनको दिखाओ यह वाहवाही। आपके काम का फोटो खिंच जाने से नहीं अमर हो जाएगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जनगणना के बाद लाये हैं, थोड़े बहुत आपके भी होंगे। (व्यवधान) ज्यादा अभी हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसका अर्थ यह मत निकालो कि जैसे कोई आपने डंडा घुमाया होगा और 23 परसेंट कर दिया। ये बातें छोड़ दो। मैं चुनौती देता हूं आपको कि मैंने क्या किया है एक दिन उसी पर चर्चा कर लो। मैं खड़ा हूं, अगर मेरा कोई दोष निकल जाए तो सदन छोड़कर चला जाऊंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं... (व्यवधान) मैं चुनौती देता हूं आप सब को, अगर मेरे काम में कहीं एक कमी निकाल दो तो इस सदन को आधे मिनट में छोड़कर चला जाता हूं। मजाक कर रखा है आप लोगों ने। (व्यवधान) वाहवाही लूटने के लिए केवल मुख्य मंत्री जी का फोटो छपा देने से 23 परसेंट साक्षरता नहीं बढ़ती है। हमने 8 साल तक + + + का काम किया था जो आपने बढ़ा दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। एक तो + + + शब्द को निकाला जाए। यह आप बार–बार क्या, इतने वरिष्ठ सदस्य हो, + + + कर रहे हो ? क्या है यह ? अच्छा शब्द बोलो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : संस्कृत में + + + मछली को कहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने अपने लिये कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपके लिए भी क्यों कहो ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने दो साल में 23 परसेंट कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

लिए भी ऐसा शब्द क्यों उपयोग करो ? आपके लिए भी क्यों कहो ? ऐसा शब्द आपके लिए भी क्यों ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कम से कम सच बोलने का भी करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्य हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतनी तौहीन मत करो 'सत्यमेव जयते' की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : You will get an opportunity. आपको अवसर मिलेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हकीकत को बोलना सीखो। हमने क्या किया ? यह 23 परसेंट आपके करने से तीन दिन में साक्षरता नहीं बढ़ी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने तहलका किया था। (व्यवधान) तहलका के अलावा कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना। माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने देश के चुनावों के नाम पर रिश्वत ले ली, आपने क्या किया ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही हूं कि + + + शब्द असंसदीय नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : + + + शब्द असंसदीय नहीं है और इन्होंने स्वयं के लिए कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप पसन्द करती हो ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पसन्द का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनडीसेंट है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : + + + कुछ नहीं किया, किसी के लिए नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको लगा होगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बोलिये। इन्होंने यह थोड़े ही कहा है कि आपने किया है। 61 परसेंट बढ़ी है उसमें क्या बात है ?

डा. के. सी. चौधरी : मैंने सिर्फ आपसे यह निवेदन किया है कि देश भर में सर्वोच्च साक्षरता राजस्थान की बढ़ी है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फोटो छपाने से नहीं हो जाते हैं 23 परसेंट।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो जब कह देना। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : माननीय कटारिया जी साहब, राजस्थान के बच्चे महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों में, कर्नाटक में टैक्निकल

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. के. सी. चौधरी)

एजुकेशन के लिए जाया करते थे। आपके राज में पालिसी बनी और राजस्थान में यह हुआ कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज, प्राइवेट टैक्निकल कालेज और प्राइवेट डेंटल कालेजेज, प्राइवेट मेडिकल कालेज को प्रोत्साहित किया जाए। आपके समय में एक भी क्यों नहीं आता है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं हुआ।

डा. के. सी. चौधरी : हमारे समय में तीन तो डेंटल कालेज हैं और 9 अभी इंजीनियरिंग कालेज हैं, 2 मेडिकल कालेज हैं। तो अब आप यह कहेंगे कि हमारे समय में काम हो गया था, आपके समय में क्यों नहीं हो पाया ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, साहब, इसका जवाब मैं देता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमने कब कहा कि हमने कर दिया ? (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमने कतई नहीं कहा कि हमने कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मैं जवाब देता हूं इसका।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

डा. के. सी. चौधरी : जवाब नहीं चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने एम. सी. आई. की गाइड लाइन को ताक में रख दिया।

डा. के. सी. चौधरी : हम तो यह कह रहे हैं कि जो कुछ इतना काम हुआ है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने एम. सी. आई. की गाइड लाइन को ताक में रख दिया, डेंटल कालेज आफ इण्डिया की गाइड लाइन को ताक में रख दिया, आपने सारे मापदण्ड तोड़ दिये इसलिए आ गये वे।

डा. के. सी. चौधरी : आप स्वयं मंत्री थे इसलिए नहीं आया था वह।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : कोई जादू नहीं कर दिया, पांच करोड़ रुपये लिये हैं कोटा के कोचिंग इन्स्टीट्यूट वालों से।

एक माननीय सदस्य : स्कूल खोलने के आप लोगों ने पैसे लिये हैं, किससे बात कर रहे हो ?

(17.00 बजे)

एक माननीय सदस्य : शराब के ठेकेदारों को दिये हैं इंजीनियरिंग कालेज। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय शिक्षा मंत्री का छपा था, एक मिनट, बात तो सुनो, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप जब बोलो जब बोल लेना।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सुनो तो सही, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर मिलेगा बोलने का। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अवसर कब मिलेगा ? प्री टैस्ट शिक्षा के जो कोटा में इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, पिछले टाइम में जिस तरह मैरिट के हिसाब से एडमिशन होते थे, प्री टैस्ट बन्द कराने के लिए उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को इशारा किया कि हम तुम्हारी कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द करेंगे। उनसे सौदेबाजी हुई, पांच करोड़ रुपये तक की कोटा में आम चर्चा है कि पांच करोड़ तक दिये गये हैं और उसके बाद उसको वापस लिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा से काम नहीं चलता है। (व्यवधान) चर्चा से काम नहीं चलता है यहां पर। आपके पास कोई स्पेसिफिक बात हो तो बताएं।

डा. के. सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सरकार द्वारा लिये गये कुछ और अनुकूल निर्णयों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वीडियोग्राफी से काम चलता है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : हमारे उद्योग मंत्री जी इस बात की बधाई के पात्र हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. के. सी. चौधरी : राजस्थान में औद्योगीकरण को और सुदृढ़ करने हेतु आपने रूल्स आफ बिजनस में परिवर्तन करके इण्डस्ट्रियल पॉलिसी में सिंगल विण्डो क्लियरेंस का कंसेप्ट बनाया। इस सिंगल विण्डो क्लियरेंस से 3842 करोड़ रुपये का निवेश राजस्थान में आया। यह क्या कम बात है ? आपके टाइम में तो नहीं हुई। आपके टाइम में आई. टी. पॉलिसी क्यों नहीं बनी राजस्थान की ? राजस्थान गर्व से कह सकता है कि देश के अग्रणी आई. टी. पॉलिसी मेकर्स वाले राज्यों में राजस्थान एक है। आपके समय पर क्यों नहीं हुआ ? आपके समय में जयपुर क्या था और अब क्या है ? अच्छी चीज, खूबसूरत चीज देखने में तकलीफ होती है। आपके टाइम में मुझे बताइये कि कच्ची बस्तियों का नियमन क्यों नहीं हुआ ? आपके टाइम में कृषि भूमि का नियमन क्यों नहीं हुआ ? आपके टाइम पर गरीबों को, एस. सी., एस. टी. और माइनोरिटी वालों को 50 हजार मकान बनाकर देने की शांतिकुमार जी धारीवाल ने अपना घर नाम से योजना बनायी है वह क्यों नहीं हो पायी ? हम तो यह पूछ रहे हैं आपसे।

श्री नन्दलाल मीणा : हिण्डोली में क्या हुआ फिर ? हिण्डोली में क्या हुआ, धारीवाल जी ? (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आज राजस्थान इण्डस्ट्रियल फ्रैण्डली स्टेट के रूप में माननीय

(डा. के. सी. चौधरी)

मुख्य मंत्री के कुशल नेतृत्व में हिन्दुस्तान में खड़ा है। यह एक सच्चाई है। आप सोचें कि रीको ने पिछले 20 सालों के हाइएस्ट ऋण पिछले वर्ष 85 करोड़ के बांटे। आपके टाइम में रीको की एफीशियेंसी ऐसी क्यों नहीं थी ? रीको में, आर. एफ. सी. में सारे कायदे–कानूनों का सिम्प्लीफिकेशन अभी हुआ है, पहले क्यों नहीं हुआ ? अब ये सब संस्थाएं लाभ में चल रही हैं। आपके टाइम में ये ही संस्थाएं बीमारी में चल रही थीं, हमारे टाइम में ये संस्थाएं... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : रोडवेज का क्या हुआ ? (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : वह भी आने वाली है प्रोफिट में। वह भी आने वाली है। (व्यवधान) अगर रोडवेज की बात है तो आपको बताऊं कि रोडवेज में भी एक ऐतिहासिक फैसला इसी सरकार ने किया है। माननीय माहिर आजाद साहब, रोडवेज में यह फैसला इसी सरकार ने किया कि डिपो मैनेजर्स को सारे पावर्स दे दिये गये हैं। अब उसके लिए हैडक्वार्टर पर आने की किसी को भी जरूरत नहीं है। डीसेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर्स से रोडवेज भी प्रोफिट में आयेगी, यह मैं आपको बता सकता हूं। यह ऐतिहासिक फैसला हमने ही किया है। (व्यवधान) ये नहीं कर पाये, हमने किया है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह गलत बयानी करते हैं। सौदा करके पांच व्यक्तियों को सस्पैण्ड किया। जिसे अध्यक्ष ने, चेयरमैन ने बहाल किया। वह काम भी आपने किया। रोडवेज तो प्रति दिन घाटे में जा रही है।

डा. के. सी. चौधरी : जो भी काम जयपुर में होते हैं वे सारे डिपो में होंगे। डिपो मैनेजर्स को पूरे पावर्स दिये गये हैं। यह पहली बार हुआ है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : + + + और जहां जरूरत है वहां कुछ नहीं कर रहे हैं। एक ईमानदार अधिकारी था उसको दूध से मक्खी की तरह से निकालकर फेंक दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : + + + बैठ जाओ। क्या बात हुई यह ? (व्यवधान) आप बोलो न, बोलना है न आपको। (व्यवधान) हर बार खड़े हो रहे हो। ऐसे थोड़े ही डिबेट होती है। (व्यवधान) आप हर बार खड़े हो रहे हो, क्या बात है यह ? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं थोड़ा निवेदन कर रहा हूं, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप बोलना जब आपका नम्बर आए। आप विराजें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने कहा तीन डेंटल कालेज, ये कौन–कौन से खोले हैं, नाम बताएं जरा उनके। विनायक डेंटल

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

कालेज आपने खोला है, उसमें बच्चे जो शिक्षा लेने जा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं वे क्या ले रहे हैं ? (व्यवधान) आपको 200 बैड का अस्पताल बनाना नहीं आ रहा और आपने उनको ट्रेनिंग के लिए एस. एम. एस. के अन्दर परमीशन दे रखी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं तो एक साथ पहले बोल लो फिर।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं, मैं तो जानकारी में ला रहा हूं आपके। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या बात हुई ? आप बार—बार बोल रहे हो। आपको मौका दे रहे हैं तो आप बोल लेना न।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : विनायक डेंटल कालेज को परमीशन दी है गवर्नमैंट ने।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी इच्छा है बोलने की तो आप बोल लेना। अभी बोले नहीं हो आप।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारे वर्ग के आदमी हैं। यह क्या बात हुई ? ये तो जब जब बोलेंगे जब जब याद आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

डा. के. सी. चौधरी : मैं ब्यावर पर आ रहा हूं। माननीय सदस्य, जल्दी क्या है ब्यावर पर आने की ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : ब्यावर ने ही मुझे यहां भेजा है और ब्यावर ही वापस जाना है। उसकी चिंता आप मत करिये। मैं मुख्य मंत्री जी के निर्देश से एक बार जाकर भी आ चुका।

श्री धर्मपाल चौधरी : ब्यावर की चिंता आपको ही नहीं पूरे राजस्थान को है। यह आपका गलत खयाल है कि ब्यावर की चिंता आपको ही है। ब्यावर की चिंता छोड़िये, यह नहीं है।

डा. के. सी. चौधरी : मैं मुख्य मंत्री जी का एक विजन आपको देना चाहता हूं। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ब्यावर आते थे उन दिनों की बात है, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने ब्यावर में 40 दिन का धरना दिया था इस बात को लेकर कि फेमिन में करप्शन, पंचायती राज में करप्शन, इस सरकार के दूसरे विभागों में करप्शन की कोई शिकायत हो तो हमें सूचना लेने का अधिकार मिले। उस जमाने के मुख्य मंत्री रोजाना भागते थे, उन धरने वालों के आसपास नहीं जाते थे। कभी भी उनके आसपास नहीं जाते थे। शायद अच्छी चीज का बीजारोपण आज हुआ है। सूचनाओं का फायदा आपको कल मिल जाएगा लेकिन भ्रम का फायदा नहीं मिलेगा। सूचनाओं के अधिकार से सरकारी तंत्र की जवाबदेही तय की जा रही है, पारदर्शिता तय की जा रही है। यह थोड़ी बात नहीं है। इसको आप अण्डर एस्टिमेट मत करिये। सूचनाओं का

(डा. के. सी. चौधरी)

अधिकार राष्ट्र में क्रान्ति करेगा। उसी के तहत राजस्थान सरकार ने कुछ 14 विभाग ऐसे हैं जिनके अन्दर नागरिक अधिकार–पत्र जारी किये हैं। नागरिकों को यह तो पता लगे कि उनके अधिकार क्या हैं। यह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में जाइये आप।

एक माननीय सदस्य : कौन–कौन से विभाग हैं ?

डा. के. सी. चौधरी : रेवेन्यू विभाग उसमें है, मेडिकल विभाग उसमें है, ट्रांसपोर्ट विभाग उसमें है, बहुत सारे विभाग हैं उसमें। (व्यवधान)

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य एक बात का जिक्र कर रहे थे कि आपकी सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, हमारी सरकार में यह नहीं थी। हमने क्या वादे किये और क्या किये, आप पिछले बजट में देखें। राजस्थान में दो विश्वविद्यालय स्थापित करने के वादे किये थे, एक संस्कृत विश्वविद्यालय और एक विधि विश्वविद्यालय का, क्या ये दोनों स्थापित नहीं हो पाये ? तारीफ करने में किस बात की कंजूसी है आपमें ? जनता आपका आदर करेगी अगर आप हमारी सच्चाई को जनता तक ले जाएंगे कि यह काम तो अच्छा किया। नहीं तो जनता यह समझती है कि विरोधी पक्ष में बैठने वाले एक ही भाषा जानते हैं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य तो खुद छात्र नेता रहे हैं, आपको तो इस बात की तारीफ करनी चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : राजेन्द्र जी राठौड़ जितना बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद जी, बैठें। यह मेरा काम है, आपका नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : देखिये, + + + बैठ जाइये।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2–4 मिनट ब्यावर जहां से मैं आता हूं, वहां की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो माननीय मुख्य मंत्री जी अभी 6 तारीख को ही ब्यावर पधारे थे, पूरे ब्यावर की एकमात्र मांग थी कि जिन कारणों से अब तक पिछले जिले बने हैं उन मापदण्डों पर ब्यावर सर्वोच्च उतरता है इसलिए ब्यावर को जिला बनाने की सरकार तुरन्त कार्यवाही करे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मुख्य मंत्री जी के जाने के बाद दंगे हुए हैं न।

डा. के. सी. चौधरी : उसका तो मतलब ही नहीं है इस बात से। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : मुख्य मंत्री जी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तो प्रतापगढ़

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नन्दलाल मीणा)

में भी यह घोषणा की थी कि यदि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बहुमत में आई तो प्रतापगढ़ राजस्थान में पहला जिला होगा और उसके बाद ब्यावर होगा। (व्यवधान) केवल इसीलिए मुख्य मंत्री प्रतापगढ़... (व्यवधान) उधर से गये। आज मैं कहता हूं कि अगर यह ब्यावर जिला बनता है तो, मुख्य मंत्री जी, आपने प्रतापगढ़ के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से घोषणा की है, आप उसको भी जिला बनाएं।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री के द्वारा की गई घोषणाएं बता दूं आपको। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : जनता को गुमराह क्यों करते हैं ? इसलिए मुख्य मंत्री जी को प्रतापगढ़ में संघर्ष करना पड़ा। पुलिस के साये में प्रतापगढ़ से भागकर आये हो आप।

डा. के. सी. चौधरी : मैं सदन को सच्चाई से अवगत कराना चाहूंगा कि जब ब्यावर के 15–20 हजार किसानों की उपस्थिति में किसान सम्मेलन में माननीय मुख्य मंत्री जी से यह मांग की गई थी तब आपने यह कहा था कि जब भी जिलों के पुनर्गठन की सरकार सोचेगी उसमें ब्यावर को प्राथमिकता दी जाएगी। गलत इंटरप्रेट न करें, जो सच्चाई है वह सच्चाई बोलनी होगी। गलत इंटरप्रेट न करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : कर्फ्यू क्यों लग रहा है ?

डा. के. सी. चौधरी : कर्फ्यू तो बी. जे. पी. वालों ने लगवा रखा है। झगड़ा हो और कहीं और फंसे ब्यावर। पहले सोजत में हुआ है, एक नागा महाराज...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात कहें।

डा. के. सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी यहां हैं नहीं, एकमात्र अच्छा उद्योग वहां है फेल्सपार ग्राइंडिंग की यूनिट्स। उनमें सेल्स टैक्स इन्सेंटिव का केस दो साल से लम्बित पड़ा हुआ है, हर तरह से उद्योग के पक्ष में फैसला हो चुका है, राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेना है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर जल्दी निर्णय लें। ब्यावर में देश की अच्छी ऊन मंडियों में एक ऊन की मंडी है, वहां पर गलीचा केन्द्र की स्थापना की बड़ी आवश्यकता है। (व्यवधान)

मुझे बता दिया गया है कि डिमांड पर बोलना है, अब इण्डस्ट्रियल डिमांड पर बोला जाएगा। मैं एक डिमांड सिर्फ यह कर सकूं, जो इससे रिलेटेड है कि ब्यावर में चहुंमुखी विकास हेतु यू. आई. टी. की स्थापना आवश्यक है। यू. आई. टी. पहले थी वहां एग्जिस्टेंस में। ब्यावर में 1977–78 में यू. आई. टी. थी, पता नहीं किन कारणों से वहां यू. आई. टी. बन्द है, काम नहीं कर पा रही है। माननीय धारीवाल जी से निवेदन करूंगा कि ब्यावर में यू. आई. टी. की स्थापना के बारे में विचार करें, जो पहले

(डा. के. सी. चौधरी)

थी वहां।

अंत में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके मंत्रिमण्डल के सभी सहयोगियों को पुनः बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपके कुशल नेतृत्व में राजस्थान देश में गर्व के साथ खड़ा है। इस धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सांवर लाल : डाक्टर साहब, खतम करने से पहले ब्यावर में शांति की बात तो बताओ। ब्यावर में क्या हो रहा है, बताओ तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ढाई साल तक तो नम्बर आना नहीं, फालतू में परेशान होते हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ताम्बीजी, आप भी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 27 मार्च को इस विधान सभा के सुसज्जित नये प्रांगण में अपना अभिभाषण पढ़कर... (व्यवधान) राजस्थान सरकार की पिछले वर्ष की उपलब्धियों और अगले वर्ष में जो कुछ काम करना चाहती है, उसका धन्यवाद प्रस्ताव जो माननीय करण सिंह जी यादव, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उस 42 पृष्ठों के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर अपने विचार रखना चाहता हूं।

माननीय, आप सबको मालूम है कि राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश था, बिखरा हुआ राजस्थान था। आजादी के पहले स्वतंत्रता सेनानियों और आजादी के सिपाहियों ने तपस्या, त्याग और वेदना के साथ इसे बनाने का प्रयास किया। अपने श्रम और साधना के माध्यम से राजस्थान की आजादी की लड़ाई को लड़ने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ और इसी आधार पर राजस्थान की जनता ने विश्वास के धरातल पर अब तक सर्वाधिक समर्थन कांग्रेस को प्रत्येक विधान सभा और लोक सभा चुनावों में दिया है। इसलिए राजस्थान के निर्माण का दायित्व भी कांग्रेस ने निर्वाह किया। उस पिछड़े राजस्थान में उस जमाने में केवल मात्र 33 मेगावाट बिजली थी, दो दर्ज के आसपास कारखाने थे, 5000 स्कूल कालेज थे, 400 के आसपास अस्पताल थे और 34 लाख टन कुल मिलाकर राजस्थान में खाद्यान्न पैदा होता था। डेढ़ करोड़ जनता की 8.9 प्रतिशत साक्षरता राजस्थान में थी। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों और नीतियों की सोच के साथ राजस्थान जो कुछ बना वह राजस्थान आज आपके सामने मौजूद है। उसी राजस्थान की जनता ने 8–10 वर्षों के प्रशासन के बाद एक नौजवान मुख्य मंत्री को सत्ता सौंपने का फैसला ऐसा ऐतिहासिक

(श्री रतन लाल ताम्बी)

किया कि राजस्थान ही नहीं, संभवतः देश में इतना प्रबल बहुमत कभी किसी प्रांत की जनता ने नहीं दिया। (व्यवधान) बीच में नहीं बोलेंगे। आपकी और मेरी बात हुई है कि बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलेंगे तो फिर ये भी बोलेंगे।

श्री रतन लाल ताम्बी : ... मुख्य मंत्री जी के शपथ ग्रहण के भाषण के उन अंशों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें गांधी दर्शन के साथ प्रदेश के दीन–हीन, गरीब, निर्बल, वंचित, असहाय और अशक्त लोगों को आगे बढ़ाने का संकल्प जाहिर किया गया था। यह संकल्प महात्मा गांधी के दर्शन, महात्मा गांधी की सोच के आधार पर था। गांधीजी के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का संकल्प लेकर राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता के आत्मविश्वास के साथ जो वादे किये हैं, पिछले दो वर्षों पर हम विहंगम दृष्टि डालें तो उन वादों को एक के बाद एक लगातार पूरा करने का प्रयास किया गया है। मैं अलग–अलग तौर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मैं बात उस बात से शुरू करना चाहता हूं, जो आज सबसे अधिक कही जा रही है कि राजस्थान की सरकार किसानों का भला करने वाली सरकार नहीं है। राजस्थान में विद्युत को लेकर आप जनता को आंदोलित करना चाहते हैं, किसानों को गुमराह करना चाहते हैं, जबकि राजस्थान की सरकार का इस मामले में जो कार्यक्रम रहा है, उस तुलनात्मक दृष्टि से आपके सामने यह बात रखना चाहूंगा कि राजस्थान में जहां कुल मिलाकर 13 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, उस राजस्थान में आज लगभग 4100 मेगावाट के आसपास विद्युत के लिए राजस्थान की सरकार अपने लक्ष्य पर आगे बढ़कर चल रही है। मुझे आशा है कि अगले तीन वर्षों में राजस्थान की सरकार ने 2850 करोड़ रुपये विद्युत उत्पादन पर खर्च करके करीब 750 मेगावाट बिजली नई उत्पादन करने की दिशा में जो कदम उठाये हैं, निश्चित रूप से राजस्थान की धरती और राजस्थान का किसान जो विद्युत समस्या से जूझ रहा है उसे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं आप लोगों के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने पिछले शासन में श्रेय ले सकते हैं एक–आध योजनाओं की शुरूआत का, पर उनको पूरा करने का श्रेय तो कांग्रेस को ही प्राप्त हुआ है। इसी आधार पर राजस्थान आज...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मत छेड़ो, हमें मत छेड़ो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने दो न।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं सिर्फ बात कह रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यू. पी. में जहां आपका राज है उसके बारे में "इण्डिया टुडे" का मार्च के प्रथम

(श्री रतन लाल ताम्बी)

पखवाड़े का अंक आपने देखा होगा। आपके प्रधान मंत्री जो हमारे राष्ट्र के, सबके प्रधान मंत्री हैं, माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने देश के ऊर्जा मंत्री प्रभु महाराज को वहां से टेलीफोन पर कहा था कि हे महाप्रभु, बचाओ, मैं यहां लखनऊ में कितना पीड़ित हूं इस ऊर्जा के कारण से, लोग कितना परेशान कर रहे हैं। यह उस अंक में आप पूरा पढ़ लें। आज की सरकार जिसको आप किसान विरोधी कहना चाहते हो, उसने कितनी ही कठिनाइयों के बाद खर्चा करके बाहर से बिजली लाकर किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है, उसके आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1992–93 में 163 करोड़, 1993–94 में 280 करोड़, 1994–95 में 417 करोड़, 1995–96 में 398 करोड़, 1996–97 में 402 करोड़ और 1997–98 में 537 करोड़, ये आपके कार्यकाल के आंकड़े हैं, कुल मिलाकर 2197 करोड़ रुपये आपने विद्युत पर व्यय किये हैं। उसके विपरीत राजस्थान की वर्तमान सरकार ने 1998–99 में 582 करोड़, 1999–2000 में 652 करोड़ और 2000–2001 में 872 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 2112 करोड़ रुपयें केवल इन तीन वर्षों में बिजली के उत्पादन की योजनाओं पर, बिजली की व्यवस्था पर खर्च किये हैं। कितने ही ट्रांसफार्मर्स और 132 के. वी. और 33 के. वी. के जी. एस. एस. राजस्थान के कोने–कोने में प्रदान किये हैं। 3550–55 मेगावाट को छोड़ने के बाद पांच वर्ष में 1750 मेगावाट नई बिजली उत्पादन की सारी योजनाएं आपके सामने हैं। उत्पादन होना शुरू हो गया या उत्पादन होने की प्रक्रिया में है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान के किसानों की हितैषी सरकार की आपके सामने मैं रखना चाहता हूं।

विद्युत खरीद का जहां सवाल आता है, जहां किसानों की फसल बचाने का सवाल आता है, 1992–93 में 6705 यूनिट 528 करोड़ की आपने खरीदी, 1994–95 में 7512 यूनिट 734 करोड़, 1994–95 में 8273 यूनिट 891 करोड़, 1995–96 में 9986 यूनिट 1086 करोड़ और 1996–97 में 9531 यूनिट 1134 करोड़ की और 1997–98 में 10940 यूनिट 1529 करोड़ की आपने बिजली खरीदी। उसके फिर कांग्रेस राज के ये आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1998–99 में 12148 यूनिट 1873 करोड़ रुपये की, 1999–2000 में 12731 यूनिट 2101 करोड़ की और 2000–2001 में 13307 यूनिट 2262 करोड़ की विद्युत क्रय करके राजस्थान के किसानों की फसल बचाने का एक जो प्रयास किया गया है, यह किसी सरकार के चिंतन और किसानों के प्रति सोच का प्रतीक है।

इसके साथ ही पिछड़े वर्ग के लिए योजनाओं की इस सरकार की उपलब्धियों पर एक विहंगम दृष्टि हम डालें तो निश्चित रूप से यह सरकार कल्याणकारी सरकार कही जा सकती है। इसके भी मैं आंकड़े

(श्री रतन लाल ताम्बी)

आपके सामने रखना चाहता हूं। (व्यवधान) आप तो पिछड़े हो, सुन लो न आराम से।

दीन–हीन, दलित, निर्बल, वंचित, असहाय व अशक्तों के प्रति गांधीजी की अवधारणा को कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रम के द्वारा क्रियान्वित करके और उनके आंसू पोंछ कर गांधी दर्शन की अन्तर्निहित भावनाओं को पूरा करने में इन राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने इतिहास बनाया है और इन भावनाओं के आधार पर इन वर्गों की आंखों में चमक और आत्मविश्वास पैदा कर दिया है। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के सैनिक व छात्रावास के भवनों के लिए निःशुल्क भूमि देने वाली यह पहली सरकार राजस्थान में है, जिसके नियमानुसार आदेश जारी किये जा चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बाकी कल बता देना।

श्री रतन लाल ताम्बी : क्यों, तकलीफ क्या हो गई आज ? आज ही सुन लो, साहब। कल क्यों दो, आज ही दे दो मौका आप तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री धर्मपाल चौधरी : अखबार में पढ़ी हुई, लिखी हुई है। पिछली बार विधान सभा में आपने कहा था कि जमीन के मामले में मेरा बेटा...

श्री रतन लाल ताम्बी : हां, वह सारा आ जाएगा, सब आएगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : और यह अखबार में जो लिखी हुई है...

श्री रतन लाल ताम्बी : एक–एक का जवाब दूंगा मैं, जब भी जरूरत पड़ेगी।

श्री धर्मपाल चौधरी : कब देंगे इसका जवाब ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री रतन लाल ताम्बी : वह तो...

श्री धर्मपाल चौधरी : आप इसी का दे दो जवाब।

श्री रतन लाल ताम्बी : वह आपको झुनझुना पकड़ाया गया है उसका भी मेरे पास सब जवाब है। सब तैयारी है मेरी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह जवाब ही दे दो आप।

श्री रतन लाल ताम्बी : हां, मेरे पास सब तैयारी है। मैं सब का जवाब दे दूंगा, आप सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नरेन्द्र महाजन आपका ही लड़का है क्या ? (व्यवधान) आपने त्याग–पत्र देने की घोषणा की थी...

श्री रतन लाल ताम्बी : यह झुनझुना जिन्होंने दिया है वह मुझे मालूम है। क्यों दिया, मुझे मालूम है। क्या है, सब बातें मैं बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रतन लाल ताम्बी : सात लाख बीस हजार...

श्री नन्दलाल मीणा : मालूम है। आपको यह भी मालूम है कि आपने यह कहा था कि यह मेरी सरकार नहीं है। उसके बाद पता लगा तो वे सारे अलाटमैंट कैंसिल हुए। यह आपका गांधीवादी दर्शन है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी इतिहास रच दिया...

श्री रतन लाल ताम्बी : सात लाख बीस हजार चार सौ बयालीस वृद्धाओं को 28 करोड़ 20 लाख के स्थान पर 180 करोड़ 60 लाख रुपये की बढ़ाकर उनको सहायता दी गई और 53277 विकलांग और प्रत्येक दम्पती को 300 रुपये मासिक पेंशन दी गयी। यह बजटीय प्रावधान इस सरकार की देन है। पेंशन सौ रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये मासिक, 58 से 65 वर्ष के पुरुषों को 100 रुपये मासिक, वृद्ध दम्पती के 150 रुपये से 300 रुपये मासिक, अशक्तों को पेंशन 125 रुपये मासिक, किसान कार्ड और अनेक विभागों में नागरिक अधिकार पत्र देने का काम इस सरकार की देन है। आज भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो, यह इस सरकार का एक चिंता का विषय है। इसलिए सतर्कता आयुक्त अनेक विभागों में नियुक्त किये जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो। इस तरह का प्रयास भी मैं समझता हूं कि इस सरकार का बहुत बड़ा कदम है।

श्री जगत सिंह दायमा : पेंशन बंद कर दी, पेंशन।

श्री रतन लाल ताम्बी : कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों का सम्मान करने में राजस्थान सरकार बहुत आगे रही है। इंदिरा गांधी नहर योजना में 25 बीघा भूमि अथवा चार लाख रुपये का कोई मध्यम श्रेणी का एक मकान देने तक की व्यवस्था इसमें की गई। इसके अलावा एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि और विद्यालय का नामकरण, उनके माता—पिता के नाम पर एफ. डी., शहीद सैनिकों के प्रति यह सरकार कितना बड़ा सोच रखती है, यह काम भी इस सरकार का है।

मैं इस मौके पर चिकित्सा के क्षेत्र में आपसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष आज गरीबों के लिए वरदान के रूप में सारे प्रदेश की ढाणी—ढाणी में चर्चित है। 792 व्यक्तियों को 370 लाख रुपये की सहायता। उच्च बीमारियों जिनमें बहुत खर्चा हो सकता है, उनकी जमीन बिक जाए तो भी वे इलाज नहीं करा सकते, उस तरह की व्यवस्था इस मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से हुई है। दो लाख तीस हजार नौ सौ छब्बीस व्यक्तियों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस मौके पर अकाल के बारे में भी

(श्री रतन लाल ताम्बी)

काफी चर्चा आई। आप और हम सब जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश लगातार अकाल से जूझ रहा है, पिछले तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। आप इस सरकार पर आरोप तो बहुत लगाते हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि जैसा आप शासन सौंप कर गये थे, जिन हालातों में शासन सौंप कर गये थे, उन विकट आर्थिक परिस्थितियों के बीच में भी 1200 करोड़ रुपये के अकाल राहत के काम करवाये गये और उन कामों को विकास से जोड़ा गया। भुगतान के मामले में भी पिछले दो सालों में आपको पारदर्शिता देखने को मिली होगी – समय पर भुगतान, पूरा भुगतान, जितना काम है उतना भुगतान। राजस्थान में दस–पांच मामले ऐसे निकल सकते हैं जिनमें कोई गड़बड़–घोटाला हो, कोई जांच के कारण पेमेंट नहीं हुआ हो। वह अव्यवस्था किसी कारण से हुई हो सकती है पर सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। आम तौर से राजस्थान के अकाल पीड़ित लोगों को समय पर भुगतान करके इस सरकार ने... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर आप पर जो आरोप लगे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने उन आरोपों के बारे में यह कहा था...

श्री रतन लाल ताम्बी : हां, मैं आ रहा हूं उस पर। मैं अक्षरशः कायम हूं आरोप पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच रिपोर्ट के अंदर अगर आपका पुत्र नरेन्द्र महाजन... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : हां, मैंने जो कहा है असैम्बली में, मैं उस पर कायम हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो आप त्याग–पत्र दे देंगे।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंने विधान सभा में जो भी कहा है उस पर कायम हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आरोप लगाने वाले भी मैं जानता हूं, आप जो प्रोत्साहन कर रहे हैं उनको भी जानता हूं, रिपोर्ट देने वालों को भी मैं जानता हूं और रिपोर्ट क्या है वह भी मैं जानता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। नहीं, एक सैकण्ड। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रतन लाल ताम्बी : वह मुझे मालूम है सारा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में कहा था कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके भाषण में व्यवधान डालना उचित नहीं है... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : जो झुनझुना आपको पकड़ा रखा है वह मैं जानता हूं, उसका मैं जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्लीज विराजिये। (व्यवधान) नहीं, आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह जांच हो गई, जांच में एस. डी. एम. भीलवाड़ा ने यह स्थापित कर दिया कि नरेन्द्र महाजन जो इनका पुत्र है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रतन लाल ताम्बी : वह कांस्पिरेसी में आप जो शामिल हो, सब मुझे मालूम है। सब आरोपों का मैं जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं सब का जवाब दूंगा, जरूरत पड़ेगी तब एक्शन लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंने विधान सभा के फ्लोर पर जो भी कहा है उसको मैं पूरी तरह से...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप चालू करिये।

श्री हरिसिंह महुवा : यह कोई नहीं है, अंकित नहीं हुआ।

श्री रतन लाल ताम्बी : अभी अकाल राहत की बहुत चर्चा यहां आई है, मैं यह मानता हूं कि सारा भारत संघीय शासन पद्धति से जुड़ा हुआ है। कभी दिल्ली में सरकार कौन–सी आ सकती है, प्रदेश में कौन–सी आ सकती है, मेरा यहां आरोप है कि दिल्ली की सरकार पहली बार राजस्थान की जनता के साथ बदले की भावना के साथ, अन्याय के साथ दृष्टिकोण रखकर चल रही है उससे आज सारा प्रदेश उद्वेलित है।

श्री नन्दलाल मीणा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतन लाल ताम्बी : आज सारा प्रदेश परेशान है।

श्री नन्दलाल मीणा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज। यह अभी इश्यू नहीं है, आप विराजें प्लीज।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं उसके बाद भी राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान को इस साल अकाल का मुकाबला करने के लिए 2350 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, उसके बावजूद केवल 85 करोड़ रुपये एक बार मिले। 50 करोड़ प्रधान मंत्री जी कहकर गये...

श्री सांवर लाल : x x x

श्री रतन लाल ताम्बी : शायद वह मिले

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

कि नहीं मिले। मेरी जानकारी के अनुसार अभी नहीं मिले। इसके अलावा भारत सरकार ने ऐसा गेहूं दिया जो खाने के काबिल नहीं है। वह भी पूरा अभी तक नहीं दिया। समुद्र में गेहूं फेंक रहे हैं और राजस्थान के लोग भूखे मर रहे हैं। आपके सामने उपस्थित इस गम्भीर स्थिति को भी आपको सोचना है। राजस्थान की सरकार के आंकड़े पिछले साल के और अबके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1985–86 में जब अकाल था उस समय 10 लाख 44 हजार को अक्टूबर, 85 में रोजगार दिया गया। जनवरी में 15.97 लाख को दिया। 1987–88 में 19.22 लाख को दिया। और आपके शासन में 1991–92 में 5.40 लाख को, 93–94 में 7.92 लाख को, 95–96 में 7.28 लाख को और 98–99 में 6.12 लाख मजदूरों को आपने काम दिया। कांग्रेस शासन का भी सुन लें। 1999–2000 में फरवरी, 2000 में 18 लाख और 2000–2001 में अभी जनवरी, 2001 में यह समझ लो आप कि करीब–करीब 3 लाख 5084 लोगों को काम दिया। आज की तारीख में 8 लाख व्यक्ति अभी काम कर रहे हैं। अप्रेल के महीने में आप अकाल की बार–बार बात करते हैं, पर राजस्थान की सरकार ने अकाल को विकास से जोड़ा। राजस्थान की गम्भीर स्थिति में आज पेयजल की समस्या के समाधान के प्रति भी बिलकुल समयबद्ध कार्यक्रम चल रहा है। जगह–जगह अभियान जनवरी में शुरू हो गये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट ये जो आपने फीगर बताये हैं कि इस साल में अकाल में इतनी लेबर लगी, जब अकाल ही नहीं हो या अकाल कम हो या कम गांव अकाल में आएं तब मजदूर कम लगाएंगे या ज्यादा लगाएंगे? कम से कम आप...

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं गांव भी बता दूं आपको, गांव भी हैं मेरे पास। अकाल की बात कह रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अकाल के गांव इतने थे और इतने आदमी लगाये, क्या पढ़ते हो आप ?

श्री रतन लाल ताम्बी : 1991–92 में 30041.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अकाल नहीं हो तो क्यों लगाएंगे ? अगर अकाल ही नहीं हो तो संख्या ज्यादा क्यों लगाएंगे मजदूरों की ? कृपा करके सच्चाई तो बोलें।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं अकाल ही बोल रहा हूं गांव थे...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बनते हो भले आदमी, ये पढ़ते कि कितने गांव अकाल में थे और कितने मजदूर लगाये।

श्री रतन लाल ताम्बी : हां, वह पढ़ रहा हूं, आप सुन लीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब अकाल ही नहीं है तो लगाएंगे क्यों ? संख्या पढ़ रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : 91–92 में 30041 गांव थे, 1993–94 में 22586, 1995–96 में 25478, 1998–99 में 20069 और 1999–2000 में 23406 और 2000–2001 में 30584 गांव, ये मैं गांवों के आंकड़े साथ दे रहा हूं।

श्री हरिसिंह महुवा : अब बोलें, कटारिया जी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह कह रहा हूं कि आपके कितने गांव अकाल में हैं और कितने मजदूर लगाये, साथ पढ़ें।

श्री रतन लाल ताम्बी : बोल दिया न मैंने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब आप तो पता नहीं क्या पढ़ना चाहते हैं, भगवान जाने। मैं यह निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता से, आप यह पढ़ें कि इतने तो अकाल में गांव थे और उसकी तुलना में इतने मजदूर लगाये गये थे इस महीने में। तब तो कोई बात समझ में आए।

श्री रतन लाल ताम्बी : यही तो मैं कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब कुल गांव ही 3500 अकाल में हैं तो मजदूर कम लगाएंगे।

श्री हरिसिंह महुवा : 30 हजार हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह सारा साथ पढ़ें। अलग–अलग मत पढ़ो, दोनों को साथ पढ़ो।

श्री हरिसिंह महुवा : 30 हजार पर आपने श्रमिक लगाये 10 लाख।

श्री रतन लाल ताम्बी : आप सुन लें, फिर दुबारा रिपीट कर रहा हूं – 91–92 में 30041 गांव, 93–94 में 22586 गांव, 95–96 में 25478 गांव, 98–99 में 20069 गांव और कांग्रेस शासन में 85–86 में 26859, 86–87 में 31936, 87–88 में 36252...

श्री हरिसिंह महुवा : ये जो आंकड़े दे रहे हैं ये आपकी ही सरकार के तैयार करवाये हुए हैं, ये कोई हम बनाकर नहीं लाये हैं। आपकी सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं उन्हीं का ये उल्लेख कर रहे हैं, ये कोई इन्होंने नहीं बनाये।

श्री रतन लाल ताम्बी : ये आंकड़े आपके राज के आंकड़े हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप संख्या कम पढ़ रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं कि इतने गांव तो उस साल अकाल में थे और उसके अगेंस्ट में इतने मजदूर लगे, दोनों को साथ में पढ़ो, अलग–अलग मत पढ़ो।

श्री उपाध्यक्ष : बता दिया न उन्होंने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसके आधार पर आप इस सारी को...

श्री रतन लाल ताम्बी : और बोल दूं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप कौन–सा महीना तो पढ़ते हो अक्टूबर और कौन–सा महीना पढ़ते हो आप जून का ?

श्री रतन लाल ताम्बी : हां, साहब, सुनिये अब आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यही नहीं, आप कृपा करके सच बोलें। अपने लड़के को भी अपना लड़का नहीं बताने वाला क्या सच बोल सकता है ?

श्री रतन लाल ताम्बी : बस, यही हाथ लगा है आपको झुनझुना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दुर्भाग्य है यह। मतलब जिसको आपने यह कह दिया कि यह मेरा लड़का ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, विराजिये।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह झुनझुना पकड़ा है जो लिये–लिये फिरते हो, कोई दम नहीं रखा है इसमें। यह तो आपको पकड़ा दिया कुछ लोगों ने, बाकी असलियत क्या है मालूम हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ... (व्यवधान) दुर्भाग्य है यह। इससे ज्यादा क्या सच बोलते होंगे आप।

श्री रतन लाल ताम्बी : वह तो मैंने कहा न, विधान सभा में हर चीज फ्लोर पर रखी हुई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, दुर्भाग्य है। वास्तव में अपने लड़के को जो नकार सकता है, इस हाउस में नकार सकता है कि यह मेरा लड़का नहीं है...

श्री रतन लाल ताम्बी : वह मेरा लड़का है कि नहीं; सब मालूम हो जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ... और जांच के बाद आपका ही लड़का निकला तो इससे ज्यादा और क्या उम्मीद करें आपसे। यह दुर्भाग्य है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रतन लाल ताम्बी : ... (व्यवधान) मैं सबकी बात का मुकाबला करूंगा।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। पहले सदन को यह बताने का कष्ट करें कि... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नन्दलाल जी, कृपा करके आप विराजिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ... कि यह लड़का इन्हीं का है या दूसरे का है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। आप तरीके से इसे लाइये।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह साजिश कहां है, किसके द्वारा कहां मिलीजुली है, यह म्यूचुअल अण्डरस्टेंडिंग की साजिश सारी मुझे मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, विराजिये।

श्री देवीलाल बैरवा : ... (व्यवधान) गांव के दो लाख रुपये मंजूर हुए जिसमें एक

(श्री देवीलाल बैरवा)

टका ही नहीं लगाया। हमारा गणेश सागर तालाब जिसमें 2 लाख रुपये मंजूर किये, इन्होंने दो रुपये भी नहीं लगाये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री देवीलाल बैरवा : उनके रुपये उठा लिये मगर एक काम नहीं कराया। इस तरह का काम इन्होंने किया है। अकाल में काम नहीं कराया।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये, ताम्बी जी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो यह विधान सभा की कार्यवाही से निकाला जाए... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसी पर चर्चा हो जाए कि वह लड़का नरेन्द्र इनका लड़का था कि नहीं।

श्री रतन लाल ताम्बी : चर्चा के लिए जब आप चाहें मैं तैयार हूं, मैंने आपसे विधान सभा में कहा है।

श्री देवीलाल बैरवा : जांच कराइये मेरे क्षेत्र में लाखों रुपये की... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जांच रिपोर्ट है, इसमें यह लड़का इन्हीं का है, नरेन्द्र महाजन है। यह जांच रिपोर्ट है इन्हीं की... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : मुझे मालूम है राठौड़ साहब यह आप क्यों बोल रहे हैं कौन बुलवा रहा है आपको और कौन क्या कर रहा है। सब मालूम है मुझे।

श्री देवीलाल बैरवा : ... (व्यवधान) यह असत्य बातें बतायी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्री जी ने कहा है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आरोप लगाया है इसको विधान सभा की कार्यवाही से निकालो। नहीं तो यह बताएं कि यह लड़का इनका है कि नहीं, या इनकी बीवी का है या फिर किसी और का है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

श्री रतन लाल ताम्बी : अब क्या आंकड़े दुबारा से बोलूं या संतुष्ट हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1991—92 में 30041... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : यह लड़का इनका है कि और का है, कम से कम यह तो स्पष्ट करें।

श्री संयम लोढ़ा : थोड़ा ध्यान रखें बोलने का। बालों में सफेदी आ गई।

श्री रतन लाल ताम्बी : भारतीय जनता पार्टी के राज में 1991—92 में 30041 गांवों में 7.90 लाख की श्रमिक सीमा थी और

(श्री रतन लाल ताम्बी)

5.40 लाख श्रमिक लगे। 1993—94 में 22586 गांव, उसमें 8.85 लाख श्रमिक सीमा निर्धारित की और 7.92 लाख लगे। 1995—96 में 25476 गांव, 8.7 लाख श्रमिक सीमा और 7.28 लाख श्रमिक लगे। 1998—99 में 20069 गांव, अक्टूबर, 98 में काम शुरू हुआ, 6.39 लाख की सीमा और 6.12 लाख मजदूर लगे। कांग्रेस शासन में 1999—2000 में 23406 गांव, फरवरी, 2000 में काम शुरू किया, 18 लाख श्रमिक सीमा और 19.14 लाख श्रमिक लगे, श्रमिक सीमा से ज्यादा। 2000—2001 में 30584 गांव, जनवरी, 2001 में काम शुरू और 20 लाख से अधिक लगे।

श्री नन्दलाल मीणा : इसलिए अखबार वाले आपके बारे में लिखते हैं कि जब अकाल पड़ता है तो कांग्रेस की तीसरी फसल तैयार होती है।

श्री केसाराम चौधरी : 20—20 मजदूर एनिकटों में लगाये हैं, कैसे एनिकट बनाने जा रहे हैं। अकाल राहत में मजदूरों की संख्या देखी जाए तो... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आप पहले आपके राज के आंकड़े देखें, उसमें 10—10 मजदूर लगते थे। एक बी. जे. पी. का कार्यकर्ता मेट और 9 श्रमिक आपके समर्थक लगे थे। ऐसा भेदभाव कभी नहीं होता यहां। यहां गरीबी रेखा में चयनित परिवारों का... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ... (व्यवधान) आपके सब बातों का अकाल ही रहेगा।

श्री रतन लाल ताम्बी : आपके राज में जो परिवार चयनित आप लोगों ने किये उन परिवारों को बिना किसी भेदभाव आज उसमें लगाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कल लाएंगे तब पता लगेगा इस बात का।

श्री रतन लाल ताम्बी : कटारिया जी, आज भी जानते हो असलियत क्या है। सारी बात सामने आ जाएगी जो होगी। यह तो झुनझुना पकड़ा दिया आपको कुछ लोगों ने जो पकड़े रहो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कल लाएंगे तब पता लगेगा।

श्री रतन लाल ताम्बी : आ जाएगा, गलत होगा तो गलत हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : गलत तो हो गया आपका।

श्री रतन लाल ताम्बी : हो गया कि नहीं हुआ या करवा दिया या नहीं, जो भी है, उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री परसादी लाल : आप बीच में रोयेंगे नहीं, चाहे कितना ही कहो। आप तो रोने लग गये थे।

श्री रतन लाल ताम्बी : हां, अब सुनिये आगे। आपके जमाने में 1994 में पंचायती राज एक्ट बनाया और 1996 में उसके नियम बनाये दो साल बाद। अब उसके बाद

(श्री रतन लाल ताम्बी)

संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ऊर्जा, जलदाय, समाज कल्यांण, कृषि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण विकास, वन एवं महिला व बाल विकास का दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को देने का प्रावधान किया। आप सत्ता में थे तब तक एक भी नहीं दिया आपने। इस सरकार ने संविधान की पालना करके लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण कर इन संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिये अधिकार दिये हैं। यह निश्चित रूप से आप सबको मालूम है। यही नहीं, अब एक जुलाई से 8154 पैरा टीचर्स भी इसमें देंगे साक्षरता में। इसके सांथ सरपंच को पंचायत क्षेत्र में अध्यापकों के स्थानांतरण के अधिकार भी दे दिये हैं। पंचायत क्षेत्र में सांसद भी कर सकते हैं, ये अधिकार दे दिये हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : ये आदेश कितने दिन पहले जारी हुए हैं ? तीन दिन पहले या चार दिन पहले, कितने दिन पहले, पांच दिन पहले ये आदेश जारी हुए हैं ?

श्री रतन लाल ताम्बी : आदेश जारी हो गये हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : चार दिन पहले जो आदेश जारी हुए हैं आप उसकी चर्चा कर रहे हो। अभी उसका क्रियान्वयन होना ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : पंचायती राज को मजबूत बनाने का राजस्थान में कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है। 2 अक्टूबर, 1959 को आधुनिक राजस्थान के निर्माता श्री मोहन लाल जी सुखाड़िया जिनका नाम हम सब जानते हैं, उन्होंने देशभर में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कर के राजस्थान का नाम पूरे देश में बढ़ाया था। उसके आधार पर पूरे देश के लोगों ने अनुसरण करके कानून बनाये थे। ज्योंही कांग्रेस सत्ता में वापस आयी, राजीव गांधी के सपने को साकार करने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने दृढ़ संकल्प के साथ पंचायती राज को मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया। पहले उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से आप लोगों से यह मांग की थी, आपने उसको विपक्षी मानकर हमेशा नकार दिया। सत्ता में आते ही उन्होंने पंचायती राज को इतना मजबूत बनाने का प्रयास किया है जिसके आधार पर राजस्थान में पंचायती राज आज जनता की आशा और आकांक्षा का प्रतीक बन गया है।

अब मैं शिक्षा पर आना चाहता हूं। राज्य सरकार ने हाल ही में एक फैसला किया है, 9184 ग्राम पंचायते हैं... (व्यवधान) 9184 आदर्श विद्यालय प्रत्येक पंचायत में खोलने का इस राज्य सरकार ने फैसला किया है। प्रत्येक पंचायत विद्यालय में विषयवार सारे अध्यापक रहेंगे। छठी से 8वीं तक के छात्रों के विषयवार अध्ययन के लिये उसमें व्यवस्था करने का निश्चय किया है। अब कटारियां

(श्री रतन लाल ताम्बी)

जी नाराज होंगे, वे 5–7 साल शिक्षा मंत्री रहे होंगे, मैं आपसे कहता रहा लेकिन मेरे पूरे इलाके में एक भी सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला आपने। याद है आपको ? नहीं खोला। इतना भेदभाव था। इस राज्य सरकार ने 2000–2001 में 200 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, 200 माध्यमिक स्कूल, 1000 मिडल स्कूल और 13000 राजीव गांधी स्कूल गांव–गांव, ढाणी–ढाणी में खोले हैं। आप कहते हो साक्षरता क्या दो साल में ही बढ़ गयी, राजस्थान में पिछले दो–ढाई साल में राजीव गांधी विद्यालय खोलने के बाद करीब 6 लाख नये छात्रों का उसमें प्रवेश हुआ और उसके आधार पर गांवों में साक्षरता को गति मिली है। मैं यह नहीं कहता कि आपने कुछ काम नहीं किया। आपने भी कुछ काम किया है मगर परिणाम तो पास होने के बाद ही घोषित होते हैं, पहले आपने कितना ही पढ़ लिया हो। आपने साम्प्रदायिकता की शिक्षा भी दी, पाठ्यक्रम भी दिया, आपने कई ऐसे भी धंधे किये जिससे शिक्षा विकृत हो गयी। आज उस शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव करने का भी इस सरकार ने फैसला किया है। मैं समझता हूं करीब 600 नवीन अध्यापक उर्दू के भी दिये। आपको उर्दू से बहुत चिढ़ थी मगर इस सरकार ने उर्दू को भी 600 नवीन अध्यापक दिये। एक संस्कृत विद्यालय भी राजस्थान में स्थापित किया है। यह उपलब्धि कहीं तो है।

एक माननीय सदस्य : एलर्जी है आपको संस्कृत से। खाली पड़ी हैं। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी भी स्थापित हुई है और निजी क्षेत्र के 9 इंजीनियरिंग कालेज। निजी क्षेत्र में चिकित्सा के शिक्षण के क्षेत्र में बड़े–बड़े आयाम कायम होने जा रहे हैं जिससे राजस्थान की 5–6 करोड़ की जनता की बहुत बड़ी आवश्यकता की निश्चित रूप से पूर्ति होगी। ब्लाक स्तर पर शिक्षा का सार्वजनीकरण किया। शिक्षा की सम्पूर्ण योजनाओं को ब्लाक स्तर पर समन्वित कर दिया। कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। योजनाबद्ध ढंग से आगे जाकर प्रत्येक सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल और आगे जहां भी आवश्यकता होगी सभी जगह इसको महत्व दिया है। इसी कारण 38.55 से 61.3 प्रतिशत, 22.48 साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई। इसे उल्लेखनीय उपलब्धि में गिना जाएगा। यह भैरोंसिंह जी के राज की उपलब्धि नहीं मानी जाएगी, ईमानदारी की बात है, यह अशोक गहलोत जी के राज की ही उपलब्धि मानी जाएगी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप यह बताएं कि 2001–2002 में कितनी स्कूल खोल रहे हैं ? (व्यवधान) आप बीती बात मत बताइए, बीती हुई तो सब जानते हैं। आप यह बताइए कि 2001–2002 में कितनी स्कूल खोल रहे हैं ?

श्री रतन लाल ताम्बी : वह बजट भाषण में बाद में बताएंगे। महिला शिक्षा का 20.44 से बढ़कर 44.34 प्रतिशत हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूं इस दिशा में भी राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। मैं आपकी भावनाओं के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस संकल्प के साथ राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का सोच लेकर आप चल रहे हैं, अगले बजट पर जब आप चर्चा करें तब राजस्थान में इस गति को नहीं रोकें। सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी और मिडल स्कूलों की अगले वर्ष में कोई स्वीकृति नहीं रहे इसलिए इस चालू वित्त वर्ष में थोड़ा प्रावधान निश्चित रूप से करेंगे, ऐसी मेरी और सभी माननीय सदस्यों की भावना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गाप्रसाद जी।

श्री रतन लाल ताम्बी : दो–एक मिनट और, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : ताम्बी साहब, समाप्त कीजिए।

श्री रतन लाल ताम्बी : दो–तीन प्ाइंट और हैं। 10 वर्षों में राजस्थान की सड़कों की जो दुर्दशा हुई, जगह–जगह गहरे गड्ढे पड़ रहे हैं और हालात बहुत खराब हैं। इस सरकार ने इस बार सड़कों का निर्माण और उनकी मरम्मत के लिये बजट में प्रावधान रखे। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है।

प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में आकर्षित करने के लिये मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। राजस्थान की धरा से बहुत दूर विदेशों में जो गये हुए थे उनको आकर्षित कर राजस्थान में निवेश करने के लिए क्रांतिकारी कदम बढ़ाया गया। नियमों में सरलीकरण करना, एक खिड़की पर उनको सब कुछ सहायता मिलना और उसके साथ 85 करोड़ के ऋण भी इसके पीछे वितरित हुए हैं। पिछले 20 वर्षों में एक साथ इतनी राशि राजस्थान में कभी वितरित नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। मैं समझता हूं राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिये मुख्य मंत्री जी का यह कदम बहुत सराहनीय है और इससे भविष्य में राजस्थान का समय अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गाप्रसाद जी।

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मात्र 12 मिनट हैं आपके पास। (व्यवधान) आप उनको बोलने दो।

श्री दुर्गाप्रसाद : मेरे बोलने से इन्हें कष्ट होगा क्योंकि मैं इस सदन का निर्दलीय विधायक हूं। मैं किसी पार्टी विशेष से

(श्री दुर्गाप्रसाद)

सम्बन्धित नहीं हूं, मैं न इनकी बात रखूंगा न इनकी रखूंगा। मेरी जो बात होगी वह प्रदेश की आम जनता की बात होगी। मैं निष्पक्ष बात कहने जा रहा हूं।

श्री हरिसिंह महुवा : सच्ची बात तो कहोगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उन्हें बोलने दो।

श्री दुर्गाप्रसाद : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन के अनुशासित सदस्य हैं। हम अनुशासन की और आपके आदेशों की पूरी पालना करते हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारी सुरक्षा करें। जब हम बोलें तो इनको नहीं बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो, कोई नहीं बोलेगा। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मुद्दों पर बात करना चाहता हूं, पहला मुद्दा है बिजली का। बिजली के बारे में पिछले दिनों मैंने देखा है कि सदन के प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्य बिजली के मुद्दे को लेकर काफी उत्तेजित रहे हैं और उन्होंने सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दिया है। इन्होंने इस प्रकार का आचरण किया है जैसे कि प्रदेश की आम जनता से ये जुड़े हुए हैं, आम किसानों से ये जुड़े हुए हैं और सत्ता पक्ष के 153 विधायक जिनकी सरकार है, वे प्रदेश की आम जनता से जुड़े हुए नहीं हैं, किसानों से जुड़े हुए नहीं हैं। एक हास्यास्पद बात है कि 153 सदस्य जिनको इस प्रदेश की जनता ने बहुमत से जिताया है और बहुत भारी वोट दिए हैं, उनको सत्ता में लाए हैं, वे तो किसानों के अहित चिन्तक हो गए, इस प्रदेश की जनता के अहित चिन्तक हो गए हैं और जिन लोगों को इस प्रदेश की जनता ने नकार दिया, अस्वीकार कर दिया और जिनकी वजह से...(व्यवधान) आप सुनिये, साहब। आप आलोचना भी सुनिए। आप आलोचना तो करते ही हैं, आलोचना सुनने का माद्दा भी रखिए। मैं निष्पक्ष बात कह रहा हूं, मैं आपकी भी कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : वह वोट कैन्सिल इसलिए हुआ क्योंकि आपने वोट दिखाकर दिया। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : आप 33 की मात्रा में इस सदन में आये हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : हम 33 की मात्रा में हैं इस बात की आपको कोई चिंता नहीं है, हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि आपने वोट दिखाकर क्यों दिया ? राज्य सभा में जो वोट दिखाकर दिया उसके पीछे क्या राज है ? (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : इसलिए कि मैं बिकाऊ नहीं था, मैं निष्पक्ष था। आप सुनियेगा, साहब। (व्यवधान) मुझसे बात मत सुनो, आप मुझसे बात मत खुलवाओ। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : नहीं, कहो न ...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं कहूं क्या आपकी बात ? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप कहिये, आपने पांच लाख का आफर क्यों दिया था मुझे ? (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं दिया था... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पांच लाख का आफर दिया था, किसके लिए दिया था, वह बताइये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं कह रहा हूं न। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या आप ज्यादा मांग रहे थे ? आप पैसे ज्यादा मांग रहे थे ?

श्री दुर्गाप्रसाद : + + + आप बैठिये, मुझे बोलने दीजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आफर दिया था। (व्यवधान) यह बोलने ही नहीं दे रहे, क्या करें ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यशवन्त सिंह जी, विराजिये। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह गम्भीर आरोप है, इन्होंने दस लाख मांगे थे। दस लाख मांगे थे और कांग्रेस वालों ने हम पर आरोप... (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : दूसरा आदमी कोई बोले तो आपमें सुनने का माद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दुर्गाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार में सबसे बड़ा दल बी. जे. पी. का है जिसके आपके प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने जब देश में डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़ाए, पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाये उस वक्त आपने आंदोलन क्यों नहीं किया, आपने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया ? क्या आपको सांप सूंघ गया था ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दीजिए। राजेन्द्र जी, चौधरी जी, प्लीज उनको बोलने दीजिए। आप छह बजे उठना चाहते हो और बोलने नहीं देना चाहते, क्या बात है ऐसी ? (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : मुझसे ऐसे तो बोला नहीं जाता क्यों कि यह तो + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रुकिये, उनको अधिकार नहीं है बोलने का ? (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : आप लोगों की हल्ले में बोलने की आदत है, मैं तो शांति से बोलने वाला आदमी हूं, सही-सही बोलने वाला

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दुर्गाप्रसाद)

हूं। मैं यह भी बता दूं कि केन्द्र सरकार भी पैट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने में गुनाहगार नहीं थी। मैं निष्पक्ष बात कह रहा हूं, जब अन्तरराष्ट्रीय समाज ने पैट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ाये तो उन्होंने विवश होकर यहां पर भी पैट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनो भाई, पूरी बात सुनो। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : यह कोई गलत बात नहीं थी। इसी प्रकार यहां पर भी राज्य सरकार ने देखा। जब राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति खराब थी, बिजली विभाग का घाटा दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और राज्य सरकार बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती थी तो विवश होकर राज्य सरकार ने भी बिजली के दाम बढ़ाये हैं। आपको यह देखना है... (व्यवधान) बिजली के दाम बढ़ाना वाजिब है। मैं इसको ऐसी बात बिलकुल नहीं मानता कि इन्होंने कोई गलत काम किया है। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर बिजली के दाम बढ़े हैं और यदि इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि पिछले दो साल के अंदर 750 मेगावाट बिजली का यहां पर उत्पादन बढ़ा है, तो यह बहुत बड़ी बात हुई है। आने वाले दिनों में सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना का तीसरा यूनिट चलने जा रहा है जो कि 250 मेगावाट का होगा। चौथा यूनिट चलेगा, पांचवां यूनिट चलेगा और 770 करोड़ रुपये का उसमें खर्चा होने जा रहा है। यदि इसके लिए हमारी राज्य सरकार कुछ पैसा बढ़ा देती है तो मैं सोचता हूं कि कोई गलत बात नहीं कर रही है। राज्य सरकार इस प्रदेश में आठ प्रतिशत प्रति वर्ष बिजली की उपलब्धता लाने वाली है। बिजली की मांग बढ़ने वाली है तो राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि बिजली का प्रोडक्शन भी बढ़े। राज्य सरकार इसके लिए जाग्रत है और इसके लिए प्रयास भी कर रही है।

मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, आपने अभी कहा कि हमने पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर बना लिया था इसलिए बिजली पैदा हुई। दो साल में आपके कोई बिजली उत्पादित नहीं हुई, आठ साल में भी आपने एक यूनिट बिजली पैदा नहीं की और आप इन्फ्रास्ट्रक्चर ही बनाते रहे ? गहलोत सरकार आई और उन्होंने दो साल के अंदर बिजली पैदा की। सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना की एक यूनिट जो कि छह महीने बाद में प्रोडक्शन देती, उसको छह महीने पहले ही प्रोडक्शन में ले आये। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। (व्यवधान) मैं मुख्य मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि विधायक कोटा 50 लाख का कर दें। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, मानना या न मानना तो

(श्री दुर्गाप्रसाद)

उनके ऊपर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने दीजिए न। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यदि किसान और आम उपभोक्ता को बिजली बराबर मिलती है, पिछले दिनों चार घंटे या आठ घंटे मिली उसकी तुलना में यदि 12 घंटे, 16 घंटे मिलती है तो यह बिजली की कीमत जो बढ़ी है यह किसान को अखरेगी नहीं, यह उचित बात होगी। जरूरत इस बात की है कि बिजली का प्रोडक्शन बढ़े और इसके लिए राज्य सरकार सक्रिय है, जाग्रत है। मैं बिजली की जो रेट बढ़ी है उसका पक्ष लेता हूं, उसका समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

दूसरी बात, मैं केवल यह चाहता हूं कि आप बिजली की मियाद ज्यादा बढ़ाएं, आठ घंटे के बजाए 16 घंटे, 18 घंटे करें। इण्डस्ट्रीज का पावर कट नहीं करें और उचित मात्रा में उद्योग धन्धों को बिजली दें, किसानों को दें। अगर ऐसा करते हैं तो किसानों को कोई बात नहीं अखरेगी और वे बिजली की बढ़ी हुई कीमत को भी स्वीकार करेंगे। (व्यवधान) मुझे 12 मिनट दिये हैं और मैं 12 मिनट में ही बोलना चाह रहा हूं।

तीसरी बात, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है जिसके अनुसार जहां रिहायशी स्थान है वहां से इण्डस्ट्री हटानी पड़ेगी। हमारा प्रदेश दिल्ली से जुड़ा हुआ है, हमारे यहां भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया है, अलवर का एरिया है वहां आप ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइयेगा, वहां ऐसी सुविधाएं दीजिएगा कि वे इण्डस्ट्रीज हमारे भिवाड़ी में आएं, हमारे इस प्रदेश में आएं। यू. पी. में नहीं जाएं, हरियाणा में नहीं जाएं। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा, इण्डस्ट्री मिनिस्टर से कहूंगा कि आप अपने नौकरशाहों को यह कहें कि वे इण्डस्ट्रीज की तरफ ध्यान देवें, इण्डस्ट्रियलिस्ट की तरफ ध्यान देवें, उनके काम को उलझाएं नहीं। अभी मैं मुख्य मंत्री जी से मिला और एक बात की चर्चा की कि आपके नौकरशाह काम नहीं करते हैं, वे हर काम को उलझाते हैं। (व्यवधान) काम नहीं करते और हर चीज को उलझाकर टाइम पास करते हैं। अभी एक एन. ओ. सी. का मामला था, एन. ओ. सी. के मामले में मैंने पिछले सदन में एक बात उठाई थी कि उप वन संरक्षक, करौली एन. ओ. सी. नहीं देता। उसके लिए आपने जो दो महीने का टाइम दिया है उस दो महीने... (व्यवधान) देखिए, मुख्य मंत्री जी तो कहीं पर भी गलती पर नहीं हैं, फौरन काम करते हैं, सुनते हैं और सम्मान देते हैं। मैं चापलूसी नहीं करता, चापलूसी करने की जरूरत ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए।

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुपस्थिति अनुमति

श्री किशन मोटवानी को 27 मार्च, 2001 से सत्रान्त तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा ने स्वयं की अस्वस्थता के कारण दिनांक 27 मार्च, 2001 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

सदन की कार्यवाही दिनांक 19 अप्रेल, 2001 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.00 बजे गुरुवार, 19 अप्रेल, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्नोत्तर)

पंचायतों द्वारा दिये गये फैसलों की लम्बित अपीलें

187. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि काश्तकारों के उपयोग के लिए रास्तों का फैसला करने का अधिकार संबंधित पंचायतों को दे रखा है और उनका फैसला पैंतालीस दिनों की समय सीमा में करने का प्रावधान कर रखा है ? यदि हां, तो उक्त फैसलों की अपीलें वर्षों तक विचाराधीन क्यों रखी जाती है ?

(2) क्या पंचायतों की तरह उक्त प्रकार के फैसलों की अपील का फैसला करने की समय सीमा निश्चित की जायेगी ? यदि हां, तो कितनी व कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायतों द्वारा समय सीमा में फैसले कर देने के बाद भी राजस्व न्यायालयों में कई वर्ष तक मामले निर्णित नहीं होने के कारण काश्तकारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उक्त संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है। ग्राम पंचायतों द्वारा यदि 45 दिन में फैसला नहीं किया जाता तो 30 दिनों में तहसीलदार द्वारा निर्णय दिया जाना निर्धारित है। इसकी अपील जिला कलेक्टर के यहां किये जाने का प्रावधान है। आमतौर पर अपीलों का निस्तारण शीघ्रता से ही किये जाने के निर्देश हैं।

(2) इनकी समय सीमा अभी निर्धारित नहीं है। इनकी समय सीमा भी कायम की जावे यह विचाराधीन है।

(3) राजस्व न्यायालयों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु समय–समय पर राजस्व मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाता है।

आयुर्वेदिक कर्मियों की नियुक्ति

188. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वैद्य/कम्पाउण्डरों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु वर्ष 2001–2002 में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो कितनी किस–किस पदों के लिये ? अब कितने व्यक्तियों को कहां–कहां पर रोजगार दिया जावेगा ? उक्त व्यक्तियों को कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के किन–किन औषधालयों में कौन–कौन से पद कब से क्यों रिक्त हैं ? क्या सरकार

(श्री रामस्वरूप)

उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि कई बेरोजगार व्यक्ति जो वैद्य, कम्पाउण्डरों का डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरान्त सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं देने के कारण आयु सीमा पार कर चुके हैं ? क्या सरकार उनको आयु सीमा में छूट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में आयुर्वेद विभागान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सकों के 335 पद, नर्स/कम्पाउण्डर के 511 पद व चतुर्थ श्रेणी/परिचारक के 227 पद दिनांक 20–3–2001 को रिक्त थे।

जी नहीं। 200 चिकित्सकों, 250 नर्स/कंम्पाउण्डर एवं 100 परिचारकों को रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति दी जावेगी।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में से निम्न दो औषधालयों में नर्स/कम्पाउण्डर के पद रिक्त हैं :–

1.	गढमौरा	2–3–2001
2.	गढखेड़ा	2–3–2001

गढमौरा में रिक्त पद भरने हेतु अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद को पत्र दिनांक 10–4–2001 को निर्देशित कर दिया गया है। गढखेडा के रिक्त पद को स्थानान्तरणों पर से रोक हटने के बाद भर दिया जावेगा।

(3) जी हां। आयु सीमा में छूट देने का कोई प्रकरण राज्य स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

जिला अलवर में राशन विक्रेताओं द्वारा केरोसिन की कालाबाजारी

189. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999–2000 एवं 2000–2001 में जिला अलवर को कुल कितना केरोसिन का कोटा आवंटित किया गया ?

(2) उक्त जिले की प्रत्येक तहसील को कितनी–कितनी मात्रा में केरोसिन आवंटित एवं सप्लाई किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में कुछ राशन विक्रेताओं को केरोसिन ब्लेक करने तथा हेराफेरी करने के आरोप में दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999–2000 एवं 2000–2001

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

में अलवर जिले को क्रमशः 25200, 35435 किलो लीटर केरोसिन का आवंटन किया गया है।

(2) अलवर जिले की प्रत्येक तहसील को जितना केरोसिन तेल आवंटित किया गया है, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 में दोषी पाये गये राशन विक्रेताओं के विरुद्ध 120 प्रकरण दर्ज किये गये थे, जिनमें से 41 प्रकरणों में अनुज्ञापत्र निरस्त/प्रतिभूति राशि जब्त की गयी, 10 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, 1 प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप की गयी तथा 40 प्रकरणों में अनुज्ञापत्र निलम्बित किये गये। शेष रहे 28 प्रकरणों पर अन्तिम निर्णय होना शेष है।

प्रश्न के भाग (2) का विवरण

वर्ष 1999-2000

माह	अलवर शहर	अलवर ग्रामीण	थानागाजी	रामगढ़	लक्ष्मणगढ़	राजगढ़	कठूमर	तिजारा	किशनः	मुण्डावर	बानसूर	बहरोड़	कोटकासिम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4/99	276	156	120	144	156	180	144	156	132	144	156	192	96	2052
5/99	276	156	132	156	156	180	156	156	132	144	156	192	96	2088
6/99	276	156	132	144	168	192	144	168	120	156	144	204	96	2100
7/99	276	168	120	144	168	192	156	156	132	156	156	204	96	2100
8/99	276	156	120	144	168	192	144	156	120	56	144	204	96	2076
9/99	276	156	132	156	168	192	156	156	120	68	156	204	96	2136
10/99	276	156	120	144	168	192	144	156	120	70	144	204	96	2090
11/99	276	156	132	156	168	192	144	156	120	56	144	204	96	2100
12/99	276	156	120	156	168	192	144	156	120	56	144	204	96	2088
1/2000	216	168	132	156	168	192	144	156	132	68	168	204	96	2100
2/2000	216	168	132	156	168	204	144	156	132	68	168	204	96	2112
3/2000	228	168	132	168	168	204	144	156	132	68	156	204	96	2120
वर्ष 2000-2001														
4/2000	228	168	132	156	168	192	144	156	132	56	156	204	96	2088
5/2000	228	204	180	192	204	216	168	192	168	92	192	240	132	2508
6/2000	228	168	132	156	168	192	144	156	132	56	156	204	96	2088
7/2000	360	240	216	252	264	276	228	240	216	52	252	312	144	3252
8/2000	360	252	216	276	264	276	240	240	216	52	276	312	144	3324
9/2000	360	276	204	276	252	276	230	240	216	54	276	312	156	3338
10/2000	252	204	132	204	168	192	156	156	144	56	204	228	108	2304
11/2000	252	204	132	204	168	192	144	156	144	30	204	204	108	2292
12/2000	252	204	144	192	168	192	144	156	132	8	192	204	108	2260
1/2001	336	252	192	240	288	300	216	252	192	8	228	300	132	3156
2/2001	336	252	192	240	288	300	216	252	192	8	228	300	132	3156
3/2001	336	252	192	240	288	300	216	252	192	8	228	300	132	3156

जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित साहित्य

190. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से प्रकाशित साहित्य पापूलर प्रिन्टर्स से छपवाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से एवं सूजस पत्रिका को छोड़कर अब तक कितना साहित्य का प्रकाशन करवाया गया है और उस पर कितनी राशि अदा की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि साहित्य प्रकाशन में वित्त लेखा नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रकाशन के लिए निविदा आमंत्रित होना आवश्यक है ? यदि हां, तो बिना निविदा आमंत्रित किए एक ही प्रकाशक से प्रकाशन क्यों कराया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पापूलर प्रिण्टर्स से वर्ष 1998–99 से 14 प्रकाशत छपवाये गये हैं, इसके लिये रुपये 8,79,511/– की राशि अदा की गई है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट "अ"

मै. पापुलर प्रिन्टर्स, जयपुर से कराये गये मुद्रण कार्य का विवरण

वर्ष 1998-99

क्र.सं.	प्रकाशन का नाम	प्रतियां	राशि रुपये
1.	राजस्थान उत्कर्ष की ओर	5,000	1,18527
2.	अभिनव योजनाएं	5,000	1,30556
3.	विकास तीर्थ	5,000	1,06534
4.	786वां उर्स "ख्वाजा गरीब नवाज"	10,000	45129
5.	"कृपया ध्यान दें" हैंड बिल	20,000	9535
		योग रुपये	4,10281
वर्ष 1999-2000			
1.	पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन	55,000	1,52924
2.	राज्य में सैनिक कल्याण	6,000	7071
3.	जन कल्याण का एक वर्ष	1,000	7215
4.	वन ईयर ऑफ गवर्नेन्स	1,000	7325
		योग रुपये	1,74535
वर्ष 2000-2001			
1.	पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास	15,000	19791
2.	स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास	20,000	16372
3.	महिला सशक्तीकरण	5,000	24703
4.	प्रोमीटेज मेड एण्ड फुल फिल्ड	12,225	60831
5.	पहल और परिणाम	30,000	1,72998
		योग रुपये	2,94695
		कुल योग रु.	8,79511

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के कमीशन्ड ग्रामों में पेयजल आपूर्ति

191. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के कितने ग्राम किस–किस पेयजल योजना से जुड़े हुए हैं ?

(2) उक्त कमीशन्ड ग्रामों में से कितनों में पानी नहीं जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन कमीशन्ड ग्रामों में पानी नहीं पहुंचता है उनमें पानी पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में 148 आबाद गांव आते हैं। उक्त समस्त 148 गांव विभिन्न पेयजल योजनाओं से जुड़े हुए हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना में शामिल गांवों की संख्या
1	2	3
1.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना चांदगोठ–राजगढ़	29
2.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना चांदगोठी–सुलखनिया	19
3.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बुधावास–कालोडी	23
4.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना किरतान–खेरूबडी	16
5.	परम्परागत योजनाएं/ पनघट योजनाएं	11
6.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना गंधेली–साहवा	50
		148

(2) उपरोक्त कमीशन्ड योजनाओं के 8 गांवों, इन्दासर, राधाबड़ी, राधाछोटी, जाटूवास, कानावासी, खारीया, ग्वालीसर, भाकरान में पानी नियमित रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। ग्राम जाटूवास, कानावासी एवं खारीया योजना के अन्तिम छोर के गांव हैं तथा स्रोत पर बिजली की अनियमित उपलब्धता से पर्याप्त उत्पादन न होने के कारण प्रभावित हैं। शेष 5 गांवों में स्थानीय स्रोत भी चालू है।

(3) प्रश्न के भाग सं. 2 में वर्णित गांवों को नियमित रूप से पेयजल सुलभ कराने हेतु आपणी योजना का कार्य प्रगति पर है। यद्यपि उक्त गांव स्वीकृत आपणी योजना (फेज प्रथम) में सम्मिलित नहीं हैं तथापि गंधेली–साहवा योजना के उत्पादन तथा मुख्य वितरण प्रणाली में आपणी योजना द्वारा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्रस्तावित सुधार पूर्ण होने एवं इसके कारण पानी की छीजत में कमी आने से उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त पानी से इन्दासर, राध ाबड़ी, राधाछोटी, ग्वालीसर तथा भाकरान की जल व्यवस्था में सुधार होना सम्भावित है। ग्राम जाटूवास, कानावासी तथा खारिया ग्राम हेतु संबंधित योजना के स्रोत पर विद्युत उपलब्धि नियमित करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कृषि उद्योग निगम में कर्मचारियों की नियम विरुद्ध छंटनी

192. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निगम प्रशासन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों की अनुपालना में श्रम आयुक्त कार्यालय में कृषि उद्योग निगम के कार्य कलापों को बन्द करने के लिये अनुमति प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर रखा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त संदर्भ में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) एवं 25 (एन) के उल्लंघन के लिये प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कृषि उद्योग कर्मचारी यूनियन द्वारा श्रम आयुक्त कार्यालय में दायर विवाद कब से विचाराधीन है ? सरकार इस संदर्भ में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या निगम प्रशासन श्रम विभाग से अनुमति प्राप्त किये बिना छंटनी आदेश जारी करने के लिये सक्षम है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रबन्ध के विरुद्ध कार्यवाही हेतु यूनियन द्वारा दायर प्रकरण दिनांक 11.12.2000 से श्रम आयुक्त कार्यालय में विचाराधीन है। पक्षकारों की सुनवाई की कार्यवाही चल रही है। सुनवाई की अग्रिम तिथि 24 अप्रेल, 2001 नियत है।

(3) निगम सक्षम है अथवा नहीं इस बाबत कृषि उद्योग कर्मचारी यूनियन द्वारा दायर विवाद पर सरकार के समक्ष सुनवाई जारी है जिसमें आगामी तिथि 24.4.2001 नियत है जिसके पश्चात् निर्णय होगा।

जिला जैसलमेर में गौवंश की निकासी पर प्रतिबन्ध

193. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या पशुधन विकास एवं डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान तथा पड़ोसी राज्य गुजरात में काननी गौवंश वध निषेध है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान के पशु मेलों में बछड़े/बैल गुजरात को भेजे जाते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पश्चिम राजस्थान के पशुपालकों के आय का मुख्य स्रोत बैल

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

निकासी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि बैल निकासी पर प्रतिबन्ध के कारण पशुपालकों ने बैलों को आवारा छोड़ दिया है और जैसलमेर जिले में एक लाख बैल आवारा घूम रहे हैं ?

(5) क्या गुजरात में गौवध निषेध है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार गुजरात में बछड़े/बैल कृषि कार्य हेतु ले जाने की रोक हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। किन्तु 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों का राजस्थान से बाहर ले जाना निषेध है।

(3) जी नहीं। पश्चिमी राजस्थान में पशुपालकों की आय का मुख्य स्रोत पशुपालन है। बैल क्रय–विक्रय करना पशुपालन का एक अंग है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। राजस्थान में गौवंश का वध पूर्णरूपेण निषेध है। गुजरात में गौवंश का वध निषेध है, किन्तु वध के लिए बाम्बे एसेन्सियल कोमोडिटिज एण्ड कैटल कन्ट्रोल एक्ट, 1958 के अन्तर्गत वध की साप्ताहिक संख्या निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 27.1.2000 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशियल लीव पीटीशन (एस. एल. पी.) दायर की गई है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव प्रारूप निर्णयार्थ राज्य स्तर पर विचाराधीन है।

साहवा लिफ्ट नहर पर वाटर अलाउंस

194. **श्री मांगीलाल डांगा** (मेड़ता) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शासन सचिव, इन्दिरा गाधी नहर विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.पी.एम./सी. एण्ड ए./इं.गां.न.प.वि./95–1 दिनांक 13–10–2000 द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार प्रथम चरण के फेज प्रथम एवं द्वितीय में वाटर अलाउंस कम कर पानी बचाने व उसका उपयोग साहावा लिफ्ट नहर का वाटर अलाउंस बढ़ाने हेतु निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति अनुसार वाटर अलाउंस कम कर बचाये गये पानी की मात्रा क्या है ?

(2) उक्त बचाये गये पानी में से साहावा लिफ्ट नहर पर वाटर अलाउंस बढ़ाने हेतु कितने पानी का उपयोग किया जायेगा ?

उत्तर

(1) केवल वाटर अलाउंस कम करने का निर्णय लिया गया था, बचाये गये पानी

(इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

की मात्रा 0.28 मिलियन एकड़ फीट होगी।

(2) बचे हुए पानी के उपयोग हेतु अलग से निर्णय लिया जावेगा।

राज्य में टैक्स से प्राप्त आय का उपयोग

195. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994–95 से 2000–2001 में कौन–कौन से टैक्स लगाये गये और कितनी राशि टैक्स के रूप में प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अवधि में टैक्स से हुई आय में कितनी वृद्धि हुई और उस राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया ?

(3) क्या गत दो वर्षों में राज कोष में टैक्स से आमदनी बढ़ी फिर भी विकास पर व्यय कम हुआ ?

उत्तर

(1)

नया कर	कर आय (रुपये लाखों में)
1. विलासिता कर (तम्बाकू व उसके उत्पाद) वर्ष, 1994–95	वर्ष 94–95 से 2000–2001 (माह फरवरी तक) आय 5110.41 (विवरण संलग्न है)
2. विलासिता कर (होटल एवं आवास स्थल) वर्ष 97–98	वर्ष्ज्ञ 97–98 से वर्ष 2000–2001 (माह फरवरी तक) आय 3245.99 (विवरण संलग्न है)
3. प्रवेश कर वर्ष, 1999–2000	वर्ष 1999–2000 से 2000–2001 (माह फरवरी तक) आय 2589.26 (विवरण संलग्न है)
4. प्रोफेशनल टैक्स वर्ष 2000–2001	वर्ष 2000–2001 (माह फरवरी तक) आय 818.03 (विवरण संलग्न है)
5. टर्न ओवर टैक्स वर्ष 2000–2001	वर्ष 2000–2001 (माह फरवरी तक) आय 1628.66 (विवरण संलग्न है)

(वित्त मंत्री)

(2) वर्ष 1999–2000 एवं 2000–2001 में राजस्व की प्राप्तियों का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट–2) राज्य की समस्त प्राप्तियां जिसमें स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति भी सम्मिलित होती है, समेकित निधि कहलाती है। विभिन्न कार्यों पर व्यय इस समेकित निधि से ही किया जाता है। कर विशेष की राशि से कोई विशेष कार्य सम्पादित नहीं किया जाता है।

(3) वर्ष 1999–2000 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्तियां 4530.90 करोड़ व वर्ष 2000–2001 में संशोधित अनुमानों के अनुसार 5347.08 करोड़ रुपये अनुमानित थी। इसके साथ ही विकासीय व्यय वर्ष 1999–2000 में 9286.64 करोड़ व वर्ष 2000–2001 में संशोधित अनुमानों के अनुसार 10649.64 करोड़ रुपये अनुमानित थी। विकासीय व्यय तथा गैर विकासीय व्यय का पोषण केवल स्वयं के कर राजस्व से नहीं होता है बल्कि समस्त प्रकार की प्राप्तियों को मिलाकर जो समेकित निधि का निर्माण होता है उसमें से ही सारे व्यय किये जाते हैं।

परिशिष्ट-1

	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000	2000-2001	
1. विलासिता कर (तम्बाकू एवं इसके उत्पाद)	288.76	296.10	351.28	675.17	981.47	1299.15	1218.48	5110
2. विलासिता कर (होटल एवं आवास)	—	—	—	422.94	678.59	890.59	1254.10	3245
3. प्रोफेशन टैक्स (होटल एवं आवास)	—	—	—	—	—	—	818.03	
4. प्रवेश कर (होटल एवं आवास)	—	—	—	—	—	844.43	1744.83	2589
5. टर्न ओवर टैक्स (होटल एवं आवास)	—	—	—	—	—	—	1628.66	

	99-2000	2000-2001	वृद्धि
बिक्री कर से प्राप्त राजस्व (होटल एवं आवास)	2133.54	2529.78	396.24

(माह फरवरी तक) (रुपये करोड़ों में)

Statement of State own Tax Revenue

(Rs.in lacs)

	Budget Head	Actuals 1997-98	Actuals 1998-99	Actuals 1999-2000	B.E. 2000-2001	Receipt upto Jan.01	R.E. 2000-01	B.E. 2001-02
0022	कृषि मुख्य कर	0.53	0.06	0.11	0.10	0.08	0.10	0.10
0028	आय और व्यय पर अन्य कर					711.37	1500.00	2000.00
0029	भूराजस्व	4476.41	3326.84	3508.35	3906.00	3503.31	3906.00	3606.00
0030	स्टाम्प तथा पंजीकरण	31227.16	34436.34	37676.56	48000.00	36076.71	45000.00	52000.00
0031	सम्पदा शुल्क			0.03				
0035	भूमि एवं भवन कर	3315.08	1798.21	2669.73	2600.00	2338.95	2600.00	2800.00
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	92278.93	99002.78	96081.26	117100.00	80686.52	107500.00	112500.00
0040	बिक्री कर	182653.66	205866.67	242452.28	300000.00	229615.08	292000.00	352500.00
0041	वाहन कर	34719.96	36435.73	45547.78	50000.00	37639.58	50000.00	56250.00
0042	माल तथा यात्री कर	0.10	0.02	844.57	3000.12	1664.87	1500.12	2000.12
0043	विद्युत कर तथा शुल्क	8896.45	9187.41	19367.23	20196.60	152.84	25196.62	26196.63
0044	सेवा कर		0.02	0.02		0.34		
0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	3489.46	3879.94	4941.69	5705.00	4130.60	5505.00	6505.00
	योग	361057.74	393934.02	453089.61	550507.82	396520.25	534707.84	616357.85

सरहद मौजा सिवाना जिला बाड़मेर में जारी अवैध पट्टे

196. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खसरा नं. 941 सरहद मौजा सिवाना जिला बाड़मेर की भूमि पर अन्य किन्हीं व्यक्तियों का अतिक्रमण है ? यदि हां, तो किस–किस का ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति के नाम पट्टा सं. 53/75 विकास अधिकारी सिवाना द्वारा जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पट्टा सही है ?

(3) क्या यह सही है कि खसरा नं. 941 मौजा सिवाना में पट्टाधारियों के मकानात बने हुए हैं ? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत सिवाना के भंग होने के पश्चात् नगरपालिका सिवाना ने भी खसरा नं. 941 मौजा सिवाना की भूमि के पट्टे जारी किये थे ? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त खसरा नम्बर 941 की भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के पश्चात् ही पट्टे जारी किये गये थे ? यदि नहीं, तो उस समय पट्टा जारी करने वाले के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम सिवाना का ख. नं. 941 ग्राम पंचायत सिवाना के खाते में गै.मु. गोचर दर्ज है। इस भूमि पर 171 व्यक्तियों का अतिक्रमण है। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। उक्त पट्टा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया था।

(3) जी हां। कुल 37 मकानात बने हुए हैं। सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां। नगरपालिका ने चार पट्टे जारी किये थे, जिसकी सूची परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) उक्त ख. नं. 941 की भूमि को आबादी हेतु पट्टे जारी किये गये थे। पट्टों के परिवर्तन का रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना रिकार्ड के अनुसार नहीं है। उक्त भूमि गै. मु. गोचर ही है। वर्तमान ज़माबन्दी के अनुसार है। ख. नं. 941 को आबादी में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

197. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री मांगीलाल गरासिया)
करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं ?

(2) उक्त चिकित्सालयों में वैद्य एवं कम्पाउण्डर के कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में वर्तमान में 18 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में से वर्तमान में निम्न औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक व नर्स–कम्पाउण्डर के पद रिक्त हैं :–

आयुर्वेद चिकित्सक

1. सैमड़ : माह फरवरी, 2001 से
2. तरपाल : माह मार्च, 2001 से

नर्स-कम्पाउण्डर

1. पदराडा : माह मार्च, 2001 से
2. गोगुन्दा : माह मार्च, 1999 से
3. सामौली : माह जनवरी, 2001 से
4. पडावलीकलां : माह नवम्बर, 2001 से

(3) जी हां। 200 चिकित्सकों के पदों को भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के लिए निवेदन किया जा रहा है। चयन होने पर चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

250 नर्स/कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता जिला खण्ड उत्तर, बाड़मेर के विरुद्ध जांच

198. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 22.3.1996 को कार्यादेश जारी कर बिना पाइप लाइन बिछाए दिनांक 25.3.96 को 25 लाख रुपयों का भुगतान कर एक गंभीर अनियमितता की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण की जांच भी अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जोधपुर वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी जयपुर, तकनीकी सदस्य द्वारा अलग–अलग स्तर से की जा चुकी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इसमें मुख्य आरोपी अधिशासी अभियन्ता जिला खण्ड उत्तर बाड़मेर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर, को आरोप–पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो आरोप–पत्र व पावती की

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) जांच से पूर्व व अब तक दोषी अधिकारियों को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार अब ऐसा कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त प्रमाणित अपराध के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में क्रिमिनल अपराध दर्ज कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर द्वारा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण में सम्पादित प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एक अधिकारी (अधिशासी अभियंता) को आरोप पत्र दिनांक 29.12.2000 को दिया जा चुका है तथा अन्यों के विरुद्ध आरोप पत्र दिये जाना प्रक्रिया में है।

(3) जी हां। आरोप–पत्र की प्रति एवं पावती संलग्न है।

(4) अपचारी राज्य सेवकों द्वारा जांच को प्रभावित करने की आशंका नहीं थी इसलिए उन्हें निलम्बित नहीं किया गया है।

(5) इस प्रकरण में उप अधीक्षक, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर के पत्र क्रमांक 911 दिनांक 6.9.2000 के अनुसार परिवाद सं. 45/2000 विरुद्ध श्री राजूसिंह चौधरी व अन्य अधिकारीगण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बाड़मेर में दर्ज किया जा चुका है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री राम फाईवर्स, झिंवाड़ा (अलवर) उद्योग से फसलों का नुकसान

199. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम झिंवाड़ा, तहसील तिजारा स्थित श्रीराम फाईवर्स में कब–कब जहरीली गैस का रिसाव हुआ ? क्या उक्त रिसाव से कभी फसलों को नुकसान पहुंचा ? यदि हां, तो क्या उक्त उद्योग द्वारा किसानों को कोई मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो किस–किस किसान को कितना–कितना मुआवजा दिया गया ?

(2) क्या गैस रिसाव के बाद सरकार ने उक्त उद्योग के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त तरह के उत्पादन करने वाले समस्त उद्योग देश में वर्ष 2000 से पूर्व बन्द कर दिये गये हैं और उक्त उद्योग भी अब तक बन्द हो जाना चाहिए था ? अब तक उक्त उद्योग बन्द

(श्री जगमाल सिंह यादव)

नहीं होने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मै. श्रीराम फाईवर्स लिमिटेड, भिवाड़ी तहसील तिजारा में दिनांक 10.3.1992 को हाईड्रोफ्लोरिक ऐसिड की फ्यूम्स निकली थी।

जी हां। उक्त उद्योग द्वारा किसानों को कुल 81,489 रुपये का मुआवजा दिया गया। कृषकवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त घटना के दौरान कारखांना अधिनियम एवं राजस्थान कारखाना नियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। इसलिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(3) यह विषय भारत सरकार से सम्बन्धित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

200. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या पशुधन विकास एवं डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में चिकित्सकों/कम्पाउण्डरों के कितने पद रिक्त हैं ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पशुपालकों की सुविधा हेतु जिला बाड़मेर व जैसलमेर में चिकित्सक/कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में 70 वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, 389 पशु चिकित्सा अधिकारी, 210 पशु चिकित्सा सहायक एवं 776 पशुधन सहायक के पद रिक्त हैं। जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

रिक्त पदों की जिलेवार सूचना

क्र.स.	जिला का नाम	व.प.चि.अ.	पशु चिकि.अ.	प.चि.स.	पशुधन सहा.
1.	अजमेर	2	3	8	40
2.	अलवर	1	1	5	1
3.	अनूपगढ़ (गंगानगर)	–	1	2	23
4.	बांसवाड़ा	8	22	3	10
5.	बारां	2	15	5	19
6.	बाड़मेर	5	27	6	75
7.	भरतपुर	–	9	–	–
8.	भीलवाड़ा	1	28	24	42
9.	बीकानेर	1	3	–	27
10.	बून्दी	3	6	8	18
11.	चित्तौड़गढ़	3	24	8	45
12.	चूरू	–	8	11	38
13.	दौसा	1	–	–	3
14.	धौलपुर	–	6	4	6
15.	डूंगरपुर	5	23	–	3
16.	जयपुर	–	–	12	2
17.	जैसलमेर	3	15	6	41
18.	जालौर	3	18	9	34
19.	झालावाड़	4	15	5	33
20.	झुन्झुनूं	–	–	12	25
21.	जोधपुर	2	29	24	30
22.	कोटा	–	5	1	10
23.	कुचामनसिटी (नागौर)	–	12	–	17
24.	नागौर	1	12	3	21
25.	पाली	4	20	1	34
26.	राजसमन्द	4	18	7	30
27.	सवाईमाधोपुर	2	9	4	3
28.	सीकर	4	1	8	8
29.	सिरोही	4	10	7	23
30.	श्रीगंगानगर	1	–	5	34
31.	टोंक	2	9	2	22
32.	उदयपुर	3	27	2	41
33.	हनुमानगढ़	–	–	4	10
34.	करौली	1	13	4	8
	योग	70	389	210	776

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बारां के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

201. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बारां में वर्तमान में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) कौन है ?

(2) उक्त अधिकारी अब तक के सेवाकाल में कहां–कहां, किस–किस पद पर कार्यरत रहे तथा इनको क्या–क्या कार्य सौंपा गया था ?

(3) उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार को अब तक किस–किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? क्या उक्त शिकायतों की जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या कुछ शिकायतों की जांच अभी भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों और इनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? क्या कुछ शिकायतों का अन्तिम निस्तारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या रहे और क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त शिकायतों के अलावा उक्त अधिकारी द्वारा कुछ और अनियमितताएं करने के मामले भी सामने आये हैं ? यदि हां, तो किस–किस प्रकार की अनियमितताएं की गई तथा सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बारां के पद पर श्री प्रकाश चन्द पवन, आर. ए. एस. पदस्थापित हैं।

(2) श्री प्रकाश चन्द पवन, आर. ए. एस. के अब तक के सेवाकाल में पदस्थापन तथा इनको आवंटित कार्यों की सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) उक्त अधिकारी के विरुद्ध निम्नानुसार शिकायत प्राप्त हुई है :–

1. विकास अधिकारी, शाहबाद के पद पर कार्य करने के दौरान पंचायत समिति की योजनाओं में अनियमितता करने एवं निर्माण कार्य में अनियमितता करने तथा 20 प्रतिशत राशि का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में शिकायतें वर्ष 1992 में प्राप्त हुई थीं। जिसकी जिला कलेक्टर, बारां से वर्ष 1992 में जांच रिपोर्ट चाही गई थी।

2. श्री प्रकाश चन्द पवन के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां के पद पर कार्यरत रहने की अवधि माह जुलाई, 1999 में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें महिलाओं के साथ श्री पवन के व्यवहार को अनुचित बताते हुए कलेक्ट्रेट, बारां में कम्प्यूटर में कार्यरत एक महिला के साथ अभद्रता एवं बलात्कार करने का उल्लेख किया गया है। शिकयत की जांच हेतु सितम्बर, 1999 में जिला कलेक्टर, बारां को निर्देश दिये गये थे।

(कार्मिक मंत्री)

3. श्री मदन दिलावर विधायक, अटरू से अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां श्री पी. सी. पवन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर बदमाशों से मिलकर भ्रष्टाचार के आधार पर गरीबों को उजाड़ने के सम्बन्ध में शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई। उक्त शिकायत की जांच कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु सम्भागीय आयुक्त, कोटा को फरवरी, 2001 में लिखा गया।

4. सुश्री गरिमा सोगानी, जिला सूचना अधिकारी, बारां द्वारा एक शिकायत सम्भागीय आयुक्त, कोटा को प्रस्तुत कर श्री पी. सी. पवन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बारां द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत की थी जिसकी जांच अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा से जून 1999 में करने के आदेश दिये गये हैं।

5. श्री सत्यनारायण शर्मा, निवासी कुण्डा तहसील अटरू द्वारा एक शिकायत अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रस्तुत की। जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां द्वारा श्री शिवचरण शर्मा, कानूनगो से मिलकर गलत निर्णय की शिकायत की गई है। उक्त शिकायत की जांच हेतु संभागीय आयुक्त, कोटा को राजस्व मण्डल द्वारा 29.8.2000 को लिखा गया है।

(4) जी हां। उपरोक्त शिकायतों में से क्र. सं. 3 व 5 की शिकायत विचाराधीन है जिसका निस्तारण शीघ्र किया जायेगा। क्रम संख्या 1, 2 व 4 की शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। शिकायतें प्रमाणित नहीं पाई गई। अतः श्री पी. सी. पवन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(5) उक्त शिकायतों के अलावा अन्य अनियमितता करने का कोई प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

परिशिष्ट–"क"

1. श्री प्रकाश चन्द पवन दिनांक 2.3.89 से परीवीक्षाधीन (2 वर्ष)

1. प्रशिक्षण में जिला कलक्टर, सीकर के अधीन

2. प्रशिक्षण में एच. सी. एम. रीपा, जयपुर के अधीन

3. प्रशिक्षण में जिला कलक्टर, बून्दी के अधीन कार्यरत रहे।

2. दिनांक 16.5.90 से 13.9.91 तक श्री प्रकाश चन्द पवन, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सायला (जालौर) के पर पर पदस्थापित रहे। इन्हें उक्त अवधि में सामुदायिक सभा भवन, पंचायत समिति सायला निर्माण कार्य तथा विकास अधिकारी के पद का कार्य सौंपा गया था।

3. दिनांक 16.9.91 से 31.8.92 तक श्री प्रकाश चन्द पवन, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहबाद (बारां) के पद पर कार्यरत रहे। उक्त अवधि में इन्होंने विकास अधिकारी के पद के दायित्वों का निर्वाह किया है।

4. दिनांक 10.9.92 से 19.9.93 तक उप खण्ड अधिकारी (भू.रु.) कोटा के पद पर कार्यरत रहे। उक्त अवधि में श्री पवन को अपने नियमित पद के दायित्वों के अतिरिक्त अति. कलक्टर के नाजिर अनुभाग के प्रथम लिंग अधिकारी का कार्य दिनांक 5.7.93 से सौंपा गया।

5. दिनांक 18.9.93 से 30.6.94 तक श्री प्रकाश चन्द पवन, उप खण्ड अधिकारी, बारां के पद पर कार्यरत रहे। इन्हें उप खण्ड अधिकारी, बारां के पद के दायित्वों के साथ ही जिला कलक्टर, बारां के भू–अभिलेख, राजस्व, डी. आर. डी. ए. एवं पूल अनुभाव के प्रभारी अधिकारी का कार्य भी सौंपा गया था।

6. दिनांक 8.7.94 से 21.11.94 तक श्री प्रकाश चन्द पवन, उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा एवं प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति, बालोतरा के पद पर कार्यरत रहे तथा उक्त अवधि में इन्होंने उपरोक्त पदों के दायित्वों का निर्वहन किया।

7. दिनांक 24.11.94 से 26.7.94 तक श्री प्रकाश चन्द पवन, अति. कलक्टर एवं

सचिव, मण्डी विकास समिति, जैसलमेर के पद पर कार्यरत रहे। उक्त अवधि में इन्होंने मोहनगढ़ मण्डी क्षेत्र में आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्डों की नीलामी एवं मण्डी विकास समिति, जैसलमेर के कार्यालय का प्रतिवेदन का रुटिन कार्य किया तथा प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग, कलेक्ट्रेट, जैसलमेर, प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा अनुभाग, कलेक्ट्रेट, जैसलमेर, प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट, जैसलमेर, प्रभारी अधिकारी, मंत्रालयिक प्रशिक्षण, कलेक्ट्रेट, जैसलमेर का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया।

8. दिनांक 29.7.95 से 16.9.97 तक उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, कोटा के पद पर श्री प्रकाश चन्द पवन कार्यरत रहे। श्री पवन नें इस अवधि में उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग के दायित्वों का निर्वहन किया।

9. दिनांक 17.9.97 से 2.10.97 तक श्री प्रकाश चन्द पवन, जिला कलक्टर कार्यालय में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रहे। उक्त अवधि में इन्हें कोई कार्य नहीं सौंपा गया।

10. दिनांक 3.10.97 से 26.6.98 तक श्री प्रकाश चन्द पवन, आयुक्त, नगर निगम, कोटा के पद पर कार्यरत रहे। इस अवधि के दौरान श्री पवन ने नगर निगम कोटा में आयुक्त के पद के दायित्वों का निर्वहन किया।

11. दिनांक 27.6.98 से 22.5.99 तक श्री प्रकाश चन्द पवन, अति. कलक्टर (प्रशासन) करौली के पद पर कार्यरत रहे। उक्त अवधि में श्री पवन को राजस्व अनुभाग, न्याय अनुभाग, संस्थापन अनुभाग, चुनाव अनुभाग, सहायता अनुभाग, पंजीय अनुभाग, सतर्कता अनुभाग के प्रभारी अधिकारी का कार्य एवं साथ ही प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति, हिन्डौन के पद का कार्य भी सौंपा गया।

12. दिनांक 24.5.99 से लगातार श्री प्रकाश चन्द पवन, अति. जिला कलक्टर, बारां के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें स्थापना शाखा, राजस्व शाखा, न्याय शाखा, सतर्कता शाखा, चुनाव शाखा, जनगणना शाखा, सहायता एवं अकाल राहत शाखा, प्रभारी अतिक्रमण सम्बन्धी कार्य सौंपा गया, इसके अतिरिक्त समय–समय पर जिले में कानून व्यवस्था एवं अन्य आकस्मिक दायित्व निर्वहन किये जाने का कार्य भी सौंपा गया है।

गैर योजना मद में कटौती

202. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000–2001 में गैर योजना व्यय में कटौती करने हेतु आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्ष में कुल गैर योजना व्यय कितना प्रस्तावित था तथा कितना व्यय हुआ और कितने की कटौती की गई ?

(3) उक्त गैर योजना व्यय में कटौती करने के क्या उद्देश्य थे ? उक्त कटौती से प्राप्त राशि का कहां–कहां उपयोग किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। गैर योजना मद में वित्त विभाग ने परिपत्र क्र. प. 9 (1) वित्त 1 (1) आय–व्यय/2000 दिनांक 30.09.2000 द्वारा अवैतनिक व्ययों में 10 प्रतिशत कटौती करने के आदेश जारी किये थे। (प्रति संलग्न है)

(2) गैर योजना मद में वर्ष 2000–2001 में मूल प्रावधान कुल 14471.42 करोड़ रुपये रखा गया था। इस वर्ष में व्यय की गई राशि तथा कितनी कटौती (बचत) हुई की सूचना महालेखाकार से वास्तविक व्यय के आंकड़े प्राप्त होने पर ही मालूम हो सकेगी। इसमें अभी समय लगेगा।

(3) शासन में सादगी एवं मितव्ययता की संस्कृति विकसित करना गैर योजना व्यय में कटौती करने का उद्देश्य रहा है। इस कटौती से होने वाली बचत को अन्य अपरिहार्य मदों में होने वाले अधिक व्यय को पुनर्विनियोजन करने में उपयोग किया जाता है।

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.9(1)वित्त 1(1)आय व्य./2000 जयपुर, दिनांक 30 सितम्बर, 2000

परिपत्र

विषय :- राजकीय व्यय में मितव्ययता

शासन ने राजकीय व्यय में और अधिक मितव्ययता लाने की दृष्टि से इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31.8.2000 में उल्लेखित उपायों के अतिरिक्त यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक विभाग इस वित्तीय वर्ष में आयोजना भिन्न व्यय में अवैतनिक व्यय जैसे यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, कार्यालय व्यय, वाहन संधारण एवं अन्य व्यय आदि के उपलब्ध प्रावधान में 10 प्रतिशत की कटौती सुनिश्चित करेंगे तथा इन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिए निधियों के पुनर्विनियोजन की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नही दी जायेगी।

ह०

(टी. श्रीनिवासन)

शासन सचिव, वित्त

घग्गर नदी पर बने ओटू बीयर की क्षमता वृद्धि

203. **डा. रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या हरियाणा सरकार घग्गर नदी पर बने हुए पुराने ओटू बीयर से नीचे 45,903 क्यूसेक्स का नये ओटू बीयर का निर्माण कर रही है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य किस अवस्था में है ?

(2) क्या वर्ष 1995 में घग्गर नदी में आई बाढ़ के समय पुराने बीयर ने अपनी बीस हजार क्यूसेक्स निकासी की क्षमता के विरुद्ध चालीस हजार क्यूसेक्स से भी ज्यादा पानी की निकासी की थी ? यदि हां, तो बाढ़ की स्थिति में क्या नया ओटू बीयर अपनी क्षमता के दुगुने से भी ज्यादा नब्बे हजार क्यूसेक्स से भी ज्यादा की निकासी करने में सक्षम रहेगा ? यदि हां, तो ऐसी भयानक स्थिति से निबटने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान में घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाली हाइड्रोलियम स्ट्रक्चर्स में क्या तब्दीली की है ?

उत्तर

(1) जी हां। हरियाणा सरकार द्वारा 45903 क्यूसेक निकासी क्षमता के नये आटू बीयर का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

(2) जी हां। वैपकोस के तकनीकी अध्ययन के अनुसार वीयर से अधिकतम निकासी होने वाले पानी की मात्रा एक सौ वर्षीय परिक्रम के आधार पर 63604 क्यूसेक आंकी गई है, अतः 90000 क्यूसेक जल निकासी के अनुमान का कोई तकनीकी आधार नहीं है, परन्तु प्राकृतिक आपदा के समय वीयर पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित 45903 क्यूसेक्स की क्षमता से अधिक पानी आने पर उक्त वीयर से उस जल की निकासी तो होगी परन्तु उससे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी तथा वीयर, घग्गर डाईवर्सन चैनल एवं इंदिरा गांधी नहर फीडर आदि के असुरक्षित होने की आशंका रहेगी.।

घग्गर नदी के बहास क्षेत्र में बाढ़ के पानी को सुनियोजित एवं सुरक्षित रूप से निकासी करने हेतु संसाधनों की उपलब्धता होने पर निम्नानुसार कार्य किया जाना प्रस्तावित है :

1. बुर्जी सं. 629 इंदिरा गांधी फीडर पर घग्घर नदी में जल प्रवाह हेतु 24340 क्यूसेक्स क्षमता का एक अतिरिक्त साईफन का निर्माण।

2. बुर्जी सं. 629 इंदिरा गांधी फीडर पर

(सिंचाई मंत्री)

10000 क्यूसेक क्षमता का इन्टेक का निर्माण।

3. घग्घर डाईवर्सन नहर की बुर्जी 24 पर अतिरिक्त क्षमता का एस्केप निर्माण।

4. घग्घर डाईवर्सन नहर की क्षमता को बढ़ाने का कार्य।

5. घग्घर डाईवर्सन नहर की बुर्जी 25 पर क्रोस रेगुलेटर का निर्माण।

6. अनूपगढ़ शाखा में घग्घर नदी के जल प्रवाह हेतु अनूपगढ़ शाखा पर इन्टेक का निर्माण।

7. सेडल बांधों को मजबूत बनाने तथा उनमें से सीपेज कम करने का कार्य।

8. विभिन्न आबादियों के बचाव बांधों का पुनः निर्माण।

9. नाली बैड का डिमार्केशन किया जाकर बहाव के विरुद्ध बने बंधों एवं रुकावटों को हटाने का कार्य।

उक्त कार्यो हेतु 101.63 करोड़ रुपये की एक योजना केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 3.8.99 को अनुमोदित की गई है।

जिला चूरू के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

204. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 में कितने आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालय खोले जाने प्रस्तावित थे और वर्षवार कितना बजट आवंटित किया गया था, कितने औषधालय/यूनानी औषधालय खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चूरू में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सकों व कम्पाउण्डर के पद कब से रिक्त हैं और रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) वर्ष 2000–2001 में औषध व रसायन हेतु कितना बजट आवंटित हुआ और उसमें से कितनी राशि का व्यय हुआ ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999–2000 में 100 आयुर्वेदिक व 50 यूनानी औषधालय खोलने की घोषणा बजट भाषण में की गई थी। इस हेतु वर्ष 1999–2000 के बजट में 199.58 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था लेकिन प्लान सीलिंग कम किये जाने के कारण राशि का आवंटन नहीं हो सका फिर भी वर्ष 1999–2000 में प्रस्तावित नवीन औषधालयों में से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 9.7.99, 2.12.99, 14.3.2000, 31.3.2000, 27.11.2000, 14.12.2000,

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

3.1.2001, 17.1.2001 एवं 28.2.2001 के आदेशों से कुल 85 आयुर्वेदिक व 23 यूनानी औषधालय खोलने हेतु स्थानों का चयन कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है जिनकी सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

वर्ष 2000–2001 में नवीन आयुर्वेद व यूनानी औषधालय खोलना प्रस्तावित नहीं था और न ही कोई बजट आवंटित किया गया था।

(2) चूरू जिले में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में से 7 औषधालयों में चिकित्सक के पद तथा 4 औषधालयों में नर्स–कम्पाउण्डर के पद रिक्त हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दिया गया है। 200 चिकित्सकों के पदों को भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के लिए निवेदन किया जा रहा है। चयन होने पर 200 चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जा सकेंगे। 250 नर्स/कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

(3) "भैषज्यं, औषधियों व जड़ी बूटी" मद अन्तर्गत वर्ष 2000–2001 में विभाग को 227.58 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जिसके विरुद्ध 121.96 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

परिशिष्ट-"क"

वर्ष 1999-2000 में खोले जाने वाले नवीन औषधालयों के विरुद्ध दिनांक 31.3.2001 तक चयनित स्थानों की सूची

क्र.सं.	नाम स्थान	जिला	चिकित्सा पद्धति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
राज्यादेश क्रमांक प.1(2)आयु./99 दिनांक 9.7.99 के द्वारा स्वीकृत				
1.	दौसा खुर्द	दौसा	आयुर्वेद	
2.	एण्डवा	सवाईमाधोपुर	आयुर्वेद	
3.	पिपरोली	अजमेर	आयुर्वेद	
4.	झारेडा	अलवर	आयुर्वेद	
5.	चिरोंज	टोंक	आयुर्वेद	
6.	ढेलाणा	उदयपुर	आयुर्वेद	
7.	कलाऊ	जोधपुर	आयुर्वेद	
8.	घरडू की ढाणी	झुन्झुनूं	आयुर्वेद	
9.	खटवाडा	बांसवाड़ा	आयुर्वेद	
10.	केरला नाडा	जोधपुर	आयुर्वेद	
11.	रोसावा	सीकर	आयुर्वेद	
12.	बड की ढाणी	झुन्झुनूं	आयुर्वेद	
13.	सांकरवाड़ा	दौसा	आयुर्वेद	
14.	मोधूनगर	हनुमानगढ़	आयुर्वेद	
15.	नारेली	अजमेर	आयुर्वेद	
16.	गीलों की ढाणी	सीकर	आयुर्वेद	
17.	सोडलपुरा	बांसवाड़ा	आयुर्वेद	
18.	बाघसरा पूर्वी	चूरू	आयुर्वेद	
19.	झाणेका	बीकानेर	आयुर्वेद	
20.	मांजीपुरा	सीकर	आयुर्वेद	
21.	पीढी	भरतपुर	आयुर्वेद	
22.	गोहन्दी	जयपुर	आयुर्वेद	

1	2	3	4	5
23.	दौलतपुरा	करौली	आयुर्वेद	
24.	सेमटाल	उदयपुर	आयुर्वेद	
25.	मेहरूकलां	अजमेर	आयुर्वेद	राज्यादेश दिनांक 6.12.99 द्वारा निरस्त
26.	हिसनियां	भीलवाड़ा	आयुर्वेद	राज्यादेश दिनांक 6.12.99 द्वारा निरस्त
27.	बाण्ड	बाड़मेर	आयुर्वेद	
28.	बीकाजी की टेकरी के पास	बीकानेर	आयुर्वेद	
29.	पीपलोद	झालावाड़	आयुर्वेद	
30.	खलासी	झुन्झुनूं	आयुर्वेद	
31.	रूपालिया	भीलवाड़ा	आयुर्वेद	
32.	जोधपुरा	जयपुर	आयुर्वेद	
33.	श्योपुरा (टांकों का वास)	झुन्झुनूं	आयुर्वेद	
34.	बन्नू की ढाणी	जालौर	आयुर्वेद	
35.	कल्याणसर	चूरू	आयुर्वेद	
36.	कांकरिया	झुन्झुनं	आयुर्वेद	
37.	रताऊ	नागौर	आयुर्वेद	
38.	असलखेड़ी	चूरू	आयुर्वेद	
39.	डेरिया	बाड़मेर	आयुर्वेद	
40.	दूदी आमलोदा	जयपुर	अायुर्वेद	
41.	खारिया खरिया	जोधपुर	आयुर्वेद	
42.	मेवडा	नागौर	यूनानी	
43.	रामनगरिया	जयपुर	यूनानी	
44.	कैलवा	जैसलमेर	यूनानी	

1	2	3	4	5
45.	चंदलाई	टोंक	यूनानी	
46.	गेगल	अजमेर	यूनानी	
47.	भागू का गांव	जैसलमेर	यूनानी	
48.	डीडवाना	नागौर	यूनानी	
49.	किशनगढ़वास	अलवर	यूनानी	
50.	बकरामंडी	जोधपुर	यूनानी	
51.	जालूपुरा नया	जयपुर	यूनानी	
52.	शील की डूंगरी	जयपुर	यूनानी	
53.	गैटोर	जयपुर	यूनानी	
54.	महुआ	दौसा	यूनानी	
55.	पूंजासर	बाड़मेर	यूनानी	
राज्यादेश क्रमांक प.1(2)आयु./99 दिनांक 6.12.99 द्वारा स्वीकृत				
1.	सलेमपुर कलां	भरतपुर	आयुर्वेद	
2.	हाउसिंग बोर्ड एरिया ब्यावर	अजमेर	आयुर्वेद	
3.	बदनौर	भीलवाड़ा	आयुर्वेद	
4.	राजगढ़ शहर	अलवर	आयुर्वेद	
5.	लक्ष्मणगढ़	अलवर	आयुर्वेद	
6.	नथाबेडा	नागौर	आयुर्वेद	
7.	खानपुर	झालावाड़	आयुर्वेद	
8.	नोहर	हनुमानगढ़	आयुर्वेद	राज्यादेश दिनांक 31.3.2000 से निरस्त
9.	सुल्तानपुर	कोटा	आयुर्वेद	
10.	नीमाज	पाली	आयुर्वेद	
11.	भदेसर	चित्तौड़गढ़	आयुर्वेद	
12.	संगरिया शहर	हनुमानगढ़	आयुर्वेद	
13.	नादिया	बांसवाड़ा	आयुर्वेद	

1	2	3	4	5
14.	सरदारशहर	चूरू	आयुर्वेद	
15.	चौथ का बरवाड़ा	सवाईमाधोपुर	आयुर्वेद	
16.	शेषपुर	उदयपुर	आयुर्वेद	
17.	पावला	जयपुर	आयुर्वेद	
18.	पिछवाडा	बांसवाड़ा	आयुर्वेद	
19.	मोहनबाड़ी	झुन्झुनूं	आयुर्वेद	
20.	लिम्बोडबड़ी	डूंगरपुर	आयुर्वेद	
21.	माण्डल	भीलवाड़ा	यूनानी	
22.	सुनारी	अलवर	आयुर्वेद	
23.	पीपल्दा शहर	कोटा	आयुर्वेद	
24.	प्रतापनगर	जयपुर	आयुर्वेद	
25.	भगवाड़ी खुर्द	अलवर	आयुर्वेद	
26.	कहारी	डूंगरपुर	आयुर्वेद	
27.	देसूरी	पाली	आयुर्वेद	
28.	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़	आयुर्वेद	राज्यादेश दिनांक 31.3.2000 से निरस्त
29.	बागीदोरा	बांसवाड़ा	आयुर्वेद	
30.	बेगूनगर	चित्तौड़गढ़	यूनानी	
31.	भादवाडी	सीकर	आयुर्वेद	
32.	मोहलाबडली	नागौर	आयुर्वेद	
33.	बाप	जोधपुर	यूनानी	
34.	लकडियाली	बाड़मेर	आयुर्वेद	
35.	श्योरया	करौली	आयुर्वेद	
36.	बटवाड़ा	कोटा	आयुर्वेद	
37.	पारा	अजमेर	आयुर्वेद	आदेश दि. 22.3.2000 से निरस्त

1	2	3	4	5
राज्यादेश क्रमांक प.1(2)आयुर्वेद/99 दिनांक 14.3.2000 से स्वीकृत-				
1.	भादरा	हनुमानगढ़	आयुर्वेद	
राज्यादेश क्रमांक प.1(2)आयुर्वेद/99 दिनांक 31.3.2000 से स्वीकृत-				
1.	नवलसिंह की गढ़ी (बाडडोली)	अलवर	आयुर्वेद	
2.	बड़ी खाटू	नागौर	यूनानी	
3.	राजलदेसर	चूरू	आयुर्वेद	
4.	नबोडोबेरा	बाड़मेर	आयुर्वेद	
राज्यादेश क्रमांक प.1(2)आयुर्वेद/99 दिनांक 27.11.2000 से स्वीकृत-				
1.	टाकरड़ा	जयपुर	आयुर्वेद	
2.	जहाजपुर	भीलवाड़ा	यूनानी	
3.	झाग	अजमेर	आयुर्वेद	
4.	कराडियापार	बारां	आयुर्वेद	
5.	जयसिंहपुरा	झुन्झुनूं	आयुर्वेद	
6.	रलायता	भीलवाड़ा	आयुर्वेद	
7.	कोयल	राजसमंद	आयुर्वेद	
8.	बानूसर	अलवर	आयुर्वेद	
9.	छापरिया	बांसवाड़ा	आयुर्वेद	
10.	सीकर शहर	सीकर	यूनानी	
राज्यादेश क्रमांक प.1(2)आयुर्वेद/99 दिनांक 14.12.2000 से स्वीकृत-				
1.	मिलखपुर	अलवर	आयुर्वेद	
2.	जटियाला	अलवर	यूनानी	
राज्यादेश क्रमांक प.1(2)आयुर्वेद/99 दिनांक 3.1.2001 से स्वीकृत-				
1.	गोविन्दगढ़	अलवर	यूनानी	
राज्यादेश क्रमांक प.1(2)आयुर्वेद/99 दिनांक 17.1.2001 से स्वीकृत-				

1	2	3	4	5
1.	दयावली	भरतपुर	आयुर्वेद	
2.	आईदान का बास	जयपुर	आयुर्वेद	

राज्यादेश क्रमांक प.1(2)आयुर्वेद/99 दिनांक 28.2.2001 से स्वीकृत-

1.	सीकरी	भरतपुर	यूनानी

परिशिष्ट "ख"

जिला चूरू में दिनांक 20.3.2001 को आयुर्वेद औषधालय/किचकित्सालय में आयुर्वेद चिकित्सकों एवं नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों का विवरण

पदरथापन नहीं होने के कारण :

क्र.सं.	स्थान औषधालय	अवधि जब से पदस्थापन नहीं हो रहा है
आयुर्वेद चिकित्सक		
1.	कलवास	15.1.2001
2.	सीतासर	15.1.2001
3.	मालासर	4.12.2000
4.	मून्दड़ा	15.1.2001
5.	जोगनसर	14.9.2000
6.	धीरासर	22.1.2001
7.	लखाऊ	22.1.2001
नर्स-कम्पाउण्डर		
1.	मलसीसर	1.9.2000
2.	धान्धू	1.10.2000
3.	लोहारा	24.11.2000
4.	अ श्रेणी चूरू	5.2.2001

चित्तौड़गढ़ शहर को घोसुण्डा बांध से पेयजल आपूर्ति

205. **श्री सुरेन्द्र जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित घोसुण्डा बांध पानी का उपयोग हिन्दुस्तान जिंक लि. चन्देरिया (चित्तौड़) द्वारा किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में विगत वर्षों से पेयजल की समस्या है ?

(3) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ शहर की पेयजल व्यवस्था उक्त बांध से करने का विचार रखती है ? क्या वर्तमान में उक्त बांध की ऊंचाई भी बढ़ाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या चित्तौड़गढ़ शहर को इससे पेयजल आसानी से उपलब्ध कराया जा सकेगा ?

(4) अब उक्त बांध से चित्तौड़गढ़ शहर को पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पिछले 3–4 वर्षों से वर्षा की कमी एवं निरन्तर घटते भूजल स्तर के कारण चित्तौड़गढ़ शहर में पेयजल की समस्या है।

(3) जी हां। चित्तौड़गढ़ शहर की पेयजल समस्या के दीर्घकाली समाधान हेतु घोसुण्डा बांध स्रोत से योजना विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में दिनांक 23 मार्च, 2001 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के अधिकारियों की एक बैठक भी आयोजित की गई थी। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बांध का निर्माण दिसम्बर, 2001 तक पूर्ण कराना सम्भावित है। उक्त कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् चित्तौड़गढ़ शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु पर्याप्त वर्षा की अवस्था में पानी रोकना सम्भव हो सकेगा। लेकिन पेयजल की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त मात्रा में पानी रोकने पर अतिरिक्त भूमि डूब क्षेत्र में आयेगी। इस डूब में आने वाली अतिरिक्त भूमि का आकलन एवं इसके लिए आवश्यक मुआवजा राशि की गणना का कार्य अलग से किया जा रहा है। इस आंकलन के पश्चात् ही घोसुण्डा बांध से चित्तौड़गढ़ शहर के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु कोई निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(4) उपरोक्त बिन्दु संख्या 3 के उत्तर के अनुसार।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधीनस्थ सेवा परीक्षा में अनियमितताएं

206. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री सांवर लाल)

थी ? यदि हां, तो कब से कब तक ? उक्त परीक्षा का परिणाम कब घोषित किया गया ?

(2) क्या उक्त परिणाम घोषित करते समय जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के थे, उनके अंक सामान्य अभ्यर्थियों के बराबर या अधिक थे उन्हें सामान्य की श्रेणी में मानकर वरीयता सूची में लेकर घोषित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यही प्रक्रिया मुख्य परीक्षा के परिणाम में अपनाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या नवम्बर–दिसम्बर, 2000 में राजस्थान लोग सेवा के साक्षात्कार आयोजित किये गये ? यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग साक्षात्कार अलग–अलग तिथियों पर कराये गये ? क्या साक्षात्कार लेने वालों को यह पता रहना कि अभ्यर्थी किस वर्ग का है यह उचित है ? यदि हां, तो कैसे ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा, 1999 की प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 28.11.99 को राजस्थान के 32 जिला केन्द्रों पर आयोजित की गई। तत्पश्चात् एक प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 12.3.2000 को 15 जिला केन्द्रों पर आयोजित हुई। उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक 27.5.2000 को घोषित किया गया।

(2) जी नहीं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के उपनियम–15 के अनुसार वर्गानुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 15 गुना तक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

15 गुना वर्गानुसार अभ्यर्थियों की सूची बनाते समय यह नहीं देखा जाता है कि किस वर्ग विशेष के अन्तिम अभ्यर्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं अपितु वर्ग में उन सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाता है जो उस वर्ग विशेष के लिए विज्ञापित रिक्तियों की 15 गुना की वरियता में आते हैं।

(3) आयोग के निर्णयानुसार प्रत्येक वर्ग के लिए विज्ञापित आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध तीन गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जाता है तथा तीन गुना की सूची बनाने की प्रक्रिया वही है जो प्रश्न के भाग–2 के उत्तर में अंकित की गई है।

(4) जी हां। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य

(कार्मिक मंत्री)

परीक्षा, 1999 के साक्षात्कार दिनांक 13.11.2000 से 29.12.2000 तक लिये गये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दो वर्गों में आमंत्रित किया गया था। यह आयोग की आन्तरिक व्यवस्था है तथा समय–समय पर पूरी आयोग की बैठकों में हुए विचार विमर्श के आधार पर यह नीति बनाई गई है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/ जनजाति के हितों को सुरक्षित रखना है व इस व्यवस्था से अनुसूचित जाति/जनजाति के अंकों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

शराब के ठेकेदारों से बकाया की वसूली

207. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 2001 में राज्य में देशी शराब के ठेके अलग–अलग समूहों के लिए कितनी राशि पर छूटे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ठेकों के पूर्व राज्य में कब ठेके कितने समय के लिए छूटे थे ? उक्त ठेकेदारों में कितनी–कितनी राशि बकाया है ?

(3) उक्त बकाया राशि समय पर नियमानुसार सिक्योरिटी में से ज़ब्त क्यों नहीं की गई ? अब तक उक्त राशि की वसूली क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 2001–2002 के लिए देशी मदिरा हेतु अलग से समूहों का निर्धारण नहीं किया गया है अपितु देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी एवं बीयर के लिए संयुक्त समूह बनाये गये हैं। राज्य में 29 मदिरा समूहों के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिन राशियों पर उक्त समूह के ठेके स्वीकृत किये गये हैं, उसका विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2001–2002 से पूर्व वर्ष 1999–2000 एवं 2000–2001 के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए ठेके स्वीकृत किये गये थे। वर्ष 1999–2000 की मदिरा समूह के ठेकेदारों के विरुद्ध मार्च, 2001 तक बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) बकाया राशि की वसूली सिक्योरिटी राशि से समायोजित की जा रही है तथा शेष राशि भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत प्रक्रिया अपनाकर बकाया राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

यांत्रिक खण्ड के अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन

208. **श्री नानालाल नीनामा** (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि यांत्रिक खण्ड के अन्तर्गत मशीनों सम्बन्धी परियोजना में कार्य नहीं है ? यदि हां, तो उससे सम्बन्धित कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष कितना व्यय हो रहा है ?

(2) क्या यांत्रिक खण्ड से सम्बन्धित वेतन प्राप्त करने वालों को अधिशेष नहीं कर जिन कर्मचारियों का परियोजना में कार्य है उन्हें अधिशेष किया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार यांत्रिक खण्ड के उपकरण एवं कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। माही परियोजना में शेष रहे निर्माण कार्यो को पूरा करने हेतु यांत्रिक उपखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत अधिकांश मशीनों की अभी आवश्यकता है। परन्तु इनमें से कुछ मशीनों को सीमित बजट के कारण पूर्ण रूप से कार्य में नहीं लिया जा रहा है। वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से जो मशीनें कार्य पर नहीं ली जा सकती हैं उन पर तैनात कर्मचारियों पर 7.32 लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय हो रहा है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा परियोजना पर कार्य की आवश्यकतानुसार यांत्रिक खण्ड सहित समस्त श्रेणी के अधिक कर्मचारियों को अधिशेष घोषित किया जा रहा है।

(3) जी हां। यान्त्रिक खण्ड के अधिशेष उपकरणों एवं कर्मचारियों को अन्य विभागों में भेजने हेतु कार्यवाही जारी है।

ब्यावर शहर में पेयजल की आपूर्ति

209. **डा. के. सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ब्यावर शहर के लिए पेयजल की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या जल वितरण व राजस्व के लिए अलग–अलग व्यवस्था है ?

(3) क्या पूर्व में उचित राजस्व वसूली हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अमल क्यों नहीं हुआ ?

(4) क्या कर्मचारियों से उनके प्रशिक्षण के अनुरूप ही कार्य किया जाता है या अप्रशिक्षित कर्मचारियों से राजस्व वसूली का काम लिया जाता है ?

उत्तर

(1) ब्यावर शहर में जल आपूर्ति बीसलपुर परियोजना से जल प्राप्त कर की जाती है

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)

तथा शहर में प्रतिदिन लगभग 90.00 लाख लीटर जल वितरित किया जाता है। इसमें से 72.00 लाख लीटर बीसलपुर परियोजना से एवं लगभग 18.00 लाख लीटर जालियां, सेंदडा एवं मकरेडा के स्थानीय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। इन स्रोतों से प्रतिदिन उत्पादन कर शहर में 55 जोन में क्रमवार जल वितरण किया जाता है। प्रत्येक जोन में 48 घंटे के अन्तराल पर लगभग 40–45 मिनट समय हेतु जल वितरित किया जाता है।

(2) जी हां। जल वितरण के लिए अलग कर्मचारी हैं, जबकि राजस्व से सम्बन्धित कार्य के लिए अलग कर्मचारी हैं।

(3) ब्यावर शहर में सभी जल सम्बन्धों पर मीटर लगाने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए थे। लेकिन शहर के उपभोक्ताओं द्वारा विरोध करने के फलस्वरूप अभी तक कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(4) योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो का सम्पादन उपलब्ध स्टाफ के अनुसार करवाया जाता है। राजस्व वसूली हेतु अलग से कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। राजस्व वसूली भी उपलब्ध स्टाफ से ही करवायी जा रही है।

प्रशासनिक सुधार आयोग से प्राप्त प्रतिवेदनों पर कार्यवाही

210. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अब तक कौन–कौन से विभाग से सम्बन्धित प्रशासनिक सुधार/सुझाव बाबत रिपोर्ट राज्य सरकार को जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मंत्रिमण्डल उप समिति ने अब तक प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी रिपोर्ट में से कौन–कौन से विभाग में सुधार आयोग के सुझावों को लागू किये जाने की अपनी सहमति प्रदान की है ?

(3) राज्य सरकार ने अब तक प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिये गये प्रस्तावों में से कौन–कौन से प्रस्ताव/सुझाव को नामंजूर कर दिया है ?

(4) वर्तमान में प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन–कौन से विभाग के प्रतिवेदन पर मंत्रिमण्डल समिति विचार कर रही है ?

(5) प्रशासनिक सुधार आयोग से राज्य सरकार को कौन–कौन से विभागों के प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है ?

उत्तर

(1) प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिनांक

(प्रशासनिक सुधार मंत्री)

31.3.2001 तक निम्नांकित 10 विभागों से सम्बन्धित प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किये हैं, जिनकी सूची इस प्रकार है :—

1. पंजीयन एवं मुद्रांक।
2. भूमि एवं भवन कर, गृह कर, शहरी जमाबन्दी पर कर तथा शहरी जमाबन्दी का निर्धारण।
3. राजस्व प्रशासन।
4. राज्य सिविल सेवकों के लिए स्थानान्तरण नीति।
5. जन अभाव अभियोग निराकरण।
6. राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार पर प्रतिवेदन।
7. पुलिस प्रशासन।
8. पंचायती राज संस्था।
9. राजकीय वाहनों से सम्बन्धित।
10. आदर्श स्थानान्तरण नीति।

(2) मंत्रिमण्डल उप समिति द्वारा सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

(3) राज्य सरकार ने अभी तक किसी भी प्रस्ताव/सुझाव को नामंजूर नहीं किया है।

(4) मंत्रिमण्डलीय उप समिति वर्तमान में "भूमि एवं भवन कर, गृह कर तथा शहरी जमाबन्दी पर कर" से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार कर रही है।

(5) आयोग अन्य विभागों की कार्य प्रक्रिया/प्रणाली पर विचार कर प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य कर रहा है।

जिला नागौर की पेयजल समस्या का समाधान

211. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में बांका पट्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998—99 एवं 1999—2000 में पेयजल समस्या के निवारण हेतु कौन—कौनसी योजनाएं स्वीकृत की गई थीं ? योजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन—कौनसी योजना का कार्य अपूर्ण है तथा कौन—कौनसी योजना का कार्य पूर्ण हो गया है और कौनसी कार्य पूर्ण कर चालू कर दी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अपूर्ण योजनाओं में क्या व्यवधान है और अब कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में बांका पट्टी योजना के अन्तर्गत वर्णित समय काल में पेयजल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

समस्या के निवारण हेतु एक योजना अनुमानित लागत 508.06 लाख रुपये की सितम्बर, 1998 में स्वीकृत की गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत 50 गांव तथा 60 ढाणियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना मूल रूप से 9 योजनाओं का समूह है। पैकेजवार 9 योजनाओं का विवरण यथा गांव तथा ढाणी का नाम, जनसंख्या तथा लागत का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना में कुल 9 पैकेज बनाये गये हैं। पैकेज संख्या 3 से 9 तक कार्य प्रगति पर है। पैकेज संख्या एक एवं दो तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया में है। पैकेजवाइज प्रगति विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) पैकेजवाइज प्रगति विवरण प्रपत्र "ब" के अनुसार है। स्वीकृत पैकेज संख्या 3 से 9 तक का कार्य मार्च, 2002 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। पैकेज संख्या एक एवं दो जो तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया में है, के कार्य स्वीकृति पश्चात् बजट एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण किये जा सकेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(अतारांकित प्रश्नोत्तर)

पेंशनरों को सवाई मानसिंह चिकित्सालय व अन्य चिकित्सालयों में निःशुल्क सुविधा

346. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा पेंशनभोगी कर्मचारी/अधिकारियों को वर्तमान में क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में पेंशनभोगी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ देय है ? यदि हां, तो कितनी–कितनी राशि का ? क्या उक्त राशि पर्याप्त है ? क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी–कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने असाध्य रोग से ग्रसित पेंशनभोगी कर्मियों के उपचार हेतु कोई विशेष प्रावधान किया है ? क्या जटिलतम रोग का इलाज बड़े–बड़े चिकित्सालय, सवाई मानसिंह या अन्य कोई चिकित्सालय में करवाने का भी प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालयों में उनको किस–किस प्रकार की सुविधाएं भर्ती होने पर या भर्ती नहीं होने पर दी जाती

(श्री रामस्वरूप)

हैं ? उक्त को दवाइयां कहां–कहां से उपलब्ध कराई जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पेंशनभोगियों को सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के अलावा अन्य सभी राज्य के चिकित्सालय में सभी तरह की जांचें एवं एक्सरे, सी. टी. स्केन सहित अन्य क्या–क्या जांच निःशुल्क की जाती है ? उक्त जांच करवाने के क्या नियम बना रखे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा पेंशनभोगी कर्मचारी/अधिकारियों को वर्तमान में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही है :–

1. राजकीय अस्पताल में अंतरंग/बहिरंग रोगी के रूप में इलाज कराने पर अस्पताल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था।

2. अस्पताल में दवा अनुपलब्ध होने की दशा में अधिकृत चिकित्सक द्वारा पेंशनर की मेडीकल डायरी में दवा लिखने पर दवाइयों की अधिकृत दुकानों से रुपये 3,000/– प्रतिवर्ष की सीमा तक निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

3. इससे अधिक दवा की आवश्यकता होने पर चिकित्सक/मेडीकल बोर्ड की सिफारिश पर जिला समिति के अनुमोदन के उपरान्त जिला कलेक्टर द्वारा उपरोक्त सीमा में रुपये 25,000/– तक शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

4. रुपये 25,000/– से भी अधिक दवाओं की आवश्यकता होने पर जिला समिति राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के न्यासी बोर्ड की उप–समिति को सिफारिश कर सकती है।

5. राजकीय अस्पतालों में टेस्टों की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना।

6. सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर पेंशनर्स को उनकी सेवानिवृत्ति पर वेतन वर्गीकरण के अनुसार निःशुल्क आवास की व्यवस्था।

7. इसके अतिरिक्त रोगी के विशिष्ट उपचार हेतु राजकीय अस्पताल अथवा राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाहर अनुमोदित अस्पतालों में इलाज कराने पर निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना :–

(अ) राजकीय अस्पतालों में बाईपास सर्जरी कराने पर व्यय का 100 प्रतिशत अथवा रुपये 1.20 लाख, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराना।

(ब) बीमारियों के अनुमोदित अस्पतालों में "विशिष्ट इलाज" कराने पर व्यय की गई राशि का 80 प्रतिशत अथवा रुपये 1.20

(वित्त मंत्री)

लाख, जो भी कम हो।

8. राजकीय अस्पतालों में पेसमेकर प्रत्यारोपण कराने पर व्यय की 80 प्रतिशत राशि अथवा रुपये 28,000/–, दोनों में से जो भी कम हो।

9. मोतियाबिन्द के ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले "इन्ट्रा–ओ–क्यूलर लेन्स" की राशि का पुनर्भरण।

10. राज्य में दूर दराज के इलाकों में निवास कर रहे पेंशनर्स को जहां 10 किलोमीटर तक कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे पेंशनर्स को उक्त निःशुल्क चिकित्सा के स्थान पर 100/– प्रतिमाह स्थिर चिकित्सा भत्ता देने की व्यवस्था।

11. राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को भी 100/– प्रतिमाह स्थिर चिकित्सा भत्ता देने का नियमों में प्रावधान।

(2) जी हां। प्रश्न के भाग–1 के उत्तर में अंकितानुसार उपरोक्त राशि पेंशनभोगी कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा हेतु पर्याप्त है। इसी राशि में वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उप समिति चिकित्सक/चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर असीमित राशि स्वीकृत करने हेतु सक्षम है।

(3) जी हां। असाध्य रोग से ग्रसित पेंशनभोगी कर्मियों के उपचार हेतु राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना में विशेष प्रावधान है। जटिलतम रोग के इलाज हेतु सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर एवं राज्य के बाहर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में इलाज कराने का भी प्रावधान है। राजकीय अस्पतालों में अंतरंग रोगी के रूप में इलाज कराने पर अस्पताल द्वारा रोगी को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है। अस्पताल में दवा अनुपलब्ध होने पर अंतरंग/बहिरंग रोगी के रूप में उपचार कराने पर अधिकृत चिकित्सक द्वारा पेंशनर्स की मेडीकल डायरी में दवा लिखाने पर अधिकृत दवा की दुकानों से निःशुल्क दवा प्राप्त की जा सकती है। यदि अधिकृत दवा की दुकानों पर कोई दवा उपलब्ध नहीं होती है तो अधिकृत दवा की दुकान द्वारा पेंशनर को जारी किये गये अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र के आधार पर जयपुर शहर में पेंशनर को बाजार से क्रय की गई दवा की राशि के पुनर्भरण करने का प्रावधान है तथा राज्य के अन्य जिलों में अधिकृत सहकारी दवा की दुकान से प्राप्त अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के आधार पर उनके द्वारा अधिकृत दवा की निजी दुकानों से निःशुल्क दवा प्राप्त करने का प्रावधान है। विशिष्ट प्रकार के उपचार हेतु राजकीय अस्पताल व राज्य के बाहर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत चिकित्सालयों में इलाज कराने पर पेंशनर्स को वित्तीय सहायता प्रदान की

(वित्त मंत्री)

जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 1.20 लाख है। विशिष्ट उपचार के सम्बन्ध में पेंशनर्स द्वारा अस्पताल में एडवासंस राशि जमा कराई जाती है तथा इसके पश्चात् दवाओं व इम्प्लान्ट्स की व्यवस्था अस्पताल अपने स्तर पर करता है।

(4) जी हां। पेंशनभोगियों को सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के अलावा अन्य सभी राजकीय चिकित्सालयों में सभी प्रकार की जांचें एवं एक्स–रे, सी. टी. स्केन सहित की सुविधा जो सम्बन्धित अस्पताल में उपलब्ध हो निःशुल्क दी जाती है।

पेंशन प्रकरणों की जिला स्तर पर समीक्षा हेतु गठित समिति

347. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पेंशन प्रकरणों की जिला स्तर पर समीक्षा हेतु राज्यादेश प. 7 (3)वित्त/राले/1–94 दिनांक 12.2.94 व समसंख्यक दिनांक 30.8.94 के तहत समिति का गठन किया गया तथा राज्यादेश क्रमांक 3 (2) प्र.सु./अनु.–1/94 दिनांक 2.6.94 के तहत विभागाध्यक्ष/सचिवों/मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था ? उक्त आदेशों के तहत वर्ष 2000–2001 में किन–किन जिलों में बैठकें आयोजित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त बैठकें आयोजित करने हेतु किस विभाग का उत्तरदायित्व है ? उक्त अवधि में विभागाध्यक्षों/सचिवों तथा मुख्य सचिव के स्तर पर कब–कब बैठकें आयोजित की गई ?

(2) वर्ष 2000–2001 में जिन जिलों में व विभागाध्यक्षों द्वारा कोई समीक्षा ही नहीं की गई उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या दिनांक 7.7.2000 व 7.1.2001 को समस्त सचिवों से संकलित सूचना वित्त विभाग में प्राप्त हुई ? यदि नहीं, तो किन–किन विभागों से तथा शेष से प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई ? उक्त सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा कब–कब समीक्षा की गई तथा क्या दिशा–निर्देश जारी किये गये ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त परिपत्रों की समयबद्ध अनुपालना कराने हेतु किस विभाग का उत्तरदायित्व है ? क्या सरकार पुनः दिशा निर्देश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। बकाया पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु प. 7 (3) वित्त/राले–1/94 दिनांक 12 फरवरी, 1994 द्वारा जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है एवं समसंख्यक

(वित्त मंत्री)

दिनांक 30.8.94 द्वारा उक्त समिति में जिला पेंशनर समाज के अध्यक्ष/सचिव को प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। राज्यादेश प. 3 (2) प्र.सु./अनु–1/94 दिनांक 2.6.94 द्वारा पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2000–2001 में राज्य के विभिन्न जिलों में बैठकों का विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है। बैठकें आयोजित करने हेतु सम्बन्धित विभाग एवं जिला कलेक्टर्स का दायित्व है। दिनांक 14.8.2000 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सम्बन्धित शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष भी सम्मिलित थे।

(2) लम्बित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा हेतु जिलों की समीक्षा विवरण परिशिष्ट–अ पर संलग्न है तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर परिपत्र प. 1 (24) वित्त/जीएण्डटी/98 दिनांक 25.8.1999 द्वारा पेंशन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई जिसमें मासिक बैठक आयोजित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

(3) लम्बित पेंशन प्रकरणों में न्यायिक वादकरण से बचने हेतु समस्त प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, विभागाध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर्स को पत्र प. 15 (4) वित्त/2000 दिनांक 17.7.2000 जारी किया गया था जिसमें पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। मुख्य सचिव महोदय ने दिनांक 14.8.2000 को आयोजित बैठक में निर्देश दिये कि सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सेवकों के पेंशन से सम्बन्धित मामलों को निपटाने की कार्यवाही 2 वर्ष पूर्व से ही प्रारम्भ कर दी जावे और सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व पूरी हो जावे ताकि सेवानिवृत्ति की तिथि पर सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों को पेंशन लाभों का भुगतान हो सके।

(4) परिपत्र की समयबद्ध पालना कराने का कर्तव्य सम्बन्धित विभाग का है। जारी किये गये दिशा–निर्देश पर्याप्त हैं और वर्तमान में दिशा–निर्देश जारी किये जाने की

परिशिष्ट-''घ''

क्र.सं.	जिला	जिला कलेक्टर्स द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान आयोजित जिला स्तरीय मीटिंग की तिथियां	आयोजित मीटिंगों की संख्या
1		2	3
1.	जयपुर	25.05.2000, 28.02.2001	2
2.	दौसा	29.04.2000, 4.07.2000, 14.11.2000 20.01.2001, 17.03.2001	5
3.	अलवर	05.05.2000, 27.06.2000, 27.09.2000, 27.12.2000, 14.03.2001	5
4.	भरतपुर	शून्य	शून्य
5.	धौलपुर	29.07.2000, 15.12.2000, 22.01.2001, 16.02.2001, 17.03.2001	5
6.	झुन्झुनूं	24.03.2000, 30.06.2000, 30.10.2000	3
7.	सीकर	20.06.2000	1
8.	अजमेर	15.05.2000, 19.06.2000, 17.07.2000, 31.08.2000, 25.10.2000, 29.11.2000, 30.01.2001	7
9.	टोंक	29.05.2000, 05.02.2001, 05.03.2001	3
10.	भीलवाड़ा	शून्य	शून्य
11.	नागौर	15.04.2000, 25.04.2000, 11.10.2000, 11.02.2001	4
12.	कोटा	06.05.2000, 16.11.2000, 29.03.2001	3
13.	बारां	15.05.2000, 07.09.2000	2
14.	बून्दी	27.04.2000, 24.06.2000, 26.09.2000, 19.12.2000	4
15.	झालावाड़	7.04.2000, 11.05.2000, 09.06.2000, 15.07.2000, 26.08.2000, 13.10.2000, 10.11.2000, 08.12.2000, 09.01.2001 09.02.2001	10

1		2	3
16.	सवाई माधोपुर	16.05.2000, 20.10.2000, 20.12.2000	3
17.	करौली	29.09.2000, 30.12.2000, 23.01.2001, 24.02.2001	4
18.	जोधपुर	12.02.2001	1
19.	जैसलमेर	12.07.2000, 23.10.2000, 10.01.2001	3
20.	जालौर	20.04.2000, 25.11.2000, 08.02.2001, 31.03.2001	4
21.	बाड़मेर	29.06.2000, 25.08.2000, 22.12.2000, 17.03.2001	5
22.	पाली	20.05.2000, 24.08.2000, 06.12.2000	3
23.	सिरोही	29.04.2000, 26.08.2000, 23.12.2000, 17.03.2001	4
24.	उदयपुर	17.06.2000, 4.10.2000	2
25.	राजसमन्द	24.05.2000, 24.01.2001, 23.03.2001	3
26.	चित्तौड़गढ़	25.10.2000	1
27.	डूंगरपुर	17.04.2000, 17.07.2000, 19.12.2000, 17.03.2001	4
28.	बांसवाड़ा	09.05.2000, 09.06.2000, 10.07.2000, 17.08.2000, 21.09.2000, 21.10.2000, 31.01.2001	7
29.	बीकानेर	10.05.2000, 26.08.2000, 21.12.2000, 29.01.2001	4
30.	हनुमानगढ़	24.07.2000, 26.12.2000	2
31.	चूरू	22.05.2000, 07.09.2000, 20.09.2000, 20.11.2000 5.1.2001, 22.2.2001	6
32.	गंगानगर	08.06.2000, 17.08.2000, 10.10.2000, 29.01.2001	4

तहसील घाटोल (बांसवाड़ा) में उपकोष कार्यालय की स्थापना

348. **श्री नानालाल नीनामा** (घाटोल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार जिला बांसवाड़ा की सबसे बड़ी तहसील घाटोल में स्वतंत्र रूप से उपकोष कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। घाटोल में "स्वतंत्र उपकोष" खोलने पर राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। चूंकि घाटोल "उपकोष" द्वारा पेंशन भुगतान, मुद्रांकों का बेचान तथा राजस्व संग्रह का कार्य पहले से ही किया जा रहा है अतः "स्वतंत्र उपकोष" खोले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

प्रश्न संख्या-349

(स्थगित)

वायुयान व हैलीकॉप्टरों के रख-रखाव पर व्यय

350. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार के पास वर्तमान में कितने वायुयान व हैलीकॉप्टर हैं एवं उनमें प्रत्येक में बैठक क्षमता क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त के रख–रखाव व उपयोग में प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है व प्रतिवर्ष स्टाफ पर व्यय कितना आता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त "वायुयान व हैलीकॉप्टर" प्रति घण्टा कितना ईंधन खाते हैं एवं प्रति घंटा कितने किलोमीटर की उड़ान तय करते हैं तथा इनमें प्रति घंटा खपत होने वाला ईंधन का मूल्य क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर से दिल्ली, जयपुर–बीकानेर, जयपुर–जोधपुर, जयपुर–जैसलमेर, जयपुर–उदयपुर व जयपुर–बांसवाड़ा की हवाई दूरी कितने किलोमीटर है ? उक्त उड़ान पर वायुयान व हैलीकॉप्टर की प्रति उड़ान पर ईंधन खपत मूल्य व कितना रख–रखाव एवं स्टाफ पर व्यय होता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के राजकीय वायुयान विभाग के पास एक वायुयान है जिसकी बैठक क्षमता 2 पायलट सहित आठ व्यक्तियों की है तथा राजकीय हैलीकॉप्टर विभाग के पास एक हैलीकॉप्टर है जिसकी बैठक क्षमता 2 पायलट सहित 6 व्यक्तियों की है।

(2) उक्त दोनों विभागों में वर्ष 2000–2001 में हुए व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

	रख–रखाव	स्टाफ व्यय (रुपयों में)
1. राजकीय वायु–	44.19	25.55

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

यान विभाग	लाख	लाख
2. राजकीय हैली–कॉप्टर विभाग	73.06 लाख	12.49 लाख

(3) राजकीय वायुयान/हैलीकॉप्टर में प्रति घंटा खपत होने वाला ईधन, ईधन का मूल्य एवं तय की जाने वाली उड़ान की दूरी का विवरण निम्न प्रकार से है :–

	प्रतिघंटा खपत होने वाला ईधन	खपत होने वाले ईधन का मूल्य	तय की जाने वाली उड़ान की दूरी
1. राजकीय वायुयान	250 लीटर	5477/– रुपये	320 कि.मी.
2. राजकीय हैलीकॉप्टर	170–200 लीटर	4280/– रुपये	165 कि.मी.

(4) जयपुर से दिल्ली, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर व बांसवाड़ा की हवाई दूरी खपत होने वाले ईंधन, ईंधन का मूल्य, रख–रखाव तथा स्टाफ व्यय से सम्बन्धित राजकीय वायुयान विभाग का विवरण परिशिष्ट "क" पर व राजकीय हैलीकाप्टर का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-"क"

क्र.सं.	स्थान का नाम	हवाई दूरी	उड़ान पर खपत होने वाला ईधन (लीटर में)	ईधन का मूल्य (रुपयों में)	रख-रखाव का व्यय (लाख रुपयों में) वार्षिक	स्टाफ का व्यय (लाख रुपयों में) वार्षिक
1.	जयपुर से दिल्ली	216 कि.मी.	250 लीटर	5477/—	44.19	25.55
2.	जयपुर से बीकानेर	280 कि.मी.	250 लीटर	5477/—	रख—रखाव व स्टाफ पर होने वाला व्यय	
3.	जयपुर से जोधपुर	274 कि.मी.	250 लीटर	5477/—	वर्ष में होने वाली उड़ान की दूरी पर	
4.	जयपुर से जैसलमेर	499 कि.मी.	450 लीटर	9860/—	निर्भर करता है।	
5.	जयपुर से उदयपुर	299 कि.मी.	250 लीटर	5477/—		
6.	जयपुर से बांसवाड़ा	378 कि.मी.	300 लीटर	6574/—		

नोट :— रख—रखाव व स्टाफ पर होने वाले व्ययों में कुछ व्यय स्थाई प्रकृति के हैं तथा कुछ व्यय परिवर्तनशील प्रकृति के हैं।

रख—रखाव के खर्चे में हवाई जहाज के कोम्पोनेन्ट्स की लाइफ खत्म होने के पश्चात् बदले एवं मरम्मत आदि का खर्च शामिल है।

परिशिष्ट-"ख"

क्र.सं.	स्थान का नाम	हवाई दूरी	उड़ान पर खपत होने वाला ईंधन (लीटर में)	ईंधन का मूल्य (रुपयों में)	रख-रखाव का व्यय (लाख रुपयों में) वार्षिक	स्टाफ का व्यय (लाख रुपयों में) वार्षिक
1.	जयपुर से दिल्ली	216 कि.मी.	243 लीटर	5566/–	73.06	12.49
2.	जयपुर से बीकानेर	280 कि.मी.	330 लीटर	7260/–	रख–रखाव व स्टाफ पर होने वाला व्यय	
3.	जयपुर से जोधपुर	274 कि.मी.	320 लीटर	7040/–	वर्ष में होने वाली उड़ान की दूरी पर	
4.	जयपुर से जैसलमेर	499 कि.मी.	570 लीटर	12,540/–	निर्भर करता है।	
5.	जयपुर से उदयपुर	299 कि.मी.	350 लीटर	7700/–		
6.	जयपुर से बांसवाड़ा	378 कि.मी.	443 लीटर	9746/–		

नोट :– रख–रखाव के खर्चे में हैलीकॉप्टर के कम्पोनेन्ट्स की लाइफ खत्म होने के पश्चात् बदले एवं मरम्मत आदि का खर्च शामिल है तथा दुर्घटनाग्रस्त होने पर करवाई गई मरम्मत का खर्चा भी सम्मिलित है।

संख्या-351

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र भादरा के ग्रामों में पेयजल हेतु आपणी योजना

352. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा के कुछ गांवों को आपणी योजना से जोड़े जाने की स्वीकृति मिल चुकी है ? यदि हां, तो कौन–कौनसे गांव स्वीकृत हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों को "आपणी योजना" से कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की आपणी योजना के समीपवर्ती गांवों मालकस, भानगढ़, शेरड़ा, महेरिया, बीबीपुर, पालड़ी, श्योराटाडा, अलायला, जिगासरी बड़ी, जिगासरी छोटी, किराड़ा छोटा, रामबास, चोबारा, मुंदड़िया बड़ा, मुंदड़िया छोटा आदि की पीने के पानी की समस्या वाले गांव मानते हुए "आपणी योजना" से जुड़वाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आपणी योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भादरा का कोई गांव स्वीकृत नहीं है। कलस्टर 18 ए में भादरा तहसील के एक ग्राम रामपुरा को एनरूट ग्राम होने के कारण तकनीकी कारणों से जोड़ा गया है।

(2) ग्राम रामपुरा को "आपणी योजना" से माह जनवरी, 2001 में लाभान्वित कर दिया गया है।

(3) वर्णित गांव स्वीकृत "आपणी योजना" में सम्मिलित नहीं है। उपरोक्त गांव निम्नानुसार पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं एवं वर्तमान में इनमें पेयजल की कोई समस्या नहीं है।

क्र. सं.	योजना का नाम	उपरोक्त में से लाभान्वित गांव
1.	क्षेत्रीय जलयोजना अनूपशहर श्योरटाडा	पालड़ी, श्योरटाडा, अलायला, जिगासरी छोटी, किराड़ा छोटा, रामबास, चौबास, मुंदडिया बड़ा व छोटा।
2.	क्षेत्रीय जलयोजना आसन–महेरिया	बीबीपुर, शेरड़ा, महेरिया
3.	क्षेत्रीय जलयोजना गंधेली–साहवा	मालकस, जिगासरी बड़ी
4.	उतरादावास–भनाई योजना	भानगढ़

विधान सभा क्षेत्र जालौर के भूमिगत जलाशयों की मरम्मत

353. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में कितने भूमिगत जलाशय क्षतिग्रस्त कहां–कहां पर हैं और अब इनकी मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ?

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने सार्वजनिक टांके हैं जिनमें एक वर्ष से पानी नहीं दिया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि देवाडा गांव के दो टांकों में कई महीनों से पानी नहीं दिया जा रहा है ?

(4) क्या मोंक गांव तथा मादलपुरा टांका पेंदे में से फूटा है ? यदि हां, तो कब से और अब कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

(5) क्या यह सही है कि देवादा गांव के ओपनवेल में इस समय पानी नहीं रहा है ? क्या सरकार उक्त गांव में पानी देने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(6) क्या यह भी सही है कि आकोली गांव की टंकी क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उस टंकी को गिराकर नई टंकी बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में क्षतिग्रस्त भूमिगत जलाशयों की सूची निम्नानुसार है :

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्षतिग्रस्त भूमिगत जलाशयों की सं.	विशेष विवरण
1.	मादलपुर	1	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जालौर द्वारा एक नये भूमिगत जलाशय के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 2.40 लाख की दिनांक 3.4.2001 को जारी की है। ग्रामीण विकास अभिकरण, जालौर द्वारा राशि उपलब्ध कराने के उपरांत उक्त जलाशय का निर्माण प्रारंभ हो सकेगा।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

2.	मोंक	1	क्षतिग्रस्त भूमिगत जलाशय के पास ही एक नया भूतल जलाशय पूर्व में ही बना दिया गया है।
3.	कतरासन	1	क्षतिग्रस्त जलाशय की मरम्मत हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। स्वीकृति उपरान्ध धन उपलब्धता के अनुसार कार्य करना संभव हो सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र जालौर में विभाग द्वारा संधारित किसी भी योजना से विभाग द्वारा निर्मित भूतल जलाशय के अलावा किसी सार्वजनिक टांके को नहीं जोड़ा गया है।

(3) जी हां। देवाड़ा ग्राम जो क्षेत्रीय जलयोजना रायपुरिया–सवणा का एक ग्राम है, के मूल पेयजल स्रोत ग्राम रायपुरिया में तीन नलकूपों में से दो नलकूप सूख जाने के कारण, देवाड़ा ग्राम में माह जनवरी, 2001 से पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। वर्तमान में इस ग्राम में दो हैण्डपम्प कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम में स्थित स्थानीय कुए में डी. सी. बी. का कार्य कराया जा रहा है जिससे गांव में पेयजल संवर्धन हो सके।

(4) ग्राम मोंक में क्षतिग्रस्त जलाशय के पास एक नया भूतल जलाशय बनाया जाकर पुराने क्षतिग्रस्त जलाशय को परित्यक्त घोषित कर दिया है। मादलपुर ग्राम का जलाशय दो वर्ष पूर्व से क्षतिग्रस्त है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जालौर द्वारा एक नये भूमिगत जलाशय के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति रु. 2.40 लाख की दिनांक 3.4.2001 को जारी की है। ग्रामीण विकास अभिकरण, जालौर द्वारा उक्त स्वीकृत राशि उपलब्ध कराने के उपरान्त जलाशय का निर्माण प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

(5) जी हां। देवाड़ा ग्राम स्थित खुले कुएं में जल स्तर नीचे जाने के कारण लगभग सूख गया है। वर्तमान में उक्त कुएं में डी. सी. बी. का कार्य प्रगति पर है जिसका कार्य पूर्ण होने पर इस कुएं से ग्राम को पानी दिया जा सकेगा। वर्तमान में इस ग्राम में दो हैण्डपम्प भी चालू हैं।

(6) जी हां। ग्राम आकोली में क्षतिग्रस्त उच्च जलाशय के एवज में नये उच्च जलाशय बनाने की स्वीकृति पुनर्गठित क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बागरा–आकोली के अन्तर्गत हो चुकी है। निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। ग्राम स्थित क्षतिग्रस्त उच्च जलाशय को गिराने के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में है।

विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्रामों में जवाई बांध से पेयजल आपूर्ति

354. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जवाई बांध का पानी जोधपुर जाना बन्द होने के बाद अतिरिक्त हुए पानी को विधान सभा क्षेत्र खारची के गांवों को पीने के लिए देने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन–किन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जावेगा ?

(2) उक्त विचाराधीन योजना का आकार बनाकर कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में जवाई बांध का पानी नहर द्वारा जोधपुर तक लाया जाता है। नहर द्वारा पानी परिवहन करने में हो रही छीजत को बचाने के उद्देश्य से जवाई से जोधपुर तक पाइप लाइन द्वारा पानी लाने की एक योजना स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत खारची विधान सभा क्षेत्र के 16 गांवों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है। गांवों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलंग्न है।

(2) स्वीकृत जवाई–जोधपुर पाइप लाइन योजना में लाभान्वित किये जाने वाले गांवों की मात्रा पेयजल मांग ही सम्मिलित है। लाभान्वित किये जाने वाले ग्रामों की ग्रामवार योजना के प्रस्ताव पाइप लाइन से पानी उपलब्ध होने पर बनाये जा सकेंगे।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्रामों की सूची जिन्हें जवाई बांध का पानी उपलब्ध करवाना विचाराधीन है

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	वर्तमान योजना का प्रकार
1.	जाडन खालसा	02	क्षेत्रीय
2.	जाडन जागीर	03	क्षेत्रीय
3.	तालका	01	क्षेत्रीय
4.	खारडी	05	पी एण्ड टी
5.	लोलावास	12	पी एण्ड टी
6.	अखावास	08	क्षेत्रीय
7.	चवाडिया	13	क्षेत्रीय
8.	राजकीयावास खुर्द	06	क्षेत्रीय
9.	राजकीयावास कलां	14	क्षेत्रीय
10.	गोदावास	15	क्षेत्रीय
11.	बाडसा	18	क्षेत्रीय
12.	बिठुडा खुर्द	21	क्षेत्रीय
13.	सूर्य नगर	22	क्षेत्रीय
14.	भिमालिया	78	पी एण्ड टी
15.	पाचेटिया	79	पाइप्ड
16.	नयागांव	75	हैण्डपम्प

तहसील बस्सी में चयनित व्यक्तियों को भू-आवंटन

355. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) एवं **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गरीबी रेखा में चयनित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को ग्राम पंचायत कानोता एवं रामरतनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में भूमि आवंटित की गई ? यदि हां, तो क्या उनका नामांतरकरण खोला जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1990 से फरवरी, 2001 तक उक्त गरीबी रेखा में चयनित व्यक्तियों की आवंटित भूमि प्रभावशाली व्यक्तियों को आवंटित कर नामांतरकरण भी खोल दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त गरीब अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि को नजरअंदाज कर प्रभावशाली व्यक्तियों को आवंटित करने की उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व किससे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील बस्सी के ग्राम पंचायत कानोता में अनुसूचित जाति के 7 एवं अनुसूचित जनजाति के 3, कुल 10 व्यक्तियों को आवंटन हुआ है तथा ग्राम पंचायत रामरतनपुरा में अनुसूचित जाति के एक, अनुसूचित जनजाति के 6, कुल 7 व्यक्तियों को आवंटन हुआ है। इन सभी के नामान्तरकरण खोले जा चुके हैं।

(2) जी नहीं। अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों की भूमि अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को कृषि प्रयोजनार्थ कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है। अतः नामान्तरकरण खोलने का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को आवंटन नहीं करने के फलस्वरूप सूचना अपेक्षित नहीं है।

विधायक बामनवास के पत्रों पर जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा कार्यवाही

356. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जन प्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है ? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम गुडला चंदन तहसील बोंली की खसरा नं. 582, 586, 587 की विवादित भूमि के बारे में निष्पक्ष जांच कार्यवाही के लिए विधायक

(डा. किरोड़ी लाल)

बामनवास द्वारा दिनांक 6.2.2001 को जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो क्या जिला कलेक्टर द्वारा उसका जवाब दिया गया ? पत्र व जवाब की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कलेक्टर ने उक्त मामले में मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा प्राप्त पत्रों के बावजूद भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की है ? यदि नहीं, तो कब-कब पत्र मिले व क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों को उचित महत्व देने तथा उनके विषय में शीघ्र कार्यवाही कर उन्हें की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है। इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र सं. प. 10 (2) प्र.सु.1/सम./96 दिनांक 21.1.99 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि ग्राम गूंडला चंदन तहसील बोंली के ख. नं. 582, 586, 587 की विवादित भूमि के बारे में निष्पक्ष जांच कार्यवाही के लिए माननीय विधायक बामनवास द्वारा दिनांक 6.2.2001 को जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर को पत्र लिखा गया था। जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने अपने पत्र क्रमांक पु.प/अअ/सतर्कता/2001/1001 दिनांक 31.3.2001 द्वारा विधायक बामनवास को यह जवाब प्रेषित किया कि उनके परिवाद में अंकित तथ्यों की जांच उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर एवं पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर से वर्तमान मौका एवं कानूनी स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई है व रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर अपेक्षित कार्यवाही कराई जाकर उन्हें सूचित किया जाएगा। विधायक के पत्र दिनांक 6.2.2001 एवं जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा विधायक को भिजवाये गये जवाब दिनांक 31.3.2001 की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "ब" व "स" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर तथा सहायक कलेक्टर (मु.) सवाई माधोपुर से जांच करवाई गई। मुख्य मंत्री सचिवालय से प्राप्त पत्र दिनांक 2.1.99, 2.2.99, 31.3.99 एवं 7.6.99 के सम्बन्ध में सचिव सतर्कता प्रकोष्ठ कलेक्ट्रेट, सवाई माधोपुर द्वारा पत्रांक प. 2 (ए) 10/20/मु.मं./सतर्कता/99/3203 दिनांक 1.7.99 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मुख्य मंत्री सचिवालय को भिजवाई गई। कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा भिजवाई गई तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 1.7.99, उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 25.2.99 एवं सहायक कलेक्टर (मु.) सवाई माधोपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 19.4.99 की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "द", "ध" एवं "ड़" पर संलग्न है।

(जवाब एवं रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-"अ"

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनु. 1) विभाग

क्रमांक : प.10(2)प्र.सु.1/सप./96 **जयपुर, दिनांक : 21.1.99**

परिपत्र

शासन द्वारा सांसदों एवं विधायकों से प्राप्त पत्रों की पावती भेजने तथा उनमें उठाये गये मुद्दों पर वांछित कार्यवाही कर उन्हें पत्र का उत्तर भिजवाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हुए हैं।

सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंच जनता एवं शासन के बीच की कड़ी है तथा जन प्रतिनिधि होने के नाते इन्हें अपने क्षेत्र के विकास एवं राहत से सम्बन्धित विभिन्न जन समस्याओं के निराकरण हेतु समय समय पर सम्बन्धित शासकीय विभागों से पत्र व्यवहार एवं सम्पर्क करना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी/विभाग उनके द्वारा प्रेषित पत्रों को उचित महत्व दे तथा उनके विषय में शीघ्र कार्यवाही कर उन्हें की गई कार्यवाही से अवगत भी करावें ताकि सरकार की संवेदनशील कल्याणकारी एवं जन मैत्रिय छवि जनता के समक्ष स्थापित हो एवं जन प्रतिनिधियों को सरकार की ओर से यथोचित सम्मान व सहयोग मिले।

इस सम्बन्ध में समस्त विभागों/निगमों/बोर्ड/संस्थाओं के अधिकारियों का सांसदों/विधायकों/जिला प्रमुखों/सरपंचों के संदर्भ में पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि :–

1. जन प्रतिनिधियों के साथ विनम्रता एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाये तथा उनके द्वारा बताई समस्या/सुझाव पर विशेष ध्यान देते हुए शीघ्र यथोचित कार्यवाही की जावे।

2. जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के निस्तारण को विशेष प्राथमिकता देवें तथा उनके पत्रों की पावती से तत्काल उन्हें सूचित करें।

3. इस प्रकार के पत्रों के पंजीकरण/निस्तारण के लिए अलग से पंजिकायें/पत्रावलियां संधारित की जाये एवं प्रत्येक माह की 7 तारीख तक पत्रों की समीक्षा कर मासिक विवरण प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को प्रेषित किया जावे, पदस्थापन/स्थानान्तरण से सम्बद्ध पत्रों पर यह व्यवस्था अपनाना जरूरी नहीं है।

4. जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न विकास कार्यो/योजनाओं तथा राहत कार्यो से अवगत करावे तथा इस बारे में कार्यों की प्रगति एवं स्वीकृतियों से भी अवगत कराया जावे।

5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने कार्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में उपरोक्त व्यवस्थाएं कड़ाई से लागू किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

ह0

(अरुण कुमार)

मुख्य सचिव

जिला बांसवाड़ा के कृषकों को खातेदारी अधिकार

357. **श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या** (बांसवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1996–97 तक कितनी रकबा भूमि कितने कृषकों को गैर खातेदारी आवंटित की गई ?

(2) क्या समस्त आवंटियों को खातेदारी अधिकार दे दिए गए हैं ? यदि हां, तो कितने कृषकों को दिए गए और नहीं, तो क्यों ?

(3) अब शेष को कब तक खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए जाएंगे ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1996–97 तक 17277 कृषकों को 52564 बीघा 08 बिस्वा भूमि कमाण्ड तथा 5293 कृषकों को 19112 बीघा 03 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि गैर खातेदारी पर आवंटित की गई।

(2) अब तक 7937 कृषकों को (कमाण्ड क्षेत्र) तथा 4608 कृषकों को (अनकमाण्ड क्षेत्र) गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। शेष कृषकों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने बाबत सूचना प्रश्न के बिन्दु संख्या 3 के उत्तर में अंकित है।

(3) अब कमाण्ड क्षेत्र के 9340 गैर खातेदार कृषक तथा अनकमाण्ड क्षेत्र के 685 गैर खातेदार कृषक अवशेष हैं, जिन्हें खातेदारी अधिकार दिये जाने हैं। इनमें अनकमाण्ड क्षेत्र के 685 गैर खातेदारों द्वारा आवंटन की शर्ते पूरी नहीं करने के कारण खातेदारी अधिकार देने योग्य नहीं हैं। कमाण्ड क्षेत्र में खातेदारी अधिकार देने योग्य शेष प्रकरण 1211 हैं, जिन्हें सनद फीस वसूल की जाकर इसी माह में खातेदारी दे दी जायेगी तथा 8129 गैर खातेदार आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने योग्य नहीं हैं।

ग्राम रेटा (दौसा) की भूमि खसरा नं. 484 की पैमाईश

358. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर दौसा ने दिनांक 30.5.97 को ग्राम रेटा तहसील सिकराय जिला दौसा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 484 की पैमाईश के आदेश किये थे ? क्या उक्त आदेशों की पालना में हल्का पटवारी दिनांक 2.6.97 को भूमि खसरा नं. 484 की पैमाईश करने गये थे ? यदि हां, तो क्या पैमाईश की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि की पैमाईश करते समय भूमि खसरा नं. 483 के खातेदार द्वारा गाली गलोच कर पैमाईश में बाधा पहुंचाने की कोशिश की

(श्री संजीव कुमार)

गई थी ? क्या उक्त सम्बन्धी शिकायत हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार सिकराय को की गई ? यदि हां, तो तहसीलदार सिकराय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार भूमि खसरा नं. 484 की पैमाईश कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जिला कलेक्टर दौसा ने प्रार्थी राधेश्याम पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी रेटा के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30.5.97 को ग्राम रेटा तहसील सिकराय जिला दौसा की खातेदारी भूमि ख. नं. 484 की पैमाईश के आदेश दिये थे। उक्त आदेशों की पालना में तत्कालीन हल्का पटवारी दिनांक 2.6.97 को भूमि ख. नं. 484 की पैमाईश करने गये थे। हल्का पटवारी द्वारा पैंमाईश की कार्यवाही की गई, जो ख. नं. 483 के खातेदार द्वारा विघ्न पैदा करने से बाधित रही।

(2) यह सही है कि उक्त भूमि की पैमाईश करते समय भूमि ख. नं. 483 के खातेदार द्वारा गाली गलोच कर पैमाईश में बाधा पहुंचाई तथा ख. नं. 484 की पैमाईश नहीं करने दी। उक्त सम्बन्धी वाक्या का उल्लेख पटवारी हल्का द्वारा पैमाईश मौका पर्चा में ही कर दिया गया था। तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की गई।

(3) पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा में पैमाईश कार्य में बाधा पहुंचाने के वाक्या की रिपोर्ट अंकित कर तत्कालीन तहसीलदार को प्रस्तुत कर दी थी, किन्तु तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके लिए तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध राज0 असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) 1958 के नियम–17 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई है।

(4) ख. नं. 484 ग्राम रेटा की पैमाईश दिनांक 12.4.2001 को प्रार्थी की मौजूदगी में करा दी गई है।

प्रभावशाली व्यक्तियों को विशेष भूमि आवंटन योजना के तहत भू-आवंटन

359. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या प्रदेश में विशेष भूमि आवंटन की कोई योजना है ? यदि हां, तो गत दस वर्षों में विशेष आवंटन योजना में किन–किन राजनेताओं, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के परिजनों को उक्त योजना के अन्तर्गत कहां–कहां कितनी भूमि आवंटित

(मोहम्मद माहिर आजाद)

की है ?

(2) क्या विशेष आवंटन में दी गई भूमि को जिस प्रयोजन के लिए आवंटित किया गया है, उसी कार्य के लिए काम में ली जा रही है ? क्या उक्त बाबत क़ोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (उपनिवेशन) क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 13–ए के तहत भूमि का विशेष आवंटन किया जाता है। उक्त नियम के तहत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (उपनिवेशन) क्षेत्र में विभाग के संकार्य क्षेत्र में राजनेताओं, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के परिजनों को नियम 13–ए के तहत भूमि का आवंटन नहीं किया गया है।

(2) जी हां। इस बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ग्राम पालड़ी (जयपुर) के आम रास्तों पर अतिक्रमण

360. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पालड़ी, पटवारी हल्का पालड़ी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर में सम्वत् 2012 में या प्रथम सैटलमैंट के नक्शे में कितने आम रास्ते दर्शाये गये हैं ? आम रास्तों की लम्बाई चौड़ाई मय नक्शे की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पालड़ी में वर्तमान में आम रास्तों की स्थिति क्या वही है, जो प्रथम सैटलमैंट के नक्शे एवं संवत् 2012 में दर्शायी हुई है ? यदि हां, तो नक्शे की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या आम रास्ते किसी को राजस्व नियमों के अन्तर्गत आवंटित किये जा सकते हैं ? यदि नहीं, तो संवत् 2012 या प्रथम सैटलमैंट या वर्तमान स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, उसका क्या कारण रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त ग्राम के पुराना खसरा नं. 282 परिवर्तित नया खसरा नं. 363 एवं पुराना खसरा नं. 199 परिवर्तित नया खसरा नं. 196 के पास क्या आम रास्ता है ? यदि हां, तो उक्त दोनों रास्तों की लम्बाई चौड़ाई का विवरण सदन की मेज पर रखे।

(5) क्या उक्त खसरा धारकों ने उक्त आम रास्तों पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो सम्बन्धित विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रथम सैटलमैंट सं. 2012 में ग्राम पालड़ी पटवारी हल्का पालड़ी तहसील विराटनगर जिला जयपुर के नक्शे में 3

(राजस्व मंत्री)

आम रास्ते जिनके 7 ख. नं. थे दर्शाये गये हैं। आम रास्तों के खसरा नम्बर उनकी लम्बाई एवं चौड़ाई का विवरण परिशिष्ट "ए" तथा नक्शे की प्रति परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(2) ग्राम पालड़ी तहसील विराटनगर का नवीन भू–प्रबन्ध 1980 में हुआ है। वर्तमान नक्शे एवं सं. 2012 के नक्शे की स्थिति समान नहीं है। नवीन नक्शे की प्रति परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(3) आम रास्तों के आवंटन के लिए नियमों में प्रावधान नहीं है। सम्वत् 2012 एवं वर्तमान नक्शे में अन्तर का कारण सड़क बन जाना एवं भू–प्रबन्ध कार्यवाही सम्पन्न किया जाना है।

(4) उक्त ग्राम के पुराना खसरा नं. 282, नया खसरा नं. 363 है। जिसके पास आम रास्ता ख. नं. 364 है, जिसकी लम्बाई करीब 180 मीटर व चौड़ाई 10 से 16 मीटर के बीच में है, तथा ख. नं. 363 के उत्तर में आम रास्ता ख. नं. 362 है, जिसकी लम्बाई करीब 420 मीटर व चौड़ाई 8 से 20 मीटर के बीच है। साबिक ख. नं. 199 नया ख. नं. 196 के पास आम रास्ता है जो ख. नं. 364 है, जिसकी लम्बाई करीब 280 मीटर व चौड़ाई 10 से 16 मीटर के बीच है। इस प्रकार ख. नं. 364 का रास्ता ख. नं. 196 व 363 के लगता हुआ है।

(5) आम रास्तों पर अनधिकृत कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला जयपुर में निजी वन विकास हेतु भूमि आवंटन

361. **श्री रामनारायण विश्नोई** (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने सार्वजनिक उपयोग एवं निजी वन विकास हेतु भूमि आवंटन की योजना बनाई है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1986–1990 की अवधि में जयपुर जिले में निजी वन विकास हेतु कहां–कहां तथा किन–किन को भूमि आवंटित की गई थी ? उक्त में से कितन आवंटियों के प्रकरण विचाराधीन हैं एवं कितने आवंटन निरस्त किये जा चुके हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पूर्व के आवंटियों को वर्तमान योजना अन्तर्गत आवंटन अधिकार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन शर्तों पर और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक/लोकोपयोगी कार्यों हेतु राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य

(राजस्व मंत्री)

भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 बने हुए हैं तथा निजी वन विकास हेतु राजस्थान भू–राजस्व (अकृष्य बंजड़ भूमि आवंटन) नियम, 1986 बने हुए हैं।

(2) वर्ष 1986–90 की अवधि में जयपुर जिले में निजी वन विकास हेतु कुल 2319 व्यक्तियों/संस्थाओं को भूमि आवंटन किया गया था। इनमें से 2145 आवंटियों के आवंटन निरस्त किये गये हैं एवं 66 आवंटियों के प्रकरण जिला कलेक्टर, जयपुर कार्यालय में विचाराधीन हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

(3) राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजड़ भूमि का आवंटन) नियम 1986 के तहत आवंटन किये जाने पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांग प. 6 (15)राज./4/86 दिनांक 30.7.90 के द्वारा रोक लगाई हुई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम गुढ़ा नाथावतान तहसील बूंदी के खातेदार

362. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गुढ़ा नाथावतान तहसील बूंदी जिला बूंदी का राजस्व गांव है ? यदि हां, तो यहां पर किस–किस खसरा नम्बर पर किस–किस की भूमि किस–किस खातेदार के नाम कितनी–कितनी है ?

(2) क्या सभी खातेदारों के कब्जे काश्त उक्त जमीन पर है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

उत्तर

(1) जी हां। जमाबन्दी अनुसार ग्राम गुढ़ा नाथावतान में खातेदार 507 एवं गैर खातेदार 147 कुल 654 हैं। सूची जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 संलग्न है।

(2) वर्तमान नियमों के अनुसार राजस्व रिकार्ड में कब्जा दर्ज करने का प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम बौराज (अजमेर) में आमों के वृक्षों के स्थान पर आवासीय कालोनी

363. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अजमेर के गांव बौराज में किस खसरा नम्बर पर आमों के वृक्ष लगे हुए हैं तथा भूमि की क्या किरत है तथा प्रत्येक खसरा नम्बर पर कितने–कितने आमों के फलदार वृक्ष हैं ?

(2) उक्त गांव के कितने काश्तकार परिवार उक्त आमों की देखभाल व वृक्षों को पानी देते हैं तथा प्रतिवर्ष कितने आम

(श्री हीरासिंह चौहान)

उक्त वृक्षों पर लगते हैं और उक्त परिवार को प्रतिवर्ष कितनी—कितनी अनुमानित आय होती है ?

(3) अजमेर शहर रेल्वे के स्टेशन से बौराज गांव की कितनी दूरी है ?

(4) क्या नगर सुधार न्यास अजमेर ने उक्त गरीब काश्तकारों द्वारा लगाये गये तथा प्रतिवर्ष लगाये जा रहे आमों के बगीचे को फेरा—फेरी में सम्मिलित कर आमों को नष्ट करने की कोई आवासीय योजना बनायी है ? यदि हां, तो उक्त खसरा नम्बर पर बनायी आवासीय योजना के नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अजमेर शहर के पर्यावरण को शुद्ध बनाये रखने तथा किसानों के भरण पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण आमों के बगीचे पर अजमेर नगर न्यास द्वारा किये जाने वाले अतिक्रमण को रोकने की व्यवस्था हेतु आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आम के वृक्षों की संख्या

ख.नं.	किस्म	फलदार	शिशु	योग	रिकार्ड की स्थिति
1100	पठार	110	251	361	नगर सुधार न्यास
1107	चरनोट	304	383	687	नगर सुधार न्यास
1203	पठार	21	16	37	नगर सुधार न्यास
1218	चरनोट	109	285	394	नगर सुधार न्यास
1103	आखरी	44	103	147	सिवाय चक
1411	पठार	4	100	104	सिवाय चक

(2) 1. उक्त गांव के 142 काश्तकार परिवार इन आमों के वृक्षों की देखभाल करते हैं।

2. उक्त गांव में फलदार 592 वृक्षों से अनुमानित 1184 क्विंटल पैदावार होती है।

3. उक्त गांव में इन परिवारों को आम की पैदावार से अनुमानित 10,00,000/— रुपये (अक्षरे रुपये दस लाख) की आय होती है।

(3) अजमेर शहर के रेल्वे स्टेशन से बौराज़ गांव की दूरी 6 कि.मी. है।

(4) ग्राम बौराज पूर्णतया पेराफैरी गांव की परिभाषा में नहीं आता है। इस गांव का जो भाग मास्टर प्लान में सम्मिलित है उस पर नगर सुधार न्यास द्वारा दो योजनायें क्रमशः बी. के. कौल आवासीय योजना एवं गोकुल गांव योजना, पशुपालकों को व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु बनाई गई है। बी. के. कौल आवासीय योजना में आने वाली भूमि का अधिकांशतः मुआवजा राशि

(राजस्व मंत्री)

काश्तकारों को दी जा चुकी है तथा जिस पर कहीं भी आम के पेड़ नहीं हैं। गोकुल गांव योजना राज. नगर सुधार न्यास अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.6.97 को धारा 32 (1) में अधिसूचित की गई है। जिसमें ग्राम बौराज के ख. नं. 698, 1107, 836, 1108, 1203, 1211, 1217, 1218, 1410, 1411, 1412, 1428 सम्मिलित हैं, जो कि राजकीय भूमि है तथा जिला कलेक्टर, अजमेर के द्वारा न्यास को हस्तान्तरित की जा चुकी है। इस योजना में किसी भी काश्तकार की भूमि सम्मिलित नहीं है। कुछ राजकीय भूमि पर योजना अधिसूचित होने के उपरान्त सुनियोजित ढंग से अतिक्रमण करने की नीयत से आम के पेड़ विभिन्न काश्तकारों द्वारा लगाये जा रहे हैं। जो कि फिलहाल छोटे हैं। यह कार्यवाही नियमानुसार अवैध एवं अनाधिकृत है। तहसीलदार, अजमेर के पत्रांक 1981–2 दिनांक 5.4.2001 के अनुसार गोकुल ग्राम योजना में सम्मिलित खसरा नम्बर 1203 में 2 फलदार व 16 शिशु, ख. नं. 1218 में 109 फलदार व 185 शिशु, ख. नं. 1411 में 4 फलदार व 100 शिशु आम के वृक्ष हैं। न्यास द्वारा इन वृक्षों को नष्ट करने की कोई योजना नहीं है। पशुपालकों की सुविधा हेतु गोकुल गांव योजना अधिसूचित की है।

(5) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा सिवाय चक राजकीय हस्तान्तरित भूमि पर ही गोकुल गांव योजना बनाई गई है। नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 32 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। अतः न्यास द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण का प्रश्न नहीं है।

जिला अजमेर के ग्रामों के लम्बित भू-रूपान्तरण प्रकरण

364. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला अजमेर के उपखण्डों यथा केकड़ी, किशनगढ़, अजमेर या ब्यावर या जिला स्तर पर भू–रूपान्तरण के प्रार्थना पत्र/प्रकरण लंबित है ? यदि हां, तो किस प्रकार के, भू–रूपान्तरण हेतु किस–किस कार्यालय को प्राप्त हुए ?

(2) क्या उक्त प्रकरणों का निस्तारण हो गया ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) अब उक्त प्रकरणों का निस्तारण कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) प्राप्त प्रार्थनों पत्रों/प्रकरणों में से निस्तारण की सूचना एवं शेष की सूचना परिशिष्ट "अ" में दर्शायी गई है। शेष आवेदकों से वांछित सूचना/दस्तावेज नहीं प्राप्त होने के कारण प्रकरण लम्बित रहे हैं।

(3) आवेदकों से अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्राप्त किये जा रहे हैं। जिनके प्राप्त होने पर निस्तारण किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-"अ"

	प्राप्त				निस्तारण				विचाराधीन			
	आवा.	वाणि.	औद्यो.	योग	आवा.	वाणि.	औद्यो.	योग	आवा.	वाणि.	औद्यो.	योग
जिला स्तर	6148	28	4	6180	1405	1	–	1406	4743	27	4	4774
उप. अजमेर	33	19	–	52	–	–	–	–	33	19	–	52
उप. ब्यावर	2432	–	–	2432	23	–	–	23	2409	–	–	2409
उप. केकड़ी	62	8	–	70	1	1	–	2	61	7	–	68
उप. किशनगढ़	1825	32	–	1857	21	–	–	21	1804	32	–	1836
योग	10500	87	4	10591	1450	2	–	1452	9050	85	4	9139

ग्राम पंचायत माधोराजपुरा (जयपुर) मंदिर खेड़ापति हनुमान जी की पत्रावली में अनियमितता

365. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मंत्री, भक्तजन सेवा समिति, खेड़ा श्री हनुमानजी, माधोराजपुरा फागी जिला जयपुर द्वारा विभाग को कोई पत्र फरवरी, 2001 में मंदिर खेड़ापति हनुमान जी ग्राम पंचायत माधोराजपुरा की पत्रावली पर सहायक आयुक्त देवस्थान (ट्रस्ट) द्वारा की गई अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 9.1.2001 को उक्त अधिकारी श्री शिवभगवान राजपुरोहित, सहायक आयुक्त देवस्थान (ट्रस्ट) पद पर नहीं होते हुए भी उक्त प्रकरण (पत्रावली संख्या 3/99) में निर्णय किया ? यदि हां, तो किस आधार एव अधिकारिता से ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि पत्रावली संख्या 3/99 दिनांक 9.1.2001 को तारीख पेशी रजिस्टर में दर्ज नहीं थी तथा उक्त दिनांक को तारीख पेशी रजिस्टर में अंकित अन्य 13 पत्रावलियों पर यह आदेश लिखा गया है कि अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर गये हैं अतः गत आदेशानुसार पत्रावली आगामी तारीख को पेश हो ? यदि हां, तो उक्त एक ही पत्रावली पर आदेश देने के क्या कारण रहे ? उक्त 13 पत्रावलियों पर दिये गये उक्त आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की पत्रावली पुनः खोलकर प्रार्थियों को न्याय दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 3.3.2001 को शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें जांच कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। दिनांक 23.6.2000 से दिनांक 15.1.2001 तक की अवधि में सहायक आयुक्त देवस्थान (ट्रस्ट) जयपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार श्री शिवभगवान राजपुरोहित, सहायक आयुक्त (मंदिर), जयपुर के पास आदेश क्रमांक प. 2 (24) देव/92 दिनांक 23.6.2000 की पालना में रहा है। अतः दिनांक 9.1.2001 को उनके द्वारा प्रकरण संख्या 3/99 में पारित आदेश क्षेत्राधिकार के अनुसार पारित किया है।

(3) यह सही है कि पत्रावली संख्या 3/99 दिनांक 9.1.2001 के पेशी रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई। किन्तु यह सही नहीं है कि दिनांक 9.1.2001 में दर्ज अन्य 12

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

पत्रावलियों में यह आदेश लिखा गया है कि अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर गये हैं अपितु इन पत्रावलियों में 9.1.2001 को आगामी तारीख पेशी बदलने सम्बन्धी आदेश रीडर द्वारा लिखा गया है कि "साहब अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त हैं, अतः पत्रावली गतादेश आगामी तारीख को पेश हो"। प्रकरण संख्या 3/99 में लिखित बहस प्राप्त हो जाने के कारण निर्णय लिखे जाने हेतु सहायक आयुक्त (ट्रस्ट), जयपुर के तहवील में थी इसलिए उक्त पत्रावली 9.1.2001 के पेशी रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई। अन्य 12 पत्रावलियां दीगर कार्यवाही में विचाराधीन थीं तथा किसी में भी निर्णय पारित नहीं होना था, अतः केवल प्रकरण संख्या 3/99 की पत्रावली में ही निर्णय पारित किया गया।

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन प्रकरण एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्णित होता है तथा निर्णय से असन्तुष्ट व्यक्ति द्वारा निर्णय के विरुद्ध आयुक्त, देवस्थान के यहां अपील की जा सकती है। यह एक न्यायिक कार्यवाही है। अतः न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन पत्रावलियों के आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रखना न्यायोचित नहीं रहेगा।

(4) सहायक आयुक्त देवस्थान (ट्रस्ट), जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 3/99 में दिये गये निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 20 के अन्तर्गत आयुक्त, देवस्थान के यहां अपील प्रस्तुत कर दी गई है जो अपील संख्या 5/2001 पर दर्ज कर रेस्पोन्डेन्ट्स को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.4.2001 नियत है। प्रस्तुत अपील में गुणावगुणों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जावेगा।

देवस्थान विभाग की नई किराया नीति

366. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या देवस्थान विभाग में सम्पत्ति किराये देने हेतु वर्ष 2000 में नई किराया नीति बनाई गई ? यदि हां, तो किराया नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त किराया नीति के तहत देवस्थान विभाग ने जयपुर में सबलेटी (उप किरायेदार) एवं अतिक्रमी किरायेदारों को नियमित किया है ? यदि हां, तो उनके नाम, पिता का नाम, सम्पत्ति के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त किराये नीति के तहत जयपुर में सबलेटियों से 120 माह एवं 60 माह का किराया वसूल कर नियमित किया है ? यदि हां, तो पृथक–पृथक सूची सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त किरायेदारों का नियमितीकरण सरकार की नीति के

(श्री कुबेर सिंह)

अनुसार किया गया है ? यदि अनियमितता हुई है तो कहां, कैसे और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त किरायेदारों का नियमितीकरण नियमों के अन्तर्गत किया गया है ? यदि हां, तो किस–किस का किस–किस नियम के अन्तर्गत ? प्रत्येक का पृथक–पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार अवैधानिक नियमितीकरण को निरस्त कर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त नीति के तहत वारिस, प्रकरणों में किरायेनामे परिवर्तित किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या कई किरायेदारों के किरायेनामे परिवर्तित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या श्री चन्द्रबिहारी जी का मन्दिर, खन्दा माणकचौक एवं श्री रूपचन्द्रमा जी के मन्दिर, सांगानेरी गेट जयपुर के उप किरायेदारों को नियमितीकरण किया गया है ? यदि हां, तो किन–किन का एवं प्रत्येक से कितनी–कितनी राशि, किस–किस आधार पर वसूल की गई ? सूची मय प्राप्त राशि के सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या उक्त नियमितीकरण प्रकरण में राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियमितीकरण को निरस्त कर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। किराया नीति दिनांक 6.6.2000 की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त किराया नीति के तहत देवस्थान विभाग द्वारा जयपुर स्थित एक व्यावसायिक संपदा एवं एक आवासीय संपदा के उप किरायेदार का प्रकरण नियमन शुल्क लेकर नियमित किया गया है जिनेका विवरण निम्न प्रकार है :–

उप किरायेदार का नाम एवं वल्दियत	सम्पत्ति का विवरण
1. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल	व्यावसायिक संपत्ति एक दुकान मंदिर श्री चन्द्रबिहारी जी, खंदा माणक चौक, जयपुर।
2. श्री विजय कुमार पुत्र श्री हामनदास	आवासीय संपत्ति एक कमरा मंदिर श्री चतुर्भुज जी, खिजूर चांदपोल बाजार, जयपुर।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

(3) जी नहीं। उप किरायेदारों से निर्धारित किराये की 120 गुणा राशि ली गई है। बिन्दु संख्या–2 में क्रमांक–1 पर अंकित व्यावसायिक संपत्ति किराए नीति के बिन्दु संख्या (क) के अन्तर्गत नियमन की गई है किन्तु क्रम संख्या–2 पर अंकित आवासीय सम्पत्ति को किराए नीति के बिन्दु संख्या (ख) में उप किरायेदारों के नियमन का उल्लेख नहीं होने के कारण आयुक्त देवस्थान विभाग ने उनके आदेश क्रमांक 1320 दिनांक 9.2.2001 द्वारा नियमन की जारी की गई स्वीकृति पर उसके क्रियान्वयन की रोक लगा दी है एवं विधिवत नवीन किरायानामा भी नहीं भरा गया है। प्रकरण में राज्य सरकार से आयुक्त के पत्र दिनांक 4.4.2001 द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है एवं प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(4) बिन्दु संख्या–3 में प्रस्तुत उत्तर के अनुसार स्थिति स्पष्ट कर दी गई है एवं प्रकरण राज्य स्तर पर विचाराधीन है।

(5) जी हां। उक्त किराया नीति के तहत एक वारिस प्रकरण में मंदिर श्री रामचन्द्रजी, सिरह ड्योढी बाजार, जयपुर की संपदा के मूल किरायेदार श्री सूरजमल शर्मा के वारिस श्री रमेशचन्द्र के नाम किरायेदारी परिवर्तित की गई है। अन्य वारिसान के प्रकरणों में मूल किरायेदारों के वारिसों द्वारा वारिस होने के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उनके प्रकरणों में किरायेदारी परिवर्तित नहीं की गई है। वारिसों के लम्बित किरराया प्रकरणों की सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(6) जी हां। राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री चन्द्रबिहारी जी, खन्दा माणकचौक, जयपुर की व्यावसायिक संपदा के उप किरायेदार श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा की किरायेदारी का नियमितीकरण उक्त किराया नीति के तहत किया गया है। इससे नवीन किरांया निर्धारण की दर रु. 732/– प्रतिमाह की दर से 120 गुणा राशि 87,840/– रुपये एकमुश्त एक बार में नवीन नीति के तहत वसूल की गई है। राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिर श्री रूपचन्द्रमा जी, सांगानेरी गेट, जयपुर के किसी उप किरायेदार का नियमितीकरण नहीं किया गया है।

(7) जी नहीं।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक : प.7(32)देव./98 **जयपुर, दिनांक 6.6.2000**

आदेश

विषय : देवस्थान विभाग की सम्पदाओं के किराये सम्बन्धी प्रकरणों के निपटारे हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में

इस विभाग द्वारा आदेश संख्या प.21(92)राज—1/77 दिनांक 2.4.93 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किराया सम्पत्तियों की स्थिति, क्षेत्र तथा उपलब्ध अन्य सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया गया है। इस किराये से पुराने किराये की तुलना करने पर स्पष्ट है कि किराये में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अतः प्रकरण पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया है। वर्तमान किराया नीति दिनांक 2.4.1993 के स्थान पर निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :

क. व्यावसायिक सम्पत्तियों के लिये-

इन सम्पत्तियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेंडिंग ऑर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार व्यावसायिक सम्पदाओं के लिए निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत देय होगा। साझेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क उपरोक्त द्वारा निर्धारित किराये का 60 गुणा एक मुश्त एक बार में लिया जाकर वास्तविक कब्जाधारी के हक में नियमन किया जायेगा। उप किरायेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क उपरोक्त द्वारा निर्धारित किराये का 120 गुणा एक मुश्त एक बार में लिया जायेगा तथा उप किरायेदार के हक में नियमन किया जा सकेगा। नियमन के बाद साझेदार/उप किरायेदार द्वारा नये दर से किराया देय होगा।

ख. आवासीय सम्पत्तियों के लिये-

इन सम्पत्तियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेंडिंग ऑर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार आवासीय सम्पदाओं के लिए निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत देय होगा।

सम्पदाओं का प्रयोजन परिवर्तन पूर्ण तथा निषेद्ध होगा। प्रयोजन परिवर्तन पाये जाने पर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। साझेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क उपरोक्त निर्धारित किराये का 60 गुणा एक मुश्त एक बार में लिया जावेगा। साझेदार को नियमन के बाद नये दर से किराया देय होगा।

ग. राज्य/केन्द्र सरकार तथा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं एवं जनहित में कार्यरत संस्थाओं को किराये पर दी जाने वाली सम्पदा-

सम्पदाओं के प्रयोजन अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेंडिंग ऑर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार निर्धारित किराया देय होगा।

घ. किराये में वृद्धि-

सम्पदाओं के किराये में प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के बाद 15 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रावधान रखा जाये।

नव निर्धारित किराया 1.4.2000 से देय होगा तथा किरायेदारों पर पिछले वर्ष का बकाया किराया दो समान किश्तों में 30.6.2000 तक वसूलनीय होगा। पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेंडिंग ऑर्डर वर्ष 1995 के अनुसार निर्धारित किरायेदारों द्वारा किया गया भुगतान समायोजन किया जाएगा।

देवस्थान विभाग के मंदिरों में पदस्थापित चौकीदार तथा पुजारियों के लिये यदि आवासीय स्थान उपलब्ध है तो उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित किराया मानदण्डों के अनुसार किराये पर दिया जा सकेगा।

राज्य से बाहर स्थित सम्पदाओं का नवीन किराया निर्धारण उस क्षेत्र के लिये लागू सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी. एस. आर. के मानदण्डानुसार निर्धारित किया जाकर उपरोक्तानुसार वसूलनीय होगा।

देवस्थान विभाग की जीर्ण–शीर्ण अथवा रिक्त भूमि जिन पर अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण होने की लगातार संभावना बनी रहती है ऐसी सम्पदाओं या भूमियों पर यदि किन्हीं सेवा भावी अथवा आस्थावान व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा निर्माण कराकर देवस्थान

विभाग को भेंटस्वरूप प्रदान करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं को उनके चाहने पर प्रश्नगत संपदा बिना किसी निविदा प्रक्रिया के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मानदण्डानुसार किराये पर दी जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति गुण–दोष के आधार पर प्रदान की जाएगी।

भविष्य में विभागीय संपदा जैसे भूमि, भवन आदि को राज्य सरकार के अनुमोदन उपरांत खुली नीलामी द्वारा ही किराये पर दिया जा सकेगा। देवस्थान विभाग इस नीति के अनुसार सभी वर्तमान किरायेदारों को किराया वृद्धि के बारे में सूचित करेगा एवं आपत्तियां उठाने के लिए अवसर देगा। आपत्तियों पर सुनवाई के बाद नया किराया निर्धारित किया जाएगा तथा नये अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

यह नीति तुरंत प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

आज्ञा से,
ह0
(प्रहलाद शर्मा)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट "ख"

(ब) वारिस प्रकरणों में किरायेनामे परिवर्तित किये जाने के लंबित प्रकरणों की सूची

क्र.सं.	नाम मंदिर	मूल किरायेदार का नाम	वारिस का नाम
1		2	3
1.	मं. श्री रामचन्द्रजी सिरह ड्योढी बाजार, जयपुर	भंवरलाल पुत्र कल्याण	ओम प्रकाश
2.	" "	बशीर पुत्र मदार बक्स	अब्दुल रजाक, साबीर मंसूरी व सलीम
3.	" "	घासी पुत्र रामचन्द्र	कुंजबिहारी एवं नौरत्न

1		2	3
4.	" "	रामजीलाल पुत्र चंदूलाल	अशोक कुमार पुत्र रामजीलाल
5.	" "	दीनमोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद	मजीद
6.	" "	अब्दुल करीब पु.अ. रहीम	अब्दुल गफूर
7.	" "	श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी बृजमोहन तथा राजकुमार पुत्र बृजमोहन	राजकुमार पुत्र बृजमोहन
8.	मं. श्री जगतेश्वरजी, जौहरी बाजार, जयपुर	केशवदास पुत्र बद्रीलाल	विजय कुमार गोयल पुत्र केशवदास गोयल
9.	" "	जयकुमार पुत्र चौथराम जैन	जम्बू कुमार जैन
10.	मं. श्री किल्कीजी सिरह ड्योढी बाजार, जयपुर	कालूराम पुत्र सुंदरलाल	जुगलकिशोर कालूराम
11.	मं. श्री जानकीवल्लभजी, छोटी चौपड़, जयपुर	रामगोपाल शर्मा पुत्र विजय कुमार शर्मा	अमर नारायण शर्मा पुत्र रामगोपाल शर्मा
12.	मं. श्री नवलकिशोर जी, तहवीलदारों का रास्ता, जयपुर	अल्ला बक्स पुत्र कालू खां	कालूदीन पुत्र अल्लाबक्स
13.	" "	दामोदरलाल शर्मा पुत्र गोविन्दराम शर्मा	गोपाललाल शर्मा
14.	मं. श्री चतुर शिरोमीणीजी, गणगौरी बाजार, जयपुर	चौथमल पुत्र लड्डू माली	श्रीमती मोहनीदेवी पत्नी श्री चौथमल राम बाबू पुत्र चौथमल
15.	मं. श्री रूपचन्द्रमाजी,	सूरजमल पुत्र	पुत्रवधु श्रीमती सविता

1		2	3
	सांगानेरी गेट, जयपुर	लादूराम	देवी
16.	" "	श्रीमती गुलाब पत्नी श्री नारायण	कल्याण मल
17.	" "	कुन्दनमल पुत्र मन्ना कुम्हार	कल्याण मल
18.	मं. श्री चन्द्रबिहारीजी, खंदा माणक चौक, जयपुर	मन्ना लाल पुत्र छगन लाल	राधेश्याम
19.	" "	किशोरी लाल पुत्र रामनारायण शर्मा	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. किशोरीलाल
20.	मं. श्री गोवर्धननाथजी, हवामहल, जयपुर	दौलतराम पुत्र चेलाराम सिंधी	गिरधारी लाल
21.	" "	अजीत सिंह गुलेहरी पुत्र रिज्जू सिंह	गुरुदीप सिंह पुत्र अजीत सिंह
22	" "	शांतिस्वरूप अग्निहोत्री	ज्ञानेन्द्र स्वरूप अग्निहोत्री
23.	मं. श्री रतनबिहारीजी, रायजी का घेर, जयपुर	श्रीमती सोना बेवा पत्नी लक्ष्मीनारायण	श्रीमती शांति देवी पत्नी रामस्वरूप यादव
24.	मं. श्री आनन्दकृष्ण बिहारी जी, चांदनी चौक, जयपुर	श्रीमती रतनकंवर पत्नी भंवर सिंह	कमलेश सिंह पुत्र भंवर सिंह
25.	मं. श्री ब्रजराजबिहारी जी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर	श्याम बिहारी लाल पुत्र रामजीलाल	श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी नवल किशोर शर्मा

मोहनगढ़ कृषि अनुसंधान फार्म (जैसलमेर) में पदस्थापित कर्मी

367. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जैसलमेर के नाचणा व मोहनगढ़ कृषि अनुसंधान फार्म में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उक्त पर वार्षिक व्यय कितना–कितना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अनुसंधान केन्द्रों का जिला कृषि विज्ञान केन्द्र से सम्बन्ध है ?

(3) क्या उक्त केन्द्रों के पास जो भूमि है उसके उत्पादन से उक्त कर्मी स्वावलम्बी बन सकते हैं ?

(4) क्या मोहनगढ़ से आगे रामगढ़ क्षेत्र में तथा गढरा ब्रांच में अनुसंधान केन्द्र प्रारम्भ करने की कोई योजना है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जिले में चार भू–जल के नये क्षेत्र खुले हैं जहां कृषि उत्पादन हो रहा है ?

(6) क्या सरकार एक समनत्व (इन्टीग्रेटिड) कृषि उत्पादन का कार्यक्रम जैसलमेर जिले में चलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में नाचना एवं मोहनगढ़ ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों में 17–17 पद स्वीकृत हैं। नाचना केन्द्र पर 15 कर्मचारी एवं मोहनगढ़ पर 12 कर्मचारी कार्यरत हैं। नाचना एवं मोहनगढ़ में क्रमशः 2 व 5 पद रिक्त हैं। वर्ष 1999–2000 में मोहनगढ़ में 16.44 लाख रु. तथा नाचना में 16.10 लाख रु. व्यय हुआ है। वर्ष 2000–2001 में नाचना में 24.28 लाख रु. एवं मोहनगढ़ में 19.36 लाख रु. व्यय होने की सम्भावना है।

(2) उक्त ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों का किसी भी कृषि विज्ञान केन्द्र से संबंध नहीं है।

(3) उक्त ग्राह्य परीक्षण केन्द्र है, इनके उत्पादन से कर्मियों के स्वावलम्बी का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(4) मोहनगढ़ से आगे रामगढ़ क्षेत्र में तथा गढरा ब्रांच में ग्राह्य परीक्षण केन्द्र खोलने की योजना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु इस वर्ष में कोई बजट प्रावधान नहीं है।

(5) चार नये क्षेत्रों के नाम घोटारू, आसूतार, तन्नौट एवं किशनगढ़ है। यह भूजल विभाग से सम्बन्धित है।

(6) जैसलमेर जिले में सिंचित क्षेत्र विकास इ.गा.न.प. के तहत समन्वित (इंटीग्रेटिड) कृषि उत्पादन कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है।

किराये के भवन में संचालित नियोजन कार्यालय

368. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) नियोजन विभाग के कितने कार्यालय किराये के भवन में संचालित हैं ? उक्त में से किस–किस मकान मालिक ने राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने एवं सीनियर सिटीजन, अपनी बीमारी और अपने पुत्र की विकलांगता सम्बन्धी परेशानियों का दर्शाते हुए अपना मकान खाली कराने हेतु विभाग से निवेदन किया ?

(2) क्या राज्य सरकार के ऐसे दिशा–निर्देश या प्रावधान हैं कि राज्य सरकार के द्वारा किराये लिये गये मकान मालिक के राज्य/केन्द्र सरकार से सेवानिवृत्त होने, सीनियर सिटीजन, विकलांग व्यक्ति द्वारा अपने मकान की आवश्यकता पर मकान खाली करने के लिए निवेदन करने पर उसका मकान रिक्त कर उसका उसे शीघ्र कब्जा संभलाया जाय ? यदि हां, तो उक्त प्रावधानों के उपरांत भी मकान खाली न करने पर किस–किस मकान मालिक ने अपना मकान खाली कराने हेतु न्यायालय में वाद दायर किये तथा जिस पर न्यायालय ने क्या निर्णय दिये ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किस–किस निर्णय के विरुद्ध विभाग ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर की अदालत में अपील दायर की और इनमें से किस–किस न्यायालय ने अब तक विभाग की किस–किस अपील को खारिज कर मकान खाली करते हुए कब्जा शीघ्र मकान मालिक का संभलाने के निर्देश दिये हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार ने न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करते हुए उक्त भवनों को रिक्त कर कब्जा मकान मालिकों को संभला दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कबतक कब्जा संभला दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) नियोजन विभाग के 31 कार्यालय किराये के भवन में संचालित हैं। इनमें से केवल एक कार्यालय स्व–रोजगार एवं रोजगार विकास, जयपुर के भवन मालिक ने राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने एवं सीनियर सिटीजन अपनी बीमारी और अपने पुत्र की विकलांगता सम्बन्धी परेशानियों को दर्शाते हुए मकान खाली कराने हेतु विभाग से निवेदन किया।

(2) जी नहीं। स्व–रोजगार एवं रोजगार विकास, जयपुर के भवन मालिक ने भवन खाली करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद दायर किया जिस पर भवन मालिक के पक्ष में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया। (निर्णय की प्रति संलग्न है)

(3) उक्त निर्णय के विरुद्ध विभाग ने न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–3, जयपुर में अपील दायर की जिसमें न्यायालय ने अपील को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.8.97 की पुष्टि की है।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(4) राज्य स्तर पर भवन को खाली करने का निर्णय लिया जा चुका है तथा भवन को रिक्त कर भवन मालिक को कब्जा संभलाने की कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र नदबई की नहरों की मरम्मत

369. **श्री यशवन्त सिंह** (रामू) (नदबई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई में कितनी नहरें हैं और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है ?

(2) क्या सरकार उक्त नहरों की मरम्मत/ खुदाई कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई में 21 नहरें हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इनमें बरसात का पानी ही चलता है। वर्तमान में स्थिति प्रायः ठीक है परन्तु नहरों के हैड रीच में नदी के पानी के साथ आने वाली सिल्ट की सफाई कराया जाना आवश्यक है।

(2) जी हां। यह कार्य रख–रखाव मद में कराये जाते हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर बरसात से पूर्व सफाई कराया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट - "अ"

विधान सभा क्षेत्र नदबई में नहरों की सूची

1. पथैना केनाल
2. उटारदा माइनर
3. नूरपुर माइनर
4. पिपरऊ माइनर
5. मिलबीपुरा माइनर
6. नदबई माइनर
7. लालचा माइनर
8. सिसई माइनर
9. खुर्रमपुर कैनाल
10. केसरा माइनर
11. तलछेरा माइनर
12. संडोली माइनर
13. कोलपुरा माइनर
14. छतरपुर माइनर
15. सत्याना माइनर
16. हलेना कैनाल
17. धरसोनी कैनाल
18. अटारी कैनाल
19. डहरा वांसी चेनल
20. रायसीस नाला
21. चोर पीपरी

भाखड़ा सिंचाई परियोजना की शार्दुल ब्रान्च की क्षमता में वृद्धि

370. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भाखड़ा सिंचाई परियोजना की शार्दुल ब्रांच की क्षमता कौन से वर्ष में कितने क्यूसेक्स की स्वीकृत की गई थी ?

(2) उक्त क्षमता स्वीकृत करने के बाद अब तक विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं की मांग व नए कमाण्ड किए गए क्षेत्र की मांग मिलाकर कुल कितनी क्षमता की आवश्यकता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त शाखा की क्षमता संशोधित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भाखड़ा सिंचाई परियोजना की सादुल ब्रांच की क्षमता वर्ष 1975 में 1245 क्यूसेक की स्वीकृति की गई थी।

(2) सादुल ब्रांच की वर्ष 1975 में संशोधित क्षमता स्वीकृत करने के बाद विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं व नव कमाण्ड घोषित क्षेत्र की मांग को मिलाकर 1245+52.76= 1297.76 क्यूसेक क्षमता की आवश्यकता है।

(3) जी नहीं। उक्त नहर में वांछित अतिरिक्त 52.76 क्यूसेक की क्षमता नहर की निर्धारित कुल क्षमता 1245 क्यूसेक का मात्र लगभग 4 प्रतिशत है एवं इस बढ़ी हुई मात्रा को इस नहर में सुचारू रूप से चलाया जा सकता है।

पंचायत समिति पीपलखूंट की स्वीकृत सिंचाई परियोजनाएं

371. **श्री नानालाल नीनामा** (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पीपलखूंट में बोरीबान घाटी कालीघाटी एवं बक्टोड सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो कितनी राशि की ?

(2) उक्त परियोजनाओं की स्वीकृति के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हो रहा है ? क्या सरकार अब कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त परियोजनाओं पर वर्ष 2001—2002 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति पीपलखूंट में बोरीबान घाटी, काली घाटी एवं बक्टोड़ की लघु सिंचाई परियोजनाओं को क्रमशः रुपये 354.44, 77.83 एवं 106.61 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

(2) बोरीबान घाटी सिंचाई परियोजना के वन क्षेत्र में होने से केन्द्रीय वन एवं

(सिंचाई मंत्री)

पर्यावरण मंत्रालय से फोरेस्ट क्लीयरेंस नहीं होने तक कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है। बक्टोड़ एवं काली घाटी सिंचाई परियोजनाओं का कार्य वित्तीय संसाधान की उपलब्धता पर वर्ष 2001–2002 में प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

(3) बक्टोड़ एवं काली घाटी सिंचाई परियोजनाओं पर वर्ष 2001–2002 में बजट आवंटन वित्तीय संसाधान की उपलब्धता के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है जबकि बोरीबान घाटी सिंचाई परियोजना पर प्रावधान फोरेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त होने के बाद किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जिला जैसलमेर में विशेष पशु चिकित्सा टोलियों का गठन

372. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या पशुधन विकास एवं डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर राज्य का मुख्य पशुपालक जिला है ? उक्त जिले में गत दो वर्षो में कितने नये पशु स्वास्थ्य केन्द्र व पशु चिकित्सालय खोले हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष अन्य जिलों से पचास हजार पशु आवारा उक्त जिले में आये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष जिले में घास का अभाव है जिससे पशुओं को बचाना कठिन है ?

(4) क्या कमजोर व बीमार अकालग्रस्त पशुओं के उपचार हेतु सरकार इस वर्ष उक्त जिले में विशेष चिकित्सा टोलियां गठित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जैसलमेर जिले में गत दो वर्षो में एक पशु चिकित्सालय एवं 10 पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले हैं।

(2) जी हां। लगभग 50,000 पशु आवारा आए थे।

(3) इस वर्ष जैसलमेर जिले में अपेक्षाकृत घास की कमी की सम्भावना है, लेकिन घास के अभाव में पशुओं को बचाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।

(4) जैसलमेर जिले में कमजोर व बीमार पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार चिकित्सा दलों का गठन कर दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के पशु चिकित्सालय में रिक्त पद

373. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या पशुधन विकास एवं डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कितने

(श्री मांगीलाल गरासिया)

पशु चिकित्सालय एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां–कहां पर स्वीकृत है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में निम्नांकित स्थानों पर पशु चिकित्सालय एवं पशु उप केन्द्र स्वीकृत हैं :–

पशु चिकित्सालय

1. पशु चिकित्सालय, मालवा का चौरा
2. पशु चिकित्सालय, गोगुन्दा
3. पशु चिकित्सालय, सायरा
4. पशु चिकित्सालय, बगुडन्दा
5. पशु चिकित्सालय, नान्देशमा
6. पशु चिकित्सालय, बेकरिया
7. पशु चिकित्सालय, वास

पशु स्वास्थ्य उप केन्द्र

1. पशु स्वा. उप केन्द्र, पलांसमा
2. पशु स्वा. उप केन्द्र, सेमटाल
3. पशु स्वा. उप केन्द्र, चाटियाखेडी
4. पशु स्वा. उप केन्द्र, बोखाडा
5. पशु स्वा. उप केन्द्र, मजावद
6. पशु स्वा. उप केन्द्र, सूरजगढ़
7. पशु स्वा. उप केन्द्र, माण्डवा
8. पशु स्वा. उप केन्द्र, बीकरणी
9. पशु स्वा. उप केन्द्र, क्यारी
10. पशु स्वा. उप केन्द्र, पड़ावली
11. पशु स्वा. उप केन्द्र, मैरपुर
12. पशु स्वा. उप केन्द्र, धधमता (वास)
13. पशु स्वा. उप केन्द्र, चित्रावास
14. पशु स्वा. उप केन्द्र, हायला
15. पशु स्वा. उप केन्द्र, दूढ़ी
16. पशु स्वा. उप केन्द्र, पदराड़ा (मादूडी का छापर)
17. पशु स्वा. उप केन्द्र, समीजा

(2) उक्त पशु चिकित्सालयों व पशु स्वास्थ्य उप केन्द्रों में 4 पशु चिकित्सा अधिकारी, 13 पशुधन सहायक, 6 सईस, 3 जलधारी एवं 1 सफाईकर्ता के पद रिक्त हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

पशु चिकित्सालय एवं पशु स्वास्थ्य उप केन्द्रों में रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	पशु चिकित्सा संस्था का नाम	पशु. चिकि.	पशु चिकि.	पशुधन सहा.	सईस	जलधारी	सफाई-कर्ता
1.	पशु चिकित्सालय, गोगुन्दा	–	–	–	–	–	–
2.	पशु चिकित्सालय, सायरा	–	–	–	–	–	–
3.	पशु चिकित्सालय, नांदेशमा	1	–	–	–	–	–
4.	पशु चिकित्सालय, बगडुन्दा	1	–	1	–	–	–
5.	पशु चिकित्सालय, मालवा का चौरा	1	–	1	–	1	–
6.	पशु चिकित्सालय, बेकरिया	–	–	–	–	–	–
7.	पशु चिकित्सालय, बास	1	–	1	1	1	1
उप केन्द्र							
1.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, मजावद	–	–	–	–	–	–
2.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, चाटियाखेडी	–	–	–	–	–	–
3.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, बोखाड़ा	–	–	–	–	1	–
4.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, पलासमा	–	–	1	–	–	–
5.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, सूरजगढ़	–	–	1	–	–	–
6.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, हायला	–	–	1	–	–	–
7.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, चित्रावास	–	–	1	1	–	–
8.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, ढुढी	–	–	1	1	–	–
9.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, पदराडा	–	–	1	1	–	–
10.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, माण्डवा	–	–	–	–	–	–
11.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, बिकरणी	–	–	–	–	–	–
12.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, क्यारी	–	–	1	–	–	–
13.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, पडावली	–	–	–	–	–	–
14.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, मैरपुर	–	–	1	–	–	–
15.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, सेमटाल	–	–	1	1	–	–
16.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, धधमता (वास)	–	–	–	–	–	–
17.	पशु स्वा.उपकेन्द्र, समीजा	–	–	1	1	–	–
	योग	4	–	13	6	3	1

इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के पानी को कम करने के निर्णय की क्रियान्विति

374. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का वाटर एलाउन्स 5.23 क्यूसेक्स से कम कर 3.5 क्यूसेक्स करने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि निर्णय के बाद क्रियान्वयन की कार्यवाही नहीं हुई ?

(3) क्या यह सही है कि द्वितीय चरण में पानी के अभाव में सिंचाई नहीं हो रही जिससे काश्तकारों एवं राज्य सरकार को भारी हानि उठानी पड़ी है ?

(4) क्या सरकार अपने निर्णय को क्रियान्वित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का वाटल अलाउन्स 5.23 क्यूसेक्स से कम करने के आदेश राज्य सरकार ने दिनांक 13.10.2000 को जारी किये हैं। संशोधित वाटर अलाउन्स प्रथम चरण के प्रथम फेज में 3.5 क्यूसेक्स प्रति हजार एकड़ तथा द्वितीय फेज में 3.0 क्यूसेक्स प्रति हजार एकड़ किया गया है।

(2) वर्ष 2000 में वर्षा के अभाव में मूल स्रोत पोंग एवं भाखड़ा बांधों में पानी की अत्यन्त कमी के कारण राजस्थान के हिस्से में भी पानी की कमी रही है। वर्तमान में उपलब्ध पानी की मात्रा कम होने के कारण इस पानी को पेयजल प्रयोजन हेतु आरक्षित करने के कारण इस निर्णय की क्रियान्विति सम्भव नहीं है।

(3) पोंग तथा भाखड़ा बांधों में पानी की उपलब्धि कम होने से रबी की फसल की बुवाई से पूर्व काश्तकारों को आगाह कर दिया था कि कम पानी की फसलें बोई जाय। इन फसलों को पकने हेतु फरवरी के तृतीय सप्ताह तक पानी दिया गया।

(4) जी हां।

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की परिसम्पत्तियां

375. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या मंत्रिमण्डल सचिवालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा कर दी गयी है ? यदि हां, तो प्रत्येक की सम्पत्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकांश मंत्रियों द्वारा अपनी सम्पत्ति का पूर्ण विवरण जिसमें पत्नी, पुत्र–पुत्री की घोषणा अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या

(डा. किरोड़ी लाल)

सरकार ऐसे मंत्रियों की पुनः घोषणा लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा अपनी सम्पत्ति के विवरण–पत्र मुख्य मंत्री जी को प्रेषित कर दिये गये हैं। यह घोषणा मुख्य मंत्री जी के संदर्भ हेतु है।

(2) सभी मंत्रीगण ने अपने एवं अपनी पत्नी के नाम की सम्पत्ति की घोषणा कर दी है। अन्य कोई विवरण लेने का विचार नहीं है।

आयुर्वेदिक चिकित्सालय बांसवाड़ा के अपूर्ण भवन हेतु राशि

376. **श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या** (बांसवाड़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय "अ" श्रेणी चिकित्सालय, बांसवाड़ा के नए भवन निर्माण हेतु अब तक कितनी राशि स्वीकृत हुई ?

(2) क्या यह सही है कि अपर्याप्त राशि के कारण भवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के लिए वांछित राशि कब तक आवंटित कर दी जाएगी ?

उत्तर

(1). राजकीय "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय, बांसवाड़ा के नवीन भवन निर्माण हेतु अब तक 27.33 लाख रुपये व्यय के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

(2) आयुर्वेद निदेशालय द्वारा 27.33 लाख रुपये मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है लेकिन उक्त राशि में से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 14.10 लाख रुपये ही व्यय किये गये हैं। शेष राशि रिलीज करवाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिख दिया गया है।

होम्योपैथिक चिकित्सकों की पदोन्नति

377. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? गत वर्षों में राज्य में कितने होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि होम्योपैथिक चिकित्सकों को पूरी सेवा अवधि में एक भी पदोन्नति नहीं मिलती है ? क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने पर विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि होम्योपैथिक चिकित्सकों को एक ही वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या जिनकी सेवा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अवधि कम है और जो पुराने चिकित्सक हैं उनका वेतन एक ही है ? क्या सरकार उसमें सुधार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत राज्य में वर्तमान में हौम्योपैथिक चिकित्सकों के 117 पद स्वीकृत हैं। गत दस वर्षों में (वर्ष 1990–91 से 2000–2001 तक) 173 नवीन आयुर्वेद औषधालय तथा 15 नवीन हौम्योपैथिक औषधालय स्वीकृत किये गये हैं, जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) हौम्योपैथिक चिकित्सकों को पदोन्नति का लाभ देने हेतु विभाग में एक उप निदेशक (हौम्योपैथी) एवं एक सहायक निदेशक (हौम्योपैथी) के पद सृजित हैं।

अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्तमान में डिग्रीधारी हौम्योपैथिक चिकित्सकों को 8000–13500 का वेतनमान दिया जा रहा है। डिप्लोमाधारी कनिष्ठ हौम्योपैथिक चिकित्सक को 5500–9000 का वेतनमान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा हौम्योपैथिक चिकित्सकों को दिनांक 1.5.98 से संशोधित वेतनमान 8000–13500 स्वीकृत किया गया था, फलस्वरूप नवीन चिकित्सकों एवं पुराने चिकित्सकों का वेतन स्थरीकरण के कारण न्यूनतम वेतन फिक्स एक समान होना संयोग मात्र है। नये वेतनमान के कारण स्थरीकरण के कारण वेतन में जो समानता आ गयी है, इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1990-91 से 2000-2001 तक नवीन स्वीकृत किये गये आयुर्वेद व हौम्योपैथिक औषधालयों की संख्या का विवरण

वर्ष	स्वीकृत औषधालयों की संख्या	
	आयुर्वेदिक	हौम्योपैथिक
1990—91	20	5
1991—92	21	2
1992—93	7	—
1993—94	—	—
1994—95	4	1
1995—96	16	2
1996—97	—	—
1997—98	—	3
1998—99	20	2
1999—2000	85	—
2000—2001	—	—
योग	173	15

नोट : वर्ष 1999—2000 में स्वीकृत किये गये औषधालय बजट प्रावधान व पदों के सृजन के अभाव में आरम्भ नहीं किये गये हैं।

ग्राम ईन्टाली (उदयपुर) के आयुर्वेदिक औषधालय का भवन निर्माण

378. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला उदयपुर एवं सिरोही में आयुर्वेदिक औषधालय कितने हैं ?

(2) उक्त जिले के कौन–कौन से औषधालय किराये के भवन में कब से चल रहे हैं और कौन–कौन से औषधालय धर्मशाला या अन्य किसी भवन में चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम ईन्टाली, तहसील मावली (उदयपुर) में भी आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत है ? यदि हां, तो कब से ? उक्त औषधालय का भवन कब बनाया गया ? यदि नहीं, तो सरकार अब कब तक उक्त औषधालय का भवन बनवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में, आयुर्वेद विभागान्तर्गत उदयपुर जिले में 183 एवं सिरोही जिले में 61 आयुर्वेद औषधालय व चिकित्सालय संचालित हैं।

(2) उदयपुर एवं सिरोही जिले में संचालित विभागीय औषधालयों में से किराये के भवनों एवं धर्मशाला, मन्दिर, ट्रस्ट आदि में संचालित आयुर्वेद औषधालयों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। यह औषधालय दिनांक 1.1.49 से संचालित है। दिनांक 2.4.92 तक यह औषधालय पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन में संचालित था। वर्तमान में दानदाता श्री झमक लाल द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन में यह औषधालय संचालित है।

परिशिष्ट "क"

उदयपुर व सिरोही जिलों में किराये के भवनों, धर्मशाला, मन्दिर, ट्रस्ट आदि में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों का विवरण

क्र.सं.	स्थान औषधालय	औषधालय आरम्भ दिनांक/अवधि	भवन की स्थिति
जिला उदयपुर			
1.	टेकरी, उदयपुर शहर	21.1.67 से आरम्भ	किराये का भवन
2.	पुला, उदयपुर शहर	20.2.90 से आरम्भ	किराये का भवन
3.	चांदपोल, उदयपुर शहर	15.4.89 से आरम्भ	किराये का भवन
4.	कैलाशपुरी	10.9.56 से आरम्भ	एकलिंग मंदिर ट्रस्ट के भवन में
5.	ऋषभदेव	7.2.56 से आरम्भ	मन्दिर ट्रस्ट के भवन में
जिला-सिरोही			
1.	दोहितरा	1981 से आरम्भ	टी. ए. डी. भवन में
2.	जाम्बूडी	21.8.79 से आरम्भ	टी. ए. डी. भवन में
3.	बोसा	10.9.79 से आरम्भ	टी. ए. डी. भवन में
4.	मावल	1996 से आरम्भ	पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये एक कमरे में संचालित
5.	कृष्णगंज	31.1.66 से आरम्भ	पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये एक कमरे में संचालित
6.	निम्बज	29.1.56 से आरम्भ	पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये एक कमरे में संचालित

पाली जिले के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

379. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली में कितनी प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय एवं शास्त्री संस्कृत विद्यालय किन–किन स्थानों पर कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में विषयवार स्वीकृत अध्यापक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो कितने पद किन–किन विद्यालयों में कब से रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त विद्यालयों में ऐसे कितने विद्यालय हैं जो संस्कृत विद्यालय की दृष्टि से सही नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विद्यालयों को हिन्दी विद्यालया में बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला पाली में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय (राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, बासनी जोजावर (पाली)). में संचालित है। पाली जिले में प्रवेशिका/शास्त्री महाविद्यालय नहीं है।

(2) जी हां। इस विद्यालय में विषयवार प्रवेशिका स्तर पर अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें विज्ञान का पद 9.7.1997 से रिक्त है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	स्वीकृत पद	विषय	रिक्त पद	रिक्ति दिनांक
1.	सैकण्ड ग्रेड	सा. विज्ञान	–	
	(6 पद)	अंग्रेजी	–	
		गणित	–	
		संस्कृत	–	
		हिन्दी	–	
		विज्ञान	9.7.1997 से रिक्त	
2.	थर्ड ग्रेड	2 पद	–	
3.	प्राचार्य	1 पद	1	
4.	फर्स्ट ग्रेड अध्यापक	5 पद		
5.	शारीरिक शिक्षक	1 पद		
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1 पद		

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

वर्ष 2000–2001 में क्रमोन्नत होने पर क्र. सं. 3 से 6 के नवीन पद दिनांक 22.3.2001 को सृजित किये गये हैं। रिक्त पदों को भरने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(3) ऐसा कोई विद्यालय नहीं है।

(4) जी नहीं।

राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय चौराऊ (जालौर) में अध्यापकों के रिक्त पद

380. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जालौर में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कितने एवं कहां–कहां पर हैं ?

(2) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत पद कितने हैं और उन पर कितने–कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जालौर के गांव चौराऊ उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में चार ही अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं ?

(4) क्या राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय चौराऊ में एक ही अध्यापक कार्यरत है और शेष पद रिक्त है ?

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर अध्यापक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जालौर में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 08 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम
1.	जालौर	जालौर	उ.प्रालाल भांकरीलेटा
2.	जालौर	सायला	उ.प्रा. चौराऊ
3.	जालौर	सांचौर	उ. प्रा. अरणया (कन्या)
4.	जालौर	सांचौर	उ. प्रा. सांगरिया नाड़ीं बस्सी (कन्या)
5.	जालौर	रानीवाड़ा	उ. प्रा. रूपावटी खुर्द
6.	जालौर	रानीवाड़ा	उ. प्रा. रानीवाड़ा
7.	जालौर	रानीवाड़ा	उ. प्रा. बड़गांव
8.	जालौर	जसवन्तपुरा	उ. प्रा. माण्डोलीनगर (कन्या)

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

(2) उक्त विद्यालयों में 30 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं जिनमें से 24 अध्यापक कार्यरत हैं तथा 6 पद रिक्त हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	लाल भांकरी लेटा	5	4	1
2.	अरणाय (कन्या)	3	3	–
3.	सांगरिया नाडी बस्सी	2	2	–
4.	रानीवाड़ा	6	5	1
5.	रूपावटी खुर्द	3	2	–
6.	बड़गांव	1	1	–
7.	मांडोली नगर	7	6	1
8.	चौराऊ	3	1	2
	योग	30	24	6

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जालौर के राज. उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, चौराऊ में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तीन पद ही स्वीकृत हैं।

(4) जी हां।

(5) जी हां। रिक्त पद भरने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।